

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग



पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां तथा उत्तरदायित्व के  
हस्तांतरण के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों द्वारा जारी  
अधिसूचनाओं तथा आदेशों के संकलन की सांराश पुस्तिका

निदेशालय पंचायती राज विभाग, एस0डी0ए0 काम्पलैक्स, ब्लॉक न0 27 कसुम्पटी, शिमला-171009.

**Web Site : [www.hppanchayat.nic.in](http://www.hppanchayat.nic.in)**

## प्राक्कथन

राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को ग्रामीण जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप स्थानीय स्वशासन की प्रभावी ईकाई बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों के बारे सूचना प्रदान करने तथा इस बारे पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों बारे मार्गदर्शन तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए नीतिगत निर्णयों से अवगत करवाने के लिए यह आवश्यक है कि इस बारे एक 'संकलन पुस्तिका' प्रकाशित की जाए जिसमें समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं एवं निर्देश संकलित हों। इस "संकलन पुस्तिका" को प्रकाशित करने का यह उद्देश्य है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों को राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों तथा पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से अवगत करवाया जा सके। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के दैनिक कामकाज में सुधार लाने में यह पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी।

**नरेन्द्र चौहान,**  
सचिव, पंचायती राज,  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक सितम्बर, 2007

## प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रत्यक्ष रूप से विचार विमर्श करना तथा मूलभूत वास्तविकताओं बारे जानकारी प्राप्त करने का उत्तम साधन है। पंचायती राज संस्थाओं, विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में प्रवास एवं अधिकारियों/कर्मचारियों से बैठकों और पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण सत्रों के दौरान मैंने यह पाया कि अधिकतर मामलों में पंचायत पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए नीतिगत निर्णयों और पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित शक्तियों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों की जानकारी नहीं है। इनमें कई ऐसे कर्मचारी सम्मिलित हैं जिन्होंने हाल में ही पदोन्नति के फलस्वरूप नए पद पर अपनी उपस्थिति दी है या फिर ऐसे पंचायत पदाधिकारी हैं जोकि पहली बार पंचायतों में निर्वाचित हुए हैं। उन्हें पूर्व में जारी किए गए निर्देशों/अधिसूचनाओं तथा नीतिगत निर्णयों के विषय में जानकारी का अभाव है।

अतः विभाग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के लागू होने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए नीतिगत निर्णयों और पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों, शक्तियों तथा दायित्वों से सम्बन्धित जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं तथा निर्देशों को एक "संकलन पुस्तिका" के रूप में संकलित किया है। इस "संकलन पुस्तिका" को तैयार करने में श्री केवल शर्मा, उप-निदेशक, पंचायती राज, श्री राज कुमार भोटा, पंचायत सूचना अधिकारी व श्री प्रमोद कुमार शर्मा वरिष्ठ आशुलिपिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि यह 'संकलन पुस्तिका' राज्य सरकार के कार्यक्रमों तथा नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में लाभदायक होगी तथा इससे पंचायती राज संस्थाओं के दैनिक क्रियाकलापों में भी सुधार होगा।

राकेश कौशल,  
निदेशक, पंचायती राज,  
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक सितम्बर, 2007

**Govt. of Himachal Pradesh  
Deptt. of Panchayati Raj**

**No. PCH-HA(1)12/87-10206-406 Dated Shimla-2, July 31, 1996**

**NOTIFICATION**

In exercise of powers conferred under section 11(2), 83(1) and 94(1) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to entrust the powers, functions and responsibilities upon the Panchayati Raj Institutions in Himachal Pradesh, as per the enclosed Annexure.

**By Order,  
Financial Commissioner-cum-Secretary,  
(Panchayati Raj) to the Govt. of HP.**

Endst. No. PCH-HA(1)12/8710206-406 dated Shimla-2, July 31, 1996.

Copy to:-

- The Secretary to the Hon'ble Governor, HP, Shimla-2.
- The Secretary, HP Vidhan Sabha, Shimla-4.
- The Private Secretary to the Hon'ble C.M., HP
- All the Private Secretaries of Cabinet Ministers, State Ministers, Chief Parliamentary Secretary & Parliamentary Secretary in Himachal Pradesh.
- Private Secretary to the Chief Secretaries, HP.
- All the Administrative Secretaries , HP.
- All the Heads of the Departments, HP.
- All the Deputy Commissioners in HP.
- All the Chairman, Zila Parishad in HP.
- All the Chief Executive Officers, Zila Parishads in HP.
- All the Distt. Panchayat Officers in HP.
- All the S.D.O. (C) in HP.
- All the Chairman/Executive Officers, Panchayat Samitis, HP.
- The Controller, Printing & Stationary, H.P. Shimla-171005, for immediate publication in Extra ordinary Rajpatra. He is requested to supply 300 (three hundred) copies of the Rajpatra to the Department.

**Sd/-  
Director-cum-Addl. Secretary,  
(Panchayati Raj) to the Govt. of HP.**

**AGRICULTURE  
DEPARTMENT**

**Devolution of Powers Notified vide No.PCH-HA(1)12/87- dated 31.7.1996**

**AGRICULTURE DEPARTMENT**

<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>A. Preparation of Agriculture Production Plan :</p> <p>1. To approve agriculture production plan for the Block and consolidate the same at district level in consultation with the Deputy Director, Agriculture &amp; District Agriculture officer of the district.</p> <p>B. Arrangements for Agriculture Inputs:</p> <p>2. To consolidate demand of inputs and ensure timely arrangements through the district level officer for its supply to the Blocks/Panchayats.</p> <p>C. Agriculture Extension &amp; Training:</p> <p>3. Monitoring and supervision of agriculture extension activities.</p> <p>D. Soil and Water Conservation :</p> <p>4. Resource allocation to Panchayat Samitis for execution of approved schemes and monitoring and execution performance vis-a-vis resources utilization.</p> <p>E. Biogas Development :</p> <p>5. Resource allocation and performance monitoring.</p> <p>F. Crop Protection :</p> <p>6. To consolidate the demand from Panchayat Samitis conveyed to the department and obtain the pesticide from department and further distribute to the Panchayat Samitis. Performance monitoring and closer surveillance over spread of diseases/epidemics and reporting to the district/State Headquarter for immediate control measures.</p>	<p>1. To consolidate and prepare agriculture production plan in consultation with the Assistant Development Officer at Block level for submission to the Zila Parishad for approval.</p> <p>2. To consolidate demand received from Panchayats and submit to the Zila Parishad.</p> <p>3. Monitoring and supervision of Agriculture extension activities.</p> <p>4. Approval of schemes received from Panchayats within resource allocation to be made by the Zila Parishad. Monitoring of execution of approved schemes.</p> <p>5. Execution of approved cases under technical guidance of the staff of the Department. Performance monitoring.</p> <p>6. to arrange supply of pesticides as per requirement through Zila Parishad and distribute through Sale Centres. To ensure closer surveillance of spread of diseases and timely ties with the Zila Parishad/State Headquarter for control measures Performance monitoring.</p>	<p>1. To prepare agriculture production plan for the Panchayat in consultation with the extension staff for submission to the Panchayat Samiti for approval.</p> <p>2. To assess demand of inputs for timely submission to the Panchayat Samiti for arrangements.</p> <p>3. To conduct demonstrations on improved technology and training of farmers through extension functionaries of the department for the concerned Panchayats.</p> <p>4. Identification of schemes in consultation with the concerned local staff of the department for Samiti for approval. Approved schemes shall be executed by Panchayat under technical guidance of the staff of the department. The Panchayats shall prepared cropping plans in command areas of irrigation schemes in consultation with the staff of the department for implementation.</p> <p>5. Identification of beneficiaries and submission of proposal to the Panchayat Samiti for approval under guidance of the technical staff of the Department.</p> <p>6. To organise crop protection and pest management campaigns under technical guidance of extension functionaries of the department. To assess pesticides requirement and place demand to the Panchayat Samiti for arrangement of supply/distribution of pesticides under technical guidance of the agriculture staff. To ensure closer surveillance of diseases/epidemics and report to the Samiti/Zila Parishad /State headquarters for immediate control measures.</p>

**ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT  
&  
AYURVEDA & HOMEOPATHY DEPARTMENT**

<b>ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT.</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchaya</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planning of animal husbandry programmes in the district.</li> <li>2. Monitoring of contagious diseases and popularisation of preventive measures.</li> <li>3. Implementation of feed and fodder development schemes at district level after approval of the State Government.</li> <li>4. Supervision of functioning and construction and maintenance of veterinary dispensary building in rural areas in the district.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construction and maintenance of veterinary dispensary buildings in rural areas in the district.</li> <li>2. Conduct of animal fairs, exhibitions, calf-rallies, livestock shows and mild competitions.</li> <li>3. Co-ordination in respect of policy planning of animal husbandry programme at block level.</li> <li>4. Making recommendations for holding of animal health/sterility camps</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervision of milk collection centre/ societies.</li> <li>2. Identification and recommendation of beneficiaries for animal husbandry programme.</li> <li>3. Periodical supervision and inspection of veterinary dispensary artificial insemination centres in the village and recommend the remedial measures.</li> <li>4. To promote the formation of milk/wool/poultry co-operative societies.</li> <li>5. To report outbreak of epidemics diseases amongst livestock/poultry to the nearest veterinary institution and Block level functionary of the department.</li> </ol>
<b>AYURVEDA &amp; HOMEOPATHY DEPARTMENT</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervision of the functioning, Construction and maintenance of the hospitals of Indian System of Medicine, including the District Hospitals.</li> <li>2. Ensure that Ayurvedic &amp; Homeopathic doctors and staff reside at the places of postings at Hospitals.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construction and maintenance of building of ISM dispensaries.</li> <li>2. Organising free medical camps under I.S.M. dispensaries.</li> <li>3. Construction and maintenance of buildings attached to I.S.M. dispensaries.</li> <li>4. Ensure that the Ayurvedic staff reside at the places of postings at I.S.M dispensaries.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formation of Dispensaries Welfare Advisory Committees with representatives of Panchayats, Pharmacist and A.N.M/F.H.W of Ayurveda Department, Panchayat, Members, N.G.O.s etc. to oversee the services provided by each dispensary, improvement thereof and ensure that the Ayurvedic staff reside at the places of postings. The Committee shall be chaired by the Pradhan of Gram Panchayat.</li> <li>2. Up-keep and maintenance of I.S.M dispensaries and quarters.</li> <li>3. Organising school health check-up programmes and medical and family welfare camps.</li> </ol>



**EDUCATION DEPARTMENT  
&  
FISHERIES DEPARTMENT**

<b>Education Department</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>1. To assess the requirement of High School teachers, equipment etc. in the district and plan for them.</p> <p>2. Supervision and monitoring of the quality of education services.</p> <p>3. Campaign for full enrolment and reduction of drop-outs.</p> <p>4. Assessment of requirement for hostels of target group students and plan for them.</p> <p>5. Supervision of distribution of high school uniforms, books etc. for target group students.</p> <p>6. Vigilance on regular attendance of 10+2 teachers and non-teaching staff and students and reporting to the concerned authorities.</p>	<p>1. To supervise the functioning of the middle schools.</p> <p>2. Supply and distribution of material and equipments to the middle schools.</p> <p>3. To assess the drop-out position and initiate appropriate action to reduce it.</p> <p>4. Distribution of middle school uniform, books and other materials to the target group students.</p> <p>5. Assist in the maintenance of hostels of middle schools.</p> <p>6. Maintenance of high school buildings and related infrastructure.</p> <p>7. Vigilance on regular attendance of middle/high school teachers and non-teaching staff and students and reporting to the concerned authorities.</p>	<p>1. Ensure full enrolment of school-age children in primary schools.</p> <p>2. Maintenance of primary school buildings, play grounds etc.</p> <p>3. Vigilance on regular attendance of primary school teachers and non-teaching staff and students reporting to the concerned authorities.</p> <p>4. Assist primary schools in the distribution of study material to the target group students.</p> <p>5. Supervision of mid-day meal scheme.</p>
<b>Fisheries Department</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>1. Sanction of subsidy as per approved Government/F.F.D.A norms for repair and construction of ponds under F.F.D.A Schemes upto Rs. 40,000/- and Rs. 1,00,000/- respectively for maximum of 5 hectares water body subject to completion of all codal formalities and physical verification by officials of F.F.D.A. the amount will be released by the concerned F.F.D.A.</p> <p>2. Power to impose and realise penalty from poachers indulging in illegal fishing from Fish Sanctuaries and other protected water bodies duly notified under the Fisheries Act.</p> <p>3. Protection, conservation and development of other protected waters duly notified under the Fisheries Act.</p> <p>4. Promotion and development of Fish Culture Programme.</p> <p>5. Procurement and supply of fish seed/fry with the assistance of the Department.</p>	<p>1. Sanction of subsidy as per approved Government/F.F.D.A. norms for repair and construction of ponds under F.F.D.A. scheme upto Rs. 24,000/- and Rs. 80,000/- respectively upto the maximum of 3 hectares water body subject to completion of all codal formalities and physical verification by officials of F.F.D.A. The amount will be released by the concerned F.F.D.A.</p> <p>2. Identification of fish farmers for training in fish Culture and arranging their training with the assistance of Department of Fisheries.</p> <p>3. Collection of demand and distribution of seedlings to the fish farmers.</p> <p>4. Promotion and development of Fish Culture Programme.</p> <p>5. Providing marketing assistance in disposal of fish produce within the Panchayat Samiti area by organizing co-operative societies for marketing.</p>	<p>1. Sanction of subsidy as per approved Government/F.F.D.A. norms for repair and construction of ponds under F.F.D.A. scheme upto Rs. 8,000/- and Rs. 20,000/- respectively upto the maximum of one hectares water body subject to completion of all codal formalities and physical verification by officials of F.F.D.A. The amount will be released by the concerned F.F.D.A.</p> <p>2. Identification for sites for construction of community ponds.</p> <p>3. Renovation of existing community ponds and construction of new community bounds.</p> <p>4. Right to lease community ponds to the beneficiaries and realization of lease money.</p> <p>5. Maintenance and control of community ponds.</p> <p>6. Conservation of aquatic fauna of rivers and streams within the jurisdiction of Gram Panchayat.</p> <p>7. Power to impose and realize fines from the poachers indulging in illegal fishing in the rivers and streams falling within the jurisdiction of Gram Panchayat.</p>

# **FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT**

	<b>Food &amp; Supplies Department</b>	
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>1. To recommend the opening of fair price shops/godowns.</p> <p>2. To review the availability of essential commodities in its jurisdiction and assess demand of commodities depending upon the need of the local area.</p>	<p>1. Supervision and monitoring of movement and availability of essential commodities and review of the public distribution system in the Panchayat Samiti area.</p> <p>2. To assess coverage of consumers by Fair Price Shop, especially of weaker sections.</p> <p>3. To plan and taken steps for the elimination of bogus ration cards.</p> <p>4. To plan/review and recommend the opening of fair price shops in its jurisdiction.</p> <p>5. To coordinate schemes of Public Distribution System with other welfare schemes.</p> <p>6. To send reports and returns about Public Distribution System to Zila Parishad.</p> <p>7. To disseminate information about consumer protection/welfare.</p>	<p>1. To supervise the functioning of Fair Price Shops under the jurisdiction of the Panchayats in the interest of the consumers.</p> <p>2. To discharge duties as grievance redressal agency and issue directives to Fair Price Shops when required.</p> <p>3. Preparation and issue of ration cards.</p> <p>4. Elimination of bogus ration cards.</p> <p>5. To decide the location of Fair Price Shops.</p> <p>6. To arrange for the running of a Fair Price Shop where required by mobilizing local resources/finances.</p> <p>7. Assist Panchayat Samiti in preparing plan of action to Link Public Distribution System with J.R.Y, I.R.D.P, I.C.D.S, D.W.C.R.A, mid day meals scheme etc.</p>

# **FOREST DEPARTMENT**

<b>FOREST DEPARTMENT</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p><b>A. Other Afforestation Scheme :</b></p> <p>1. Finalization of micro plans proposed by Panchayat Samitis in consultation with D.F.O concerned and approval thereof.</p> <p>2. Submission of Annual Plan of operation to Forest Department and allotment of funds from Forest Department of Zila Parishads for further allocation of budget to Panchayat Samitis/Gram Panchayats. Fixing of targets thereof as per approved micro plans.</p> <p>4. Monitoring/evaluation of activities.</p> <p>5. Resolving disputes, if any regarding benefit sharing and monitoring thereof.</p> <p>6. Monitoring of the execution of the action plans.</p> <p><b>B. Forest Fires:</b></p> <p>7. Co-ordination/supervision and monitoring thereof.</p> <p>8. To recommend to Forest Department action against major defaulters such as suspension of T.D. rights as per the Forest Settlement.</p> <p>9. To monitor the forest fire cases and recommend awards for the Panchayats and individuals doing exemplary work. The award amount will be paid through Forest Department.</p> <p><b>C. Minor Forest Produce:</b></p> <p>10. To popularize the concept of MFP plantations and returns thereof.</p> <p><b>D. Encroachment Cases:</b></p> <p>11. To liaison with the with the Forest Department for ejection.</p> <p><b>E. Illicit Felling/Poaching :</b></p> <p>12. To educate masses against illicit felling and poaching, monitoring of offences of illicit felling/poaching.</p> <p><b>F. Other functions :</b></p>	<p>1. Formulation of Plans in respect of lands identified by the Gram Panchayats in co-ordination with concerned Range Officers. This will also include organizing nursery raising.</p> <p>2. To ensure the execution of micro plans through Gram Panchayats as per the physical/financial targets fixed.</p> <p>3. Submission of consolidated accounts and reports to Zila Parishad.</p> <p>4. Ensuring management/protection responsibilities of Gram Panchayats.</p> <p>5. To act as a facilitator and ensure benefit sharing. Approval of the action plan.</p> <p>7. To issue direction to Gram Panchayats regarding different measures to be adopted for its prevention.</p> <p>8. To recommend action against major and habitual defaulters and to report concerned authorities of the Department.</p> <p>9. To send consolidated reports.</p> <p>10. To monitor the cases of over exploitation and submit recommendations to Forest Department for its regulation.</p> <p>11. To send the consolidated monthly report to Range Officer for action.</p> <p>12. To send the consolidated report to range officer for action</p> <p>13. To supervise afforestation, plantation and nursery works within their area and report to the concerned Forest Officer.</p> <p>14. Supervision of soil conservation work of the Forest Department.</p> <p>15. To supervise the protection of wild life.</p>	<p>1. To identify village common lands, other community and non forest lands for development of village wood lots in consultation with the local forest guards/Block officers. This will also include location of site, species to be planted and details of such areas which need maintenance.</p> <p>2. Execution of micro plans by Gram Panchayat.</p> <p>3. Submission of monthly accounts and physical and financial reports to Panchayat Samities.</p> <p>4. Taking over of management/ responsibilities of assets created, which include maintenance and protection of these assets.</p> <p>5. Benefit sharing out of the assets so created as per the policy of the Government.</p> <p>6. Proposal on the nature of investment of the benefits so accrued as above for developmental activities and execution thereof.</p> <p>7. To enlist the co-operation of the local people to protect forest from fires and to help Forest Department in extinguishing forest fires by constituting Fire Protection Committee.</p> <p>8. To report the defaulters who do not co-operate in extinguishing fires. To submit periodical reports.</p> <p>10. To assess the availability of minor forest produce and report any incidence of its misuse.</p> <p>11. To prevent and report the encroachment cases to DFO concerned.</p> <p>12. To prevent and report the cases of illicit filling/poaching to the DFO concerned and take cognizance of patrolling of Forest Guards in their jurisdiction.</p> <p>13. To supervise afforestation. Plantation and nursery works within their area and report to the concerned Forest Officer.</p> <p>14. Supervision of soil conservation work of the Forest Department.</p> <p>15. To supervise the protection of wild life.</p>

# **HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT**

**HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT**

<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>1. Formation of Health &amp; Family Welfare Advisory Committee to oversee the functioning of C.H.Cs and Rural Hospitals, improvement thereof and ensure that all the functionaries of these institutions are residing at the places of posting. However, the functioning of Zonal Hospitals, District Hospitals and referral Hospitals are excluded from the purview of the Committee. The chairman of the Zila Parishad and its members shall be Medical Superintendents of these hospitals, B.M.Os and Zila Parishad members.</p> <p>2. The Committee shall devise strategy to boost IEC campaign in respect of control measures for all communicable diseases like T.B., Leprosy, AIDS etc. as well as all other National Programmes.</p> <p>3. Planning of Family Welfare, immunization and health education camps for the community.</p>	<p>1. Construction and maintenance of Health Sub-Centers and staff quarter.</p> <p>2. Construction and maintenance of Community latrines in the Samiti areas with the help of local Panchayat.</p> <p>3. Organise health and family welfare camps and exhibitions in Melas in order to promote awareness of National Health Programmes.</p> <p>4. Take all effective measures with the help of health functionaries to control epidemics in their areas.</p> <p>5. Formation of Health &amp; Family Welfare Advisory Committees for all health institutions upto the level of C.D. &amp; P.H.C. comprising of B.M.O., Samiti members, N.G.O. representatives, Male/ Female supervisors etc. to oversee the functioning of the Health institutions, improvement thereof and ensure that all the functionaries of C.D. and P.H.C are residing at the place of posting. The Committee shall be chaired by Chairman of the Panchayat Samiti.</p>	<p>1. Formation of Health &amp; Family Welfare Advisory Committee for sub-centres consisting of Panchayat members, opinion leaders, trained birth attendant Male/Female Health Workers, NGO representatives etc. to oversee the functioning of each health institutions improvement thereof and ensure that the functionaries of the sub-centers are residing at the place of posting. The Committee shall be chaired by the Pradhan of the Gram Panchayat in whose area institution falls.</p> <p>2. Sanitation, clearing of roads, drains, chlorination of wells/bowlies and destruction of stray dogs and their disposal.</p> <p>3. Organising School health check up programmes.</p> <p>4. Helping the D.D.T. spray team during the season.</p> <p>5. Motivating the community for adopting family planning methods/ immunization etc. and organising the camps.</p> <p>6. Reporting the outbreak of Gastroenteritis and any other epidemic and starting containment measures with the help of Health Committees.</p> <p>7. Registration of births and deaths.</p> <p>8. Construction and maintenance of village drains and disposal of wastes.</p>



# **HORTICULTURE DEPARTMENT**

**HORTICULTURE DEPARTMENT.**

<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>1. Review and monitoring of all the functions and activities in respect of Horticulture entrusted to Panchayat Samitis.</p> <p>2. Maintaining co-ordination and liaison with the department of Horticulture in respect of all the Horticulture Development Programmes.</p> <p>3. Organizing campaigns, fairs, meets, exhibitions, seminars etc.</p> <p>4. Co-ordination and monitoring of procurement and distribution of patching material for horticulture produce.</p> <p>5. Co-ordination and monitoring of procurement of fruits under Market Intervention Schemes/support price.</p>	<p>1. Review, monitoring and supervision of all functions and activities in respect of horticulture entrusted to Gram Panchayat.</p> <p>2. Organizing horticultural inputs distribution system (other than fungicides/pesticides).</p> <p>3. Organizing farmers training camps, study tours, seminars etc.</p> <p>4. Organizing of demonstrations on improved varieties/technology/ package</p> <p>5. conducting Village-wise horticultural census.</p> <p>6. Preparation of action plan for each watershed.</p> <p>7. Supervise the procurement and distribution of plants by the Block Agency.</p>	<p>1. Identification and selection of beneficiaries for different horticultural subsidy schemes for small &amp; marginal farmers.</p> <p>2. Promotion of farmers clubs and horticultural producers co-operative societies.</p> <p>3. Supervising collection centers for fruits under Market Intervention scheme (MIS)/support price scheme.</p>

# **INDUSTRIES DEPARTMENT**

<b>INDUSTRIES DEPARTMENT.</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>1. The District Action Plan of the Department as per the discussion with Panchayat Samiti will be presented to Zila Parishad by the General Manager, District Industries Centers, for approval before he submits to Director of Industries.</p> <p>2. The General Manager, District Industries Centre, will send a list of cases which have been recommended to various banks every month. He will also furnish information with regard to the status of past cases which had already been recommended. The respective Banks will send a list of defaulters to Zila Parishad every month for monitoring. The General Manager, D.I.C., will provide similar information with regard to departmental loans.</p> <p>3. The Zila Parishad will collect the information with regard to skills available, the list of interested persons who are interested to acquire the skills as per the requirements of the industrial units, prioritize the same and send to the Department of Industries for organising the skill development training Programmes.</p> <p>4. Zila Parishad will collect the information with regard to the conducting of Industrial Awareness/Entrepreneurship Development Programme and target group viz SC/ST, Women. Ex-servicemen, general categories etc. for which the programmes are proposed. Zila Parishad will then priorities and send the same to the Department of Industries alongwith their recommendations for conducting the programmes.</p>	<p>1. The draft of District Action Plan of the Department as prepared by the General Manager, District Industries Centers, will be discussed with the Panchayat Samiti in which the Lead Bank Officer will be associated.</p> <p>2. The General Manager, District Industries Centre will endorse a copy of the letter to the concerned Panchayat Samiti vide which a recommendation is made to any Bank for grant of industrial loan to the Industrial units.</p> <p>3. The Department of Industries will bring to the notice of the concerned Panchayat Samiti the manpower skill requirements of the proposed industry to be set up in the areas. The Panchayat Samiti will provide information with regard to availability of skills in that area. In case the particular type of skill is not available, the Panchayat Samiti will bring to the notice of the Zila Parishad the list of the persons interested to acquire the requisite skill.</p> <p>4. Panchayat Samiti shall identify the locations in their respective area of operation where there is a potential of conducting Industrial/ Awareness Programmes/ Entrepreneurship Development Programmes. The target groups for which these programmes are proposed will be sent to the Zila Parishad.</p> <p>5. Identification and selection of artisans/ beneficiaries for Prime Minister Rozgar Yojna(PMRY), Rural Industries Plan(RIP)/Rural Artisans Plan(RAP) at Block level. Chairman Panchayat Samiti, may nominate one member for identification/selection of P.M.R.Y. and Extension Officer (Industries) of the Block shall be made Member-secretary of the Selection Committee. As regards credit facilities for Industry, Service &amp; Business sector under P.M.R.Y., the cases are prepared/processed by D.I.C. headed by the General Manager.</p> <p>6.(1) The Panchayat Samiti will consider the recommendation in respect of Sericulture activities of the Gram Panchayat and will take final decision keeping in view the budget position.</p> <p>(2) At the same time it can <i>suo-motu</i> initiate proposals</p>	<p>1. The General Manager, District Industries Centers, will endorse a copy of letter to the concerned Gram Panchayat vide which a recommendation is made to any Bank for grant of industrial units.</p> <p>2. Gram Panchayat will identify suitable place of land for establishing mulberry farm/ nurseries and chowki centers and recommend to the Panchayat Samiti for taking appropriate decision.</p> <p>3. Gram Panchayat can forward proposal for setting up Industrial Areas/Estates in case sufficient chunk of land is available in the Panchayat.</p>

	<p>for setting up of sub-centers in any Panchayat under its jurisdiction.</p> <p>(3) It will look after the marketing of cocoons.</p> <p>(4) The concerned Divisional Sericulture Officer will implement the decisions of the Panchayat Samitis subject to the availability of funds under the schemes.</p>	
<p>5. Training under Prime Minister Rozgar Yojna (PMRY) for the beneficiaries in whose favour loan is sanctioned for setting up of self employment ventures under Industry, Service &amp; Business sectors is arranged by the General Manager D.I.C. at the District, Sub-Division and Block level as per guidelines/instructions of Development Commissioner (S.S.I.) New Delhi, Member(s) nominated by Chairman, Zila Parishad/Panchayat Samiti can be included in the District Task Force Committee.</p> <p>6. --</p> <p>7(1) Zila Parishad will consider the proposals forwarded by Panchayat Samitis and take a decision as it may deem fit.</p> <p>(2) Zila Parishad can also <i>suo moto</i> identify land for such purposes after taking views, if it considers necessary, of the respective Panchayats/Panchayat Samitis.</p> <p>(3). After the Zila Parishad has considered, identified the land and approved the proposal, the same will be submitted with its recommendations through the General Manager, D.I.C. to the Director of Industries for further action.</p> <p>8. At present prospective entrepreneurs after registration and approval of their project, apply for the allotment of plot/shed in the Industrial Area to the General Manager, District Industries Centre. The Plot allotment Committee at the District level under the chairmanship of General Manager, D.I.C., after consideration of all the applications for allotment of plots/shed make the allotment to the entrepreneurs, depending upon the project and availability of plots/sheds, keeping in view the allotment policy in view. One member of the Zila Parishad will be nominated on the Plot Allotment Committee.</p>	<p>7(1) Panchayat Samiti will examine the proposals submitted by the Gram Panchayats of their areas and take appropriate action before forwarding the recommendations to the Zila Parishad.</p> <p>(2) The Panchayat Samiti concerned may also, of its own, identify land for establishing Industrial Areas/Estates within their jurisdiction and submit the proposal to Zila Parishad for decision.</p>	

**IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT  
&  
PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

<b>IRRIGATION &amp; PUBLIC HEALTH DEPARTMENT.</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identification of potential schemes including water harvesting covering more than one block.</li> <li>2. To bring to the notice of appropriate authority of the I.P.H. Department the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc. by the staff of the Departments, Contractors and Sub-Contractors while executing various schemes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prevention and control of water pollution.</li> <li>2. Identification of potential schemes including water harvesting covering more than one Panchayat.</li> <li>3. To bring to the notice of appropriate authority of the I.P.H. Department the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc. by the staff of the Department, contractors and Sub-Contractors while executing various schemes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Routine maintenance of hand pumps staff to be provided by the Department.</li> <li>2. Routine maintenance of drinking water, and irrigation schemes which have been executed at a cost of one lakh and below.</li> <li>3. Prevention and control of water pollution.</li> <li>4. Identification of potential schemes within Gram Panchayat area.</li> <li>5. Information regarding functioning and condition of water supply schemes will be given by the Panchayat to the prescribed authority.</li> <li>6. To bring to the notice of appropriate authority of the I.P.H. Department the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc. by the staff of the Department, contractors and Sub-Contractors while executing various schemes.</li> </ol>
<b>PUBLIC WORKS DEPARTMENT.</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identification of village link roads, mule roads, village paths, culverts and foot bridges upto 10 mtrs. span on these roads and paths.</li> <li>2. Supervision of execution of works by Panchayat Samitis like construction of mule roads, culverts and foot bridges upto 10 mtrs. span on these paths and roads.</li> <li>3. Construction and maintenance of building belonging to Zila Parishad.</li> <li>4. Supervision of construction of buildings belonging to Panchayat Samitis and Gram Panchayats. Constructions/ maintenance of Jhullas across rivers/ streams on village paths mule paths covering more than two blocks.</li> <li>5. To bring to the notice of appropriate authority of the Pubic Works Department the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc., by the staff of the Department contractors and sub-contractors while executing various schemes.</li> <li>6. Maintenance and running of boats and ferries.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identification, construction and maintenance of mule roads and identification of village link roads.</li> <li>2. Construction and maintenance of buildings belonging to Panchayat Samitis.</li> <li>3. Maintenance of those rural roads which may be transferred by P.W.D. to Panchayati Raj Institutions.</li> <li>4. Construction and maintenance of Jhullas across rivers/streams on village path/mule paths within its area.</li> <li>5. Supervision of construction of buildings by Gram Panchayats.</li> <li>6. Supervision of construction of village paths, culverts and village lanes.</li> <li>7. Supervision of construction of small foot bridges upto 10 mtrs. span falling on village paths/mule paths over nallahs and khads.</li> <li>8. To bring to the notice of appropriate authority of the Public Works Department the cases of gross, misutilization of funds, corrupt practices etc., by the staff of department contractors and sub-contractors while executing various schemes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identification of village link roads.</li> <li>2. Identification, construction and maintenance of village paths, culverts and lanes.</li> <li>3. Construction and maintenance of small foot bridges upto 10 metres span on Nallahs/streams falling on village paths.</li> <li>4. Construction and maintenance of buildings belonging to the Gram Panchayats.</li> <li>5. To bring to the notice of appropriate authority of the Public Works Department, the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc. by the staff of Department contractors and sub-contractors while executing various schemes.</li> </ol>

# **REVENUE DEPARTMENT**



<b>Revenue Department</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>1. To supervise the duties and functions at block level, regarding revenue matters.</p> <p>2. To assist the revenue officials in identification of landless/houseless persons and formulation of policies for utilization of Government land on lease at District level.</p>	<p>1. To supervise the work entrusted in revenue matters to Panchayats and formulate policy at block level for removal of encroachments on Government land at block level.</p> <p>2. To assist the revenue officials in identification of landless/houseless person for utilization of Government land and giving no objection certificate for giving such land on lease at block level.</p>	<p>1. Prevention of encroachments on village common land the management of which is entrusted to the Panchayat.</p> <p>2. Patwaris will paste his monthly working chart on the notice board of patwarkhana indicating the working days he will visit the Panchayat areas. Any departure will be reported to the Gram Panchayat concerned.</p> <p>3. To ensure that all eligible kisans are issued Kisan Pass Books and the same are updated regularly.</p> <p>4. If any Kisan faces difficulty in getting a copy of any revenue record he can apply to the Panchayat who will direct the concerned patwari to issue the requisite copy of the revenue record through Panchayat within seven days.</p> <p>5. The Patwaris Mohal shall place a copy of the records of rights like Jamabandi and Wazib-ul-urz at the Panchayat Headquarters for the perusal of the general public.</p> <p>6. Helping administration in providing relief in natural calamities.</p> <p>7. Removal of encroachments on public property and land.</p> <p>8. To ensure protection of boundary pillars and impose suitable punishment in case of destruction or defacement.</p> <p>9. Maintenance of essential statistics relating to the Panchayat.</p>
<p>3. Co-ordination with the legally constituted machinery in all stages of its work and rendering of necessary assistance to it either directly or through the PS and/or GP, as the case may be.</p> <p>4. Creation of public opinion for facilitating the work of land ceiling as well as other elements of land reforms.</p>	<p>3. Assistance to the legal machinery in conduct of legal proceedings (e.g. publication of notice in the entire area, identification of land in different GP areas etc.).</p> <p>4. Co-ordination of the work as between the GPs.</p>	<p>Implementation of Land Ceiling Measures:</p> <p>1. Assist in identification of potential surplus land owner/their total land in the Gram Panchayat area.</p> <p>2. Assistance to the legal machinery in conduct of legal proceedings.</p> <p>3. Assistance in identification of families/individuals needing allotment of land.</p> <p>4. Assistance in organizing land raising measure for individual allottees or groups of them.</p> <p>Implementation of Tenancy measures:</p> <p>1. Assistance in identification of tenancy (including share tenancy) status, open as well as clandestine.</p> <p>2. Assistance to the legal machinery in its task of securing as well as regularising tenancy rights, or conferring ownership rights, as the case may be.</p> <p>3. Towards this end creation of public opinion, marshalling of documentary and non-documentary evidences, particularly on issue of</p>

		possession and use of the lands concerned.
5. Periodic monitoring of the work in the entire ZP areas and advising /instructing PSs and GPs on matter relating to implementation and monitoring.	<p>5. Compilation of GP-wise data on land reforms measures and monitoring progress of such measures for the PS area. Assisting the ZP in monitoring for ZP area.</p> <p>6. Report regarding wrong change in revenue entries, malpractices, tempering of records and issue of wrong certificate and not issuing certificate in genuine case to reported to SDO(C) of the area.</p>	<p>Land Consolidation :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Securing active and continuing involvement of inhabitants of local area in different stages of the operation as set out in the law e.g. accordance approval to the draft plan.</li> <li>2. Towards this end assistance to the machinery in compilation of un-documented data on issues different gradation of land rights, status of common land and other common property etc.</li> <li>3. Assistance to the legal machinery in ensuring that after consolidation, possession of assigned plots/holdings actually accord with the implemented scheme of consolidation.</li> <li>4. Gram Sabha is authorized to pass resolution to undertake the consolidation operation.</li> </ol>
		<p>Participation in updating and Maintenance of land Records:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assisting in continuous updating of data relating to use season wise of agricultural land or assistance in doing so to the designated machinery where it has been separately constituted.</li> <li>2. Assist in periodic updating of data relating to the actual status of village commons that is pasture wasteland, water reservoirs waterways, roads, embankments etc.</li> <li>3. Assistance to the legal machinery in the updating of land records(record of rights) and mutation proceedings.</li> </ol> <p>Protection and Maintenance of Village Common :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primary responsibility for keeping common property of local nature in good condition. Keeping watch over them so that they are not encroached upon or converted to uses not in the interest of community.</li> <li>2. Identify encroachment as well as conversion of illegal or wrong uses of commons and bring these notice of the appropriate authority for remedial action.</li> <li>3. Provision of assistance in and collection of evidence towards the conduct of the proceedings by such authority.</li> <li>4. Creation of public opinion in favour of use of soil only in consonance with its properties, gradients etc.</li> </ol>

# **RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT**

<b>RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT.</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>1. Evaluation of all poverty alleviation programmes and the coverage of women, SC, ST &amp; other IRDP beneficiaries in these programmes.</p> <p>2. Developing marketing infrastructure/ marketing network/tie up arrangements for the products in Rural Areas.</p> <p>3. Ensuring the focus of development programmes on environment and natural resources development.</p> <p>4. Monitoring loan and subsidy disbursement in co-ordination with Banks and other Financial Institutions in Rural Development Programmes.</p> <p>5. Wide publicity of watershed guidelines amongst people of the concerned areas.</p> <p>6. Identification of local viable technologies.</p>	<p>1. To ensure that the funds provided by the DRDA to the Gram Panchayats are utilised as per the prescribed guidelines within its jurisdiction.</p> <p>2. Organizing training/awareness camps for IRDP beneficiaries.</p> <p>3. Coordinating with Banks and other Financial Institutions for release of subsidy and loans.</p> <p>4. Monitoring the distribution of Vikas Patrikas and Credit Books to the beneficiaries.</p> <p>5. Monitoring the use of assets and schemes under IRDP etc.</p> <p>6. To help Banks and other Financial Institutions for recovery of loans.</p> <p>7. To oversee the implementation of various insurance schemes for rural poor.</p> <p>8. To monitor and co-ordinate supply of food grains to the Gram Panchayats under JRY/EAS.</p> <p>9. To supervise the implementation of IAY, GKY, RSP and CRSP there will be an implementation Committee under the Chairmanship of Chairman Panchayat Samiti, S.D.O. (C), BDO concerned and some Panchayat Samiti members would be members of this Committee. The Committee will also look into the complaints regarding wrong selection of beneficiaries under these schemes.</p> <p>10. Prevention of misuse of community assets of the Panchayat Samiti.</p> <p>11. Organise auction of produce from community assets of Panchayat Samiti.</p> <p>12. Supervision and monitoring of Central/State Rural Sanitation Programmes executed by the Gram Panchayats.</p> <p>13. Development and maintenance of places for Fairs/Mandis/weekly markets at Panchayat Samiti level.</p>	<p>1. Identification and selection of beneficiaries for IRDP/TRYSEM/DWCRA.</p> <p>2. Supervise the implementation of IRDP/DWCRA/TRYSEM schemes</p> <p>3. Ownership and maintenance of the community assets viz. Panchayat Ghars, community Centres, Mahila/Yuvak Mandal Bhawans and IRDP stalls etc.</p> <p>4. Assisting Banks and other financial Institutions in the recovery of loans.</p> <p>5. Helping IRDP beneficiaries to procure raw material and marketing of products.</p> <p>6. Preparing village plan for works under JRY/IDDRY/EAS and their implementation.</p> <p>7. Obtaining technical personnel of the concerned department.</p> <p>8. Identification of beneficiaries under employment generation programmes.</p> <p>9. Distribution of foodgrains under JRY/IJRY/EAS.</p> <p>10. Maintenance of assets created under JRY/IJRY/EAS.</p> <p>11. Selection of beneficiaries under IAY &amp; GKY.</p> <p>12. Implementation of Central &amp; State Rural Sanitation Programme.</p> <p>13. Reporting against misuse of assets/subsidy and loans to the concerned department.</p> <p>14. Motivation and formation of village level use groups for the watershed programmes.</p> <p>15. Help the PIAs and other agencies in the implementation of the Watershed Development programme.</p> <p>16. Development and maintenance of places for village fairs/markets.</p> <p>17. Organize a auction of produce from community assets of Gram Panchayat.</p> <p>18. Helping in identification and selection of NSAP beneficiaries in consultation with the Health &amp; Social &amp; Women Welfare Departments.</p> <p>19. Implementation of National Programme of improved Chullahs.</p> <p>20. Maintenance of cremation grounds and grave yards.</p>

# **SOCIAL & WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT**

<b>SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT.</b>		
<b>Zila Parishad</b>	<b>Panchayat Samiti</b>	<b>Gram Panchayat</b>
<p>A. Integrated Child Development Services: 1. Monitoring the function of the scheme in the district.</p> <p>B. Welfare of disabled : 2. Inspection Supervision and Monitoring of the Voluntary Organizations in the District receiving grant-in-aid from the Ministry of Welfare, Govt. of India, for rehabilitation of the persons with disabilities. 3. Identification and promotion of Voluntary Organizations for assisting the disabled persons/leprosy patients, with grant-in-aid from the Ministry of Welfare. 4. Organize Support Meet and cultural programme for people with disabilities.</p>	<p>1. To guide and assist the project staff working in the Panchayat Samiti area. 2. Construction of Anganwari Centers in the Gram Panchayats. Funds to be transferred. 3. Provide infrastructure facilities and other logistic support to facilitate implementation of the programme. 4. Identification of disabled persons/leprosy patient and co-ordination with the Zila Parishads for their rehabilitation.</p>	<p>1. Assist in collection of beneficiaries centres and management of Anganwadi Centres except Nutrition, Transfer of staff (Anganwadi worker/Helpers). 2. Identification of disabled persons/ leprosy patients and co-ordination with the Block and Zila Parishad for their rehabilitation.</p>
<p>C. Welfare of aged : 5. Identifying the destitute aged persons and helping them in taking shelter with the voluntary organization which receives grant-in-aid from the Ministry of Welfare/State Government for running and maintaining old age homes.</p>	<p>5. Co-ordination with the Zila Parishad.</p>	<p>3. Co-ordination with the Panchayat Samiti.</p>
<p>D. Drug abuse prevention : 6. Building awareness and educating people about ill effects of the drug abuse. 7. Identify and promote voluntary organizations to deal with the drug addicts through a well rounded up programme of motivation counseling treatment and follow up social reintegration of cured drug addicts, transfer of funds form camps.</p>	<p>6. Co-ordinate with the Zila Parishad.</p>	<p>4. Co-ordinate with the Panchayat Samiti.</p>
<p>E. Juvenile Justice Administration : 8. Inspection of homes for the juvenile delinquents.</p>	<p>7. Co- ordination with the Zila Parishad for above functions.</p>	<p>5. Co-ordinate with the Panchayat Samiti for above functions.</p>
<p>Eradication of untouchability : 9. Co-ordination with the District officials in implementation of provisions of PCR Act, 1995. 10. Celebration of 'Removal of Untouchability week'</p>	<p>8.Survey of untouchability prone areas, selection of Gram Panchayats doing best work in the area of removal of untouchability for giving awards, organizing camps to create awareness about the</p>	<p>6. Identification of discriminatory practices against Scheduled Castes with special reference to :- (a) accessibility to common drinking burial places. (b) accessibility to common drinking water sources.</p>

on 2 <sup>nd</sup> October every Transfer of funds.	provision of the PCR Act, 1955. Transfer of funds. 6. Co-ordinate with the Zila Parishad.	(c) use of separate utensils in village tea stalls. (d) Refusal to offer services by barber and washer man. (e) taking marriage procession(barat). The concerned Gram Panchayat should ensure that no such discriminatory practices exist in the village, and if they are found, adequate steps be taken under the provisions of the PCR Act, 1955 for preventing it.
G. Curbing Atrocity against SCs/STs : 11. Co-ordination in the implementation of Schedules Castes and Schedules Tribes (Prevention of Atrocity) Act, 1989.	9.Organising camps for creating awareness among people about the provisions of the Act. Transfer of funds.	7. Disbursing monetary relief to the victims of the atrocity at the prescribed rates. Funds as and when demanded.
H. Liberation and Rehabilitation of Scavengers. : 12. Identification and verification of the applicants under liberation of scavengers.		
I. Improvement of Harijan Basties:	10. To prepare estimate for pavements, streets, drains, electric point etc. and forward it to Zila Parishad. 11.Scrutiny/sanctions of proposals received from the Gram Panchayat upto Rs, 25,000/- 12. Scrutiny/sanction of proposals received from Gram Panchayats upto Rs. 25,000/- for construction/repair of pavement, drains water at resources etc. Sanction upto Rs. 25,000/-. Transfer of funds.	8. To forward proposals to the Panchayat Samiti for preparing estimates. An execution of works under the scheme upto Rs. 25,000/-. Transfer of funds.
K. Non-Governmental Organizations : 13. Monitoring, supervision and inspection of Non-Governmental Organizations receiving grant-in-aid from the Ministry of Welfare/Human Resource Development & State Government for the welfare programmes. 14. Inspection of Institutions aided by the State Government Indian Council for Child Welfare and State Social Welfare Advisory Board such as Crèches and Anganwaris.		

# कृषि विभाग



## कृषि विभाग

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>(क) कृषि उत्पादन योजना को तैयार करना:</p> <p>1. जिलों के कृषि उप-निदेशक तथा जिला कृषि अधिकारी के साथ परामर्श करने के उपरान्त विकास खण्डों के लिए कृषि उत्पादन योजना को अनुमोदित करना तथा इसका जिला स्तर पर समेकित करना।</p> <p>(ख) कृषि उत्पादन सामग्री की आपूर्ति का प्रबन्ध करना:</p> <p>2. कृषि उत्पादन सामग्री की मांग को समय पर विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों में आपूर्ति हेतु जिला स्तरीय अधिकारी के परामर्श से समेकित कर उचित प्रबन्ध करना।</p> <p>(ग) कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण:</p> <p>3. कृषि विस्तार कार्यकलापों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण।</p> <p>(घ) भू एवं जल संरक्षण:</p> <p>4. अनुमोदित योजनाओं/स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु स्रोतों को पंचायत समितियों को आवंटित करना तथा कार्यकुशलता एवं स्रोतों के उपयोगिता का अनुश्रवण करना।</p>	<p>1. विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कृषि विकास अधिकारी के साथ परामर्श के उपरान्त कृषि उत्पादन योजना को तैयार करना तथा समेकित कर जिला परिषद् को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।</p> <p>2. पंचायतों से इकट्ठी की गई मांग को समेकित कर इसे जिला परिषद् को प्रस्तुत करना।</p> <p>3. कृषि विस्तार कार्यकलापों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण।</p> <p>4. जिला परिषद द्वारा स्रोतों के आवंटन के अन्तर्गत पंचायतों से प्राप्त योजनाओं को अनुमोदित करना तथा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।</p>	<p>1. विस्तार कर्मचारी के परामर्श के बाद पंचायत के लिए कृषि उत्पादन योजना को तैयार करके पंचायत समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।</p> <p>2. पंचायत के लिए कृषि उत्पादन सामग्री की मांग को निर्धारित करना और पंचायत समिति की व्यवस्था करने हेतु समय पर प्रस्तुत करना।</p> <p>3. सम्बन्धित पंचायतों के विभागीय विस्तार कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्नत तकनीकी का कृषकों में प्रदर्शन करना एवं प्रशिक्षण देना।</p> <p>4. भू एवं जल संरक्षण स्कीमों का कृषि विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों के परामर्श से तैयार करना तथा पंचायत समिति के अनुमोदनोपरान्त इन्हें कार्यान्वित करना तथा सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत जो कृषि भूमि है उसकी पंचायत स्तर पर विभाग के प्रसार कर्मचारी के परामर्श से कृषि उत्पादन कार्यक्रम का प्रारूपीकरण करना तथा इसे कार्यान्वित करना।</p>

<p>(ड) बायोगैस विकास:</p> <p>5. पंचायत समितियों को वित्तीय स्रोतों का उपलब्ध करना तथा इस कार्यक्रम की प्रगति का समय-समय पर अनुश्रवण करना।</p> <p>(च) पौध संरक्षण:</p> <p>6. पौध संरक्षण औषधियों की मांग को समय पर पंचायत समितियों से एकत्रित कर विभाग को इनकी प्राप्ति हेतु प्रेषित करना तथा विभाग से प्राप्त इन औषधियों को वितरण हेतु पंचायत समितियों को उपलब्ध करवाना। औषधियों की आपूर्ति तथा पौधों की बीमारियों पर सघन रूप से निगरानी करना तथा इनके प्रकोपों की अवस्था में जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों को इनके उन्मूलन हेतु समय-2 पर सूचित करना।</p>	<p>5. पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन तथा इनका विभाग के कर्मचारियों के तकनीकी परामर्श द्वारा कार्यान्वित करना तथा प्रगति का समय-2 पर अनुश्रवण करना।</p> <p>6. पौध संरक्षण औषधि की मांग की आपूर्ति हेतु जिला परिषद के माध्यम से उचित प्रबन्ध करवाना तथा विक्रय केन्द्र द्वारा उनका वितरण करवाना। बीमारियों के प्रकोपों पर सघन रूप से निगरानी करना तथा प्रकोप की अवस्था में समय-समय पर जिला परिषद् तथा राज्य मुख्यालय को इनके उन्मूलन हेतु सूचित करना।</p>	<p>5. लाभार्थियों की पहचान करना और विभाग के कर्मचारियों के तकनीकी परामर्श के अधीन प्रस्तावों को पंचायत समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।</p> <p>6. पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के प्रसार कर्मचारी के माध्यम से पौधे संरक्षण और कीटाणु प्रबन्धन अभियान चलाना। पौध संरक्षण औषधियों की मांग को एकत्रित कर इनकी आपूर्ति/वितरण हेतु पंचायत समिति को प्रेषित करना। पौधों की बीमारियों पर निगरानी रखाना तथा इनके प्रकोप की अवस्था में पंचायत समिति, जिला परिषद तथा राज्य मुख्यालय को इनके उन्मूलन हेतु समय-समय पर सूचित करना।</p>
---	--	--

# पशुपालन विभाग

**पशुपालन विभाग**

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. जिलों में पशुपालन कार्यक्रम की योजना तैयार करना ।</p> <p>2. पशुओं की छूत की बीमारियों एवं उनके बचाव/रोकथाम हेतु निगरानी रखना ।</p> <p>3. राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त जिला स्तर पर चारा एवं चारा विकास योजना को कार्यान्वित करना</p> <p>4. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधालय का संचालन एवं उनके भवनों के निर्माण तथा मुरम्मत कार्य का निरीक्षण ।</p>	<p>1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधालय भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव करना ।</p> <p>2. पशु मेलों, प्रदर्शनियों, बछड़ों की रैलियों, पशुधन प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।</p> <p>3. पशुपालन नीति(योजना) के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तालमेल रखना ।</p> <p>4. पशु स्वास्थ्य एवं नलबन्दी शिविरों के आयोजन हेतु सिफारिशें करना ।</p>	<p>1. दुग्ध एकत्रण केन्द्रों/समितियों की देखभाल करना ।</p> <p>पशुधन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं उनकी सिफारिश करना ।</p> <p>गांवों में समय-समय पर पशु संस्थानों/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का निरीक्षण, देख-रेख तथा इनको सुचारु रूप से चलाने हेतु सिफारिश करना ।</p> <p>4. दुग्ध, ऊन/कुक्कट सहकारी समितियों का उत्थान/गठन करना ।</p> <p>5. पशुओं/कुक्कटों को महामारी फैलने बारे निकट के पशु संस्थानों तथा ब्लाक स्तर पर विभागीय कार्यकताओं को सूचित करना ।</p>

# आयुर्वेद विभाग

## आयुर्वेद विभाग

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. जिला औषधालय सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अस्पतालों के संचालन, अनुरक्षण और निर्माण का पर्यवेक्षण।</p> <p>2. यह सुनिश्चित करना कि आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक और स्टाफ अस्पतालों में नियुक्ति के स्थान पर रहते हैं।</p>	<p>1. भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालय एवं स्टाफ भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव।</p> <p>2. भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालयों के अधीन मुफ्त स्वास्थ्य कैंम्प आयोजित करना।</p> <p>3. भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालयों के भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण।</p> <p>4. यह सुनिश्चित करना कि विभाग के कर्मचारी भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालयों में, नियुक्ति के स्थान पर रहते हैं।</p>	<p>1. आयुर्वेद विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट एवं ए0एन0एम0/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं पंचायत के प्रतिनिधियों में से औषधालय कल्याण सलाहकार समितियों का गठन करना जो प्रत्येक औषधालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा सुधार की देख-रेख करेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि आयुर्वेद विभाग का स्टाफ नियुक्ति के स्थान पर रहता है। समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होगा।</p> <p>2. भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालय एवं भवनों को सही हालत में रखना एवं अनुसरण करना।</p> <p>3. स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य कैंम्पों को आयोजित करना।</p>

# शिक्षा विभाग

**शिक्षा विभाग**

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. जिला में उच्च पाठशालाओं के अध्यापकों/ उपकरणों इत्यादि का आवश्यकतानुसार निर्धारण करना तथा तदनुसार योजना बनाना।</p> <p>2. शैक्षणिक सेवाओं की गुणवत्ता एवं स्तर का निरीक्षण एवं संचालन</p> <p>3. पूर्ण उपस्थिति बारे प्रचार एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।</p>	<p>1. मिडल स्कूलों की कारगुजारी का निरीक्षण करना।</p> <p>2. मिडिल स्कूलों में सामग्री एवं उपकरणों की आपूर्ति एवं वितरण।</p> <p>3. स्कूल छोड़ने की स्थिति का जायजा एवं इसे कम करने के लिए उचित कार्यवाही करना।</p>	<p>1. प्राईमरी स्तर के स्कूल जाने वाले सभी बच्चों की प्रविष्टि को सुनिश्चित करना।</p> <p>2. प्राथमिक स्कूलों के भवनों एवं खेल के मैदान इत्यादि का रख-रखाव।</p> <p>3. प्राईमरी स्कूल के अध्यापकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों एवं विद्यालयों की उपस्थिति पर सर्तकता एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उसकी सूचना देना।</p>
<p>4. निर्धारित लक्षित समूह के विद्यार्थीगण के लिए छात्रावासों की आवश्यकता का निर्धारण करना तथा योजना बनाना।</p> <p>5. उच्च पाठशालाओं के लक्षित समूह के विद्यार्थीगण में वर्दी, किताबों इत्यादि के वितरण का पर्यवेक्षण।</p> <p>6. दस जमा दो पाठशालाओं के अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति के सम्बन्ध में सर्तकता और सम्बन्धित प्राधिकारी को रिपोर्ट करना।</p>	<p>4. मिडल स्कूलों की वर्दी, किताबों एवं अन्य सामग्री का लक्षित समूह के विद्यार्थियों में वितरण।</p> <p>5. मिडल स्कूलों के छात्रावासों के रख-रखाव में सहायता करना।</p> <p>6. उच्च पाठशालाओं के भवनों तथा अन्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचों का रख-रखाव।</p> <p>7. मिडल/हाई स्कूलों के अध्यापकों, गैर शिक्षकों कर्मचारियों और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति के सम्बन्ध में सर्तकता और सम्बन्धित प्राधिकारी को रिपोर्ट करना।</p>	<p>4. प्राथमिक पाठशालाओं के लक्षित समूह के छात्रों में पाठ्य सामग्री के वितरण में सहायता करना।</p> <p>5. दोपहर के भोजन की योजना का पर्यवेक्षण।</p>



# मत्स्य विभाग

मत्स्य विभाग		
जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. सरकार के अनुमोदित मानक के अनुसार एफ0एफ0डी0ए0 स्कीम के अधीन अधिकतम 5 हैक्टेयर जल ढांचे के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण करने और एफ0एफ0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा वस्तुतः सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए तालाबों के निर्माण हेतु रुपये 40,000 से रुपये 1.00 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत करना। धनराशि की अदायगी एफ0एफ0डी0ए0 द्वारा होगी।</p> <p>2. मत्स्य अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से अन्य सुरक्षित जल ढांचों और मत्स्य अभ्यारणों से अवैध रूप से मछलियां पकड़ने वालों से शास्ति वसूल करने और अधिरोपित करने की शक्ति।</p>	<p>1. सरकार के अनुमोदित/एफ0एफ0डी0ए0 मानक के अनुसार एफ0एफ0डी0ए0 स्कीम के अधीन अधिकतम 3 हैक्टर जल ढांचे के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण करने हेतु और एफ0एफ0डी0ए0 पदधारियों द्वारा वस्तुगत सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए तालाबों के निर्माण और मुरम्मत के लिए रुपये 24,000 और रुपये 80,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत करना। धन की अदायगी सम्बन्धित एफ0एफ0डी0ए0 द्वारा होगी।</p> <p>2. मत्स्य विभाग की सहायता से मत्स्य पालन में प्रशिक्षण के लिए मत्स्य पालकों की पहचान करना और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।</p>	<p>1. सरकार के अनुमोदित/एफ0एफ0डी0ए0 मानक के अनुसार एफ0एफ0डी0ए0 स्कीम के अधीन अधिकतम एक हैक्टर जल ढांचे के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण करने और एफ0एफ0डी0ए0 के पदधारियों द्वारा वस्तुगत सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए तालाबों के निर्माण और मुरम्मत के लिए 8000 रुपये और 20000रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत करना। धन की अदायगी सम्बन्धित एफ0एफ0डी0ए0 द्वारा होगी।</p> <p>2. सामुदायिक तालाबों के निर्माण के लिए स्थलों की पहचान करना।</p>
<p>3. मत्स्य अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से अधिसूचित करना, सम्बन्धित जल-खण्डों को विकसित करना और उनका अनुरक्षण, प्रशिक्षण करना।</p> <p>4. मत्स्य पालन को विकसित करना और प्रोत्साहित करना।</p> <p>5. मत्स्य विभाग की सहायता से मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना और उनकी आपूर्ति करवाना।</p>	<p>3. मत्स्य पालकों को मत्स्य बीजों का वितरण करना और बीजों की मांग एकत्रित करना।</p> <p>4. मछली पालन को विकसित और प्रोत्साहित करना।</p> <p>5. विपणन के लिए सहकारी समितियों द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में मत्स्य उत्पाद के निपटान के लिए विपणन की सहायता उपलब्ध करवाना।</p>	<p>3. वर्तमान सामुदायिक तालाबों की मुरम्मत करना और नये सामुदायिक तालाबों का निर्माण करना।</p> <p>4. लाभार्थियों के सामुदायिक तालाबों को पट्टे पर देना और पट्टा राशि वसूल करने का अधिकार।</p> <p>5. सामुदायिक तालाबों का नियन्त्रण और रख-रखाव।</p>

		<p>6. ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर नदियों और नालों के जलीय प्राणी समूह का परीक्षण करना।</p> <p>7. ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर आने वाली नदियों व नालों में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले मछुवारों को जुर्माना करने/ अधिरोपित करने और जुर्माना वसूलने की शक्ति।</p>
--	--	---

# खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

**खाद्य एवं आपूर्ति विभाग**

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. उचित मूल्य की दुकानें/गोदाम खोलने हेतु सिफारिश करना।</p> <p>2. अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का पुनरीक्षण व स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर वस्तुओं की मांग का आकलन करना।</p>	<p>1. आवश्यक वस्तुओं की अपूर्ति व परिवहन का पर्यवेक्षण व अनश्रवण करना तथा पंचायत समिति क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरीक्षण करना।</p> <p>2. उचित मूल्य की दुकानों के अन्तर्गत लाए गए उपभोक्ताओं का अनुमान लगाना, विशेषतः कमजोर वर्गों के उपभोक्ताओं का।</p>	<p>1. उपभोक्ताओं के हित में पंचायत के कार्यक्षेत्र में आने वाली उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करना।</p> <p>2. शिकायत प्रतितोप एजेंसी के रूप में कार्यों का निपटान व उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यकता पड़ने पर निर्देश जारी करना।</p>
	<p>3. जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए योजना बनाना व समुचित पग उठाना।</p> <p>4. अपने कार्यक्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की सिफारिश करना/योजनाओं को बनाना/पुनरीक्षण करना।</p> <p>5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं का अन्य कल्याण योजनाओं के साथ समन्वय।</p> <p>6. जिला परिषद् को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे सूचना तथा विवरणी भेजना।</p> <p>7. उपभोक्ता संरक्षण/कल्याण की सूचना का <a href="#">प्रसार/प्रचारण</a>।</p>	<p>3. राशन कार्ड बनाना व जारी करना।</p> <p>4. जाली राशन कार्ड समाप्त करना।</p> <p>5. उचित मूल्य की दुकानों के स्थान निश्चित करना।</p> <p>6. उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय स्त्रोतों/धन का प्रबन्ध करना।</p> <p>7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास, समेकित बाल विकास परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास भोजन को भेजने इत्यादि के साथ जोड़ने हेतु पंचायत समिति को कार्ययोजना तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना।</p>

## वन विभाग

वन विभाग		
जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>(क) अन्य वनीकरण योजना:</p> <p>1. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के परामर्श से पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तावित अल्पार्थक योजनाओं को अन्तिम रूप देना एवं अनुमोदन।</p>	<p>1. ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित वन परिक्षेत्राधिकारी के समन्वय से चिन्हित भूमि हेतु योजनाओं को तैयार करना जिसमें नर्सरी की स्थापना भी शामिल है।</p>	<p>1. स्थानीय वन रक्षक/उप-वन परिक्षेत्राधिकारी के परामर्श से शामलात सामुदायिक तथा गैर-वन भूमि को वनीकरण हेतु चिन्हित करना। इसमें स्थान एवं प्रजातियों का पौधारोपण हेतु चयन तथा उस क्षेत्र का विवरण जिसमें रख-रखाव की आवश्यकता है भी समिन्तित है।</p>
<p>2. वार्षिक कार्य योजना का वन विभाग को प्रस्तुतिकरण तथा वन विभाग द्वारा निधि का आबटन जिला परिषदों को पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में आगामी आबटन हेतु प्रेषण। अनुमोदित अल्पार्थक योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण।</p> <p>3. वन विभाग को लेखा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।</p> <p>4. गतिविधियों का अनुश्रवण/मूल्यांकन।</p> <p>5. लाभांश पर किसी भी विवाद का निपटारा करना एवं इसका मूल्यांकन करना।</p> <p>6. कार्यान्वित कार्य योजना का मूल्यांकन।</p> <p>(ख) वनों की आग:</p>	<p>2. ग्राम पंचायतों द्वारा भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार अल्पार्थक योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।</p> <p>3. जिला परिषद् को समेकित लेखा तथा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।</p> <p>4. ग्राम पंचायतों के प्रबन्ध/सुरक्षा दायित्वों को सुनिश्चित करना।</p> <p>5. प्रेरणास्रोत का कार्य एवं लाभांश का सुनिश्चित करना।</p> <p>6. कार्य योजना को अनुमोदन करना।</p>	<p>2. ग्राम पंचायत द्वारा अल्पार्थक योजनाओं का निष्पादन।</p> <p>3. पंचायत समितियों को मासिक लेखा तथा भौतिक व वित्तीय प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण।</p> <p>4. निर्मित परिसम्पति के प्रबन्ध का दायित्व जिसमें रख-रखाव तथा परिसम्पति की सुरक्षा भी सम्मिलित है।</p> <p>5. निर्मित सम्पति से प्राप्त लाभांश का सरकार की निति के अनुसार वितरण।</p> <p>6. उपरोक्त जुटाए गए संसाधनों से प्राप्त राशि का विकास कार्यों में निवेश करने के लिए सुझाव देना और उसका कार्यान्वयन करना।</p>

<p>7. तालमेल/निगरानी एवं मूल्यांकन।</p> <p>8. वन विभाग को बार-बार जुर्म करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने बारे जैसे टी0डी0 के हक-हकूक समाप्त करना इत्यादि की सिफारिश करना।</p> <p>9. जंगल में आग के मामलों का मल्यांकन तथा भिन्न व्यक्तियों को अथवा जिस पंचायत ने इस बारे बहुत उत्तम काम किया हो उन्हें पुरस्कृत करने हेतु सिफारिश करना। यह पुरस्कार वन विभाग के माध्यम से दिया जाएगा।</p>	<p>7. वनों की आग से बचाने के लिए ग्राम पंचायत को विभिन्न निर्देश एवं कार्यविधि प्रेषित करना।</p> <p>8. बड़े जुर्म और बार-बार जुर्म करने वालों को सजा देने बारे सिफारिश करना।</p> <p>9. समेकित रिपोर्ट भेजना।</p>	<p>7. वनों को आग में बचाने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग सुनिश्चित करना तथा वनों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्नि शमन समिति का गठन करके वन विभाग को सहायता देना।</p> <p>8. उन लोगों के बारे में, जो आग बुझाने में सहायता न करें, रिपोर्ट करना।</p> <p>9. समवबद्ध रिपोर्ट भेजना।</p>
<p>(घ) लघु वन उपजः</p> <p>10. लोगों में लघु वन उपज के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना।</p> <p>(ङ) अतिक्रमणः</p> <p>11. नाजायज कब्जे को छुड़ाने के लिए वन विभाग के साथ तालमेल करना।</p> <p>(च) नाजायज कटान/शिकारः</p> <p>12. नाजायज कटान तथा शिकार के न करने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा इन जुर्मों का मूल्यांकन करना।</p>	<p>10. जरूरत से ज्यादा निकाली गई सम्पाद बारे मूल्यांकन करना तथा इसे सुचारू रूप से निकालने के लिए वन विभाग को सुझाव देना।</p> <p>11. सम्बन्धित वन परिक्षेत्राधिकारी की मासिक समेकित रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।</p> <p>12. सम्बन्धित वन परिक्षेत्र अधिकारी को इस सम्बन्ध में आगामी कार्यावाही हेतु समेकित रिपोर्ट भेजना।</p>	<p>10. लघु वन उपज की उपलब्धता का मूल्यांकन करना तथा इसके नाजायज इस्तेमाल पर रिपोर्ट करना।</p> <p>11. नाजायज कब्जों के बारे में सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 को रिपोर्ट करना।</p> <p>12. वनों में नाजायज कटान व शिकार को रोकना और इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित डीएफओ को देना। वन रक्षक द्वारा अपनी बीट में की गई गश्त पर निगाह रखना।</p>



	<p>13. अपने क्षेत्र में वर्गीकरण पौधरोपण और नर्सरी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सम्बन्धित वन अधिकारी को सूचित करना।</p> <p>14. वन विभाग के भू-संरक्षण कार्य का पर्यवेक्षण।</p> <p>15. वन्य प्राणियों के अभिरक्षा का पर्यवेक्षण।</p>	<p>13. अपने क्षेत्र में वनीकरण पौधरोपण और नर्सरी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सम्बन्धित वन अधिकारी को सूचित करना।</p> <p>14. वन विभाग के भू-संरक्षण कार्य का पर्यवेक्षण।</p> <p>15. वन्य प्राणियों के अभिरक्षा का पर्यवेक्षण।</p>
--	--	--

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. ग्रामीण अस्पतालों और सी0एच0सी के कार्यकलापों की देख-रेख करने, उनमें सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनमें कार्यरत सभी कर्मचारी अपनी नियुक्ति के स्थान पर रहते हैं, हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति का गठन करना। मण्डलीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों और रैफरल अस्पतालों को समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष, समिति के सभापति तथा अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक, खण्ड चिकित्सा अधिकारी और जिला परिषद के सदस्य इसके सदस्य होंगे।</p> <p>2. समिति टी0बी0लैपरोसी तथा एडस जैसे संक्रामक रोगों तथा महामारियों का नियन्त्रण करने हेतु नीति निर्धारण करेगी तथा आई0ई0सी (सूचना, शिक्षा तथा प्रसार) का अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित, बढ़ावा देना।</p> <p>3. परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य शिक्षा हेतु शिविरों का आयोजन करने के लिए योजना तैयार करना।</p>	<p>1. स्वास्थ्य उप केन्द्रों और आवासीय भवनों का निर्माण।</p> <p>2. समिति के क्षेत्र में स्थानीय पंचायत की सहायता से विभागीय शौचालयों का निर्माण।</p> <p>3. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन और राष्ट्रीय कार्यक्रमों बारे जागरूकता पैदा करने हेतु मेलों व प्रदर्शनों का आयोजन करना।</p> <p>4. अपने क्षेत्र में संक्रामक रोगों, महामारियों से निपटाने हेतु विभागीय कर्मचारियों के सहायोग से प्रभावशाली पग उठाना।</p> <p>5. स्वास्थ्य संस्थानों के कार्यकलापों की देख-रेख व उनमें सुधार लाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सी0डी स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समितियों का गठन करना जिनमें खण्ड चिकित्सा अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य, पुरुष/महिला सुपरवाइजरज इत्यादि शामिल होंगे। अध्यक्ष पंचायत समिति उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सी0डी में कार्यरत सभी कर्मचारी अपनी नियुक्ति के स्थान पर निवास करते हैं।</p>	<p>1. प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान के कार्यकलापों की देखरेख तथा उरनमें सुधान लाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समितियों का गठन करना जिनमें पंचायत सदस्य, औपिनियन लीडर, प्रशिक्षित दाईयां, पुरुष/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इत्यादि शामिल होंगे। पंचायत प्रधान जिनके क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थान पड़ता है, समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्वास्थ्य उप केन्द्रों में नियुक्त सभी कर्मचारी अपनी नियुक्ति के स्थान पर रहते हैं।</p> <p>2. सफाई रास्तों तथा नालियों की समुचित सफाई, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने हेतु कुओं, बावडियों को क्लोरिन युक्त करना तथा आवारा कुत्तों को मारने और ठिकाने लगाने की व्यवस्था करना।</p> <p>3. स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।</p> <p>4. डी0डी0टी0 स्प्रे के दौरान स्प्रे करने वाली टीम की सहायता करना।</p> <p>5. परिवार नियोजन उपायों को अपनाने/ टीकाकरण इत्यादि बारे जनता को प्रोत्साहित करना और ऐसे शिविरों का आयोजन करना।</p>

		<p>6. आन्वशोध और किसी अन्य महामारी के फैलने बारे विभाग को सूचित करना और स्वास्थ्य समितियों की सहायता से रोकथाम उपाय आरम्भ करना ।</p> <p>7. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना ।</p> <p>8. ग्रामीण स्तर पर नालियों का रखरखाव तथा निर्माण और कूड़े कचरे का निवारण करना ।</p>
--	--	---

## उद्यान विभाग

<b>उद्यान विभाग</b>		
<b>जिला परिषद</b>	<b>पंचायत समिति</b>	<b>ग्राम पंचायत</b>
<p>1. पंचायत समितियों को सौंपे गये औद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा/ अनुश्रवण व देख-रेख।</p> <p>2. उद्यान विभाग के साथ औद्योगिकी विकास के सभी कार्यक्रमों के लिए समन्वय/सम्पर्क बनाए रखना।</p> <p>3. अभियानों, मेलों, भेंटवार्ताओं, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन।</p> <p>4. औद्योगिकी उत्पादन के लिए पैकिंग सामग्रियों के प्रापण तथा वितरण में समन्वय व अनुश्रवण।</p> <p>5. मण्डी मध्यस्थ योजना/समर्थन मूल्य के अन्तर्गत फलों के प्रापण में समन्वयन व अनुश्रवण।</p>	<p>1. ग्राम पंचायतों को सौंपे गए औद्योगिकी सम्बन्धी सभी कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा/ अनुश्रवण व देख-रेख</p> <p>2. औद्योगिकी इनपुट (कीटनाशक, फंफूद नाशकों को छोड़कर) की वितरण प्रणाली को नियोजित करना।</p> <p>3. बागवान प्रशिक्षण शिविरों, अध्ययन भ्रमणों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना।</p> <p>4. औद्योगिकीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रजातियों, तकनिकों/पैकेज आफ प्रैक्टिसिज आदि पर प्रदर्शनों का आयोजन करना।</p>	<p>1. लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उद्यान विभाग की विभिन्न उपदान स्कीमों के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन एवं पहचान करना।</p> <p>2. किसान सभाओं व औद्योगिकी उत्पादक सहकारी सभाओं के गठन को बढ़ावा देना।</p> <p>3. फलों के लिए मण्डी मध्यस्थ योजना/समर्थन मूल्य स्कीम के अन्तर्गत फल प्रापण केन्द्रों की देख-रेख करना।</p> <p>4. ग्रामवार उद्यान गणना का संचालन।</p> <p>5. प्रत्येक जलागम के लिए कार्य योजना तैयार करना।</p> <p>6. औद्योगिकी उत्पादों की पैकिंग सामग्रियों का प्रबन्ध, प्रापण व वितरण करना।</p>

## उद्योग विभाग

<b>उद्योग विभाग</b>		
<b>जिला परिषद्</b>	<b>पंचायत समिति</b>	<b>ग्राम पंचायत</b>
<p>1. विभाग की जिला कार्यकारी योजना पंचायत समिति से विचार-विमर्श के उपरान्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला परिषद् को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके पश्चात् निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित की जाएगी।</p>	<p>1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तैयार की गई विभाग की जिला कार्यकारी योजना के प्रारूप पर पंचायत समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा जिसमें अग्रिण बैंक अधिकारी भी भाग लेगा।</p>	<p>— — —</p>
<p>2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक माह विभिन्न बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित प्रकरणों की सूची भेजेंगे। इसके अतिरिक्त वह पिछले सिफारिश किए गए ऋण प्रकरणों की वर्तमान स्थिति से भी अवगत करवाएंगे। सम्बन्धित बैंक प्रत्येक माह मूल्यांकन हेतु ऋण चूककर्ता की सूची जिला परिषद् को भेजेगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इसी तरह की सूचना विभागीय ऋणों के सम्बन्ध में जिला परिषद् को उपलब्ध करवाएगा।</p>	<p>2. औद्योगिक इकाईयों को ऋण प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई पत्र की प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति को पृष्ठांकित की जाएगी।</p>	<p>2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सिफारिश किए गए ऋण प्रकरणों की प्रतिलिपि भेजेंगे।</p>
<p>3. जिला परिषद् द्वारा उपलब्ध कुशलता से सम्बन्धित सूचना को एकत्रित किया जाएगा तथा औद्योगिक इकाईयों की आवश्यकता ऐच्छिक व्यक्तियों की सूची तैयार करके तथा उस पर प्राथमिकता अंकित करके उद्योग विभाग को कुशलता विकास कार्यक्रमों के अयोजन हेतु भेजी जाएगी।</p>	<p>3. उद्योग विभाग द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति को उनके क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों में मानव शक्ति कुशलता की जानकारी दी जाएगी। पंचायत समिति द्वारा उस क्षेत्र में उपलब्ध कुशलता की सूचना दी जाएगी। यदि किसी विशेष प्रकार की दक्षता उपलब्ध न हो तो पंचायत समिति द्वारा जिला परिषद् को ऐसे व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी जो इस विशेष दक्षता को सीखने के लिए इच्छुक हों।</p>	<p>— —</p>



<p>4. जिला परिषद् द्वारा औद्योगिक जागरूकता एवं उद्यमी विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आवश्यक सूचना को एकत्रित करना। इसका अतिरिक्त विशेष वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और अन्य वर्गों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना ताकि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। इसके उपरान्त जिला परिषद् द्वारा प्राथमिकता अंकित करके कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उद्योग विभाग की सिफारिश की जाएगी।</p>	<p>4. पंचायत समिति द्वारा अपने क्षेत्र में औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम/औद्योगिक विकास कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा तथा प्रस्तावित व्यक्तियों के समूहों का भी चयन किया जाएगा जिसकी सूचना जिला परिषद् को भेजी जाएगी।</p>	<p>---</p>
<p>5. प्रधान मन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत व्यक्तियों को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला उपमण्डल तथा खण्ड स्तर पर विकासायुक्त लघु उद्योग भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला टास्क फोर्स समिति में अध्यक्ष जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा।</p> <p>6.(1) जिला परिषद् पंचायत समिति द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा जो उसे उचित लगे वह निर्णय लेगी।</p> <p>(2) जिला परिषद् यदि उचित समझे तो किसी भी पंचायत समिति के लिए स्वयं भी भूमि को चिन्हित कर सकती है।</p>	<p>5. प्रधानमन्त्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण दस्तकार/ग्रामीण औद्योगिक योजना के अन्तर्गत लाभार्थी दस्तकारों की पहचान व चयन का कार्य खण्ड स्तर पर किया जाता है। अध्यक्ष पंचायत समिति एक सदस्य को मनोनीत करेगा जो इन योजनाओं के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों की पहचान व चयन करेगा। प्रसार अधिकारी उद्योग इस चयन समिति का कार्यकारी सचिव नियुक्त कया जाएगा। प्रधान मन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रकरणों को तैयार व उनकी समीक्षा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी।</p> <p>6.(1) पंचायत समिति ग्राम पंचायत की रेशम गतिविधियों से सम्बन्धित सिफारिशों पर विचार करेगी तथा अनितम निर्णय बजट प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए किया जाएगा।</p> <p>(2) इसी अवधि के दौरान पंचायत समिति स्वयं भी अपने क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायत में ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव आरम्भ कर सकती है।</p> <p>(3) यह कोकून के विपणन का कार्य करेगी।</p>	<p>---</p> <p>6. ग्राम पंचायत शहतूत फार्मों/नर्सरियों तथा चौकी केन्द्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के टुकड़ों को चिन्हित करेगी तथा पंचायत समिति को इस पर उचित निर्णय लेने की सिफारिश करेगी।</p>

	(4) सम्बन्धित मण्डलीय रेशम अधिकारी इस योजना के लिए रखी गई निधि बजट को मध्यनजर रखते हुए पंचायत समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे।	
<p>7. इस समय सम्भावित उद्यामी अपनी परियोजनाओं को अनुमोदन एवं पंजीकरण के उपरान्त औद्योगिक प्लॉट एवं शैड प्राप्त करने के लिए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रार्थना पत्र देते हैं। जिला स्तर पर प्लॉट आवंटन समिति जिसका अध्यक्ष महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा जिला परिषद् का एक सदस्य होगा के द्वारा सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार के उपरान्त प्लॉटों एवं शैडों का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन के समय में उद्यमियों की आवश्यकता प्लॉटों एवं शैडों की उपलब्धता तथा सरकार की नीति को ध्यान में रखा जाता है।</p>	<p>7. (1) पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्रों को दी गई योजनाओं का परीक्षण करेगी तथा इन पर जिला परिषद् की सिफारिश करने से पहले उचित कार्यवाही करेगी।</p> <p>(2) सम्बन्धित पंचायत समिति स्वयं भी अपने क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र/बस्तियों को स्थापित करने हेतु भूमि को चिन्हित कर सकती है तथा निर्णय के लिए ऐसे प्रस्तावों को जिला परिषद् को भेज सकती हैं</p>	<p>7. ग्राम पंचायत औद्योगिक क्षेत्रों/बस्तियों को स्थापित करने के प्रस्ताव को अग्रेषित कर सकती है बशर्ते इसके लिए पंचायत में पर्याप्त भूमि का टुकड़ा उपलब्ध हो।</p>

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

**सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. एक से अधिक विकास खण्डों को लाभान्वित करने वाली, जनसंदाय सहित, सम्भावित योजनाओं की पहचान।</p> <p>2. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्यों के निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट तरीके अपनाने सम्बन्धी मामलों की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना।</p>	<p>1. जल प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण।</p> <p>2. एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली, जल संदाय सहित, सम्भावित योजनाओं की पहचान।</p> <p>3. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट तरीके अपनाने सम्बन्धी मामलों की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना।</p>	<p>1. हैडपम्पों का सरसरी रख-रखाव। कर्मचारी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।</p> <p>2. एक लाख या इससे कम धनराशि निर्मित पेयजल या सिंचाई की योजनाओं का सरसरी रख-रखाव।</p> <p>3. जल प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण।</p> <p>4. ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सम्भावित योजनाओं की पहचान।</p> <p>5. चालू पेयजल परियोजनाओं की स्थिति से सम्बन्धित सूचना पंचायत द्वारा विहित प्राधिकारी को दी जाएगी।</p>
		<p>6. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट तरीके अपनाने सम्बन्धित मामलों को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना।</p>

# लोक निर्माण विभाग

## लोक निर्माण विभाग

जिला परिषद्	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. गांव के सम्पर्क मार्ग, खच्चर सड़कें, गांव के रास्तों, क्वार्टर्स और इन सड़कों तथा रास्तों पर 10मी स्पैन तक बने चलने वाले पुलों की पहचान।</p> <p>2. पंचायत समिति द्वारा जैसेकि सड़कों तथा क्वार्टर्स का निर्माण और इन सड़कों तथा रास्तों पर बने 10मी0 स्पैन वाले पुलों के कार्यों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना।</p> <p>3. जिला परिषद् से सम्बन्धित भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव।</p> <p>4. पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित भवनों के निर्माण का निरीक्षण।</p> <p>5. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के घोर दुरुपयोग तथा गलत तरीके अपनाने सम्बन्धी मामलों को विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना।</p>	<p>1. खच्चर सड़कों की पहचान, निर्माण तथा रख-रखाव तथा गांवों के सम्पर्क मार्गों की पहचान।</p> <p>2. पंचायत समिति से सम्बन्धित भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव।</p> <p>3. उन ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव जोकि लोक निर्माण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्था को स्थानान्तरित की गई है।</p> <p>4. गांवों के रास्तों तथा खच्चर सड़कें पर आने वाली नदियों को पार करने के लिए झूलों का निर्माण तथा रख-रखाव।</p> <p>5. ग्राम पंचायत द्वारा भवनों के निर्माण का निरीक्षण।</p>	<p>1. गांवों के सम्पर्क मार्गों की पहचान।</p> <p>2. गांवों के रास्ते, क्वार्टर्स तथा गलियों की पहचान, निर्माण तथा रख-रखाव।</p> <p>3. गोवों के रास्तों पर आने वाले नालों पर 10 मीटर स्पैन तक बने छोटे पुलों का निर्माण तथा रख-रखाव।</p> <p>4. ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव।</p> <p>5. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के घोर दुरुपयोग तथा गलत तरीके अपनाने सम्बन्धी मामलों को विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना।</p>
	<p>6. गांवों के रास्तों, क्वार्टर्स तथा गांवों की गलियों के निर्माण का निरीक्षण।</p> <p>7. गांवों के रास्तों/खच्चर पर आने वाले नालों तथा खड्डों पर 10 मीटर स्पैन तक के पुलों के निर्माण का निरीक्षण।</p>	

	<p>8. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के घोर दुरुपयोग तथा गलत तरीके अपनाने सम्बन्धी मामलों को विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना।</p>	
--	---	--

# राजस्व विभाग



**राजस्व विभाग**

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. खण्ड स्तर पर राजस्व सम्बन्धी मामलों के कर्तव्यों और कार्यों का निरीक्षण करना।</p> <p>2. राजस्व कर्मचारियों को भूमिहीन तथा मकानहीन व्यक्तियों की पहचान में सहायता देना और सरकारी भूमि के प्रयोग के लिए नीति निर्धारण करना तथा जिला स्तर ऐसी भूमि के बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।</p>	<p>1. खण्ड स्तर पर सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा हटाने बारे नीति निर्धारण करना तथा पंचायत को सौंपे गये कार्य का निरीक्षण करना।</p> <p>2. राजस्व कर्मचारियों को भूमिहीन तथा मकानहीन व्यक्तियों की पहचान में सहायता देना और सरकारी भूमि के प्रयोग के लिए नीति निर्धारण करना तथा खण्ड स्तर पर ऐसी भूमि के बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।</p>	<p>1. विपेज कामन लैण्ड पर नाजायज कब्जे को बचाना जिसका प्रबन्धन पंचायत को सौंपा गया है।</p> <p>2. पटवारी मासिक कार्य तालिका को पटवार खने के नोटिस बोर्ड पर लगायेंगे जिसमें उसके पंचायत क्षेत्र में जाने के दिन निश्चित होंगे। इसमें यदि कोई फेर-बदल हो तो इस बारे वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सूचना देगा।</p> <p>3. यह सुनिश्चित करना कि किसान पास बुक सभी पात्र व्यक्तियों के लिए जारी की गई है और उन्हें नियमित अद्योदन शुद्धि किया गया हो।</p> <p>4. यदि कोई किसान राजस्व सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त करने के लिए कठिनाई समझे तो वह पंचायत को प्रार्थना पत्र देगा जोकि इस सम्बन्ध में पटवारी को वांछित राजस्व सम्बन्धी अभिलेख पंचायत के माध्यम से सात दिन के भीतर देगा।</p>
		<p>5. मुहाल का पटवारी पंचायत मुख्यालय में भू-अभिलेख की प्रतियां जैसे जमाबन्दी और वाजिब-उल अर्ज सामान्य जनता के अवलोकनार्थ रखेगा।</p> <p>6. प्राकृतिक आपदाओं में राहत देने के लिए प्रशासन की मदद करना।</p> <p>7. जन-सम्पदा तथा भूमि पर से नाजायज कब्जा हटाना।</p>

<p>3. बैधिक रूपा से संस्थापित प्रशासन जो सभी अवस्थाओं में सीधे रूप में तथा पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक सहायता देना जैसी भी स्थिति में हो।</p>	<p>3. बैधिक प्रशासन को बैधिक कार्यवाही में मदद करना(उदाहरणतया सूचनाओं का प्रकाशन सारे क्षेत्र में करना, ग्राम पंचायत क्षेत्र आदि में भूमि को चिन्हित करना)</p>	<p>8. पंचायत को सीमा स्तम्भ की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा उनके मिटाने व नष्ट करने पर दोषी व्यक्तियों को उचित सजा देने की शक्तियां देना।</p> <p>9. पंचायत के बारे आवश्यक संख्यायिकी का रख-रखाव करना।</p> <p>3. भू-जीत सीमा सम्बन्धी मापदण्ड का कार्यन्वयन:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. फालतू भू-मालिक/उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाले पूरी भूमि की पहचान में मदद करना।</li> <li>2. बैधिक संस्थाओं को बैधिक कार्यवाही करने में सहायता देना।</li> <li>3. ऐसे परिवारों/व्यक्तियों को जिन्हें भूमि आवंटन की आवश्यकता हो, की पहचान करने में सहायता करना।</li> <li>4. भू-विकास तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपाय व्यक्तिगत आंवटियों या उनके समूहों को संगठित करने में सहायता देना।</li> </ol>
<p>4. भू-जोत सीमा तथा भू-सुधारों के तत्वों को सुविधाजनक करने के लिए लोकमत तैयार करना।</p>	<p>4. ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल में सहायता करना।</p>	<p>4. मुजारियत सम्बन्धी उपायोग का कार्यन्वयन:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुजारियत(हिस्सेदारी में मुजारियत) उनके अवस्था जो खुलआम व गुप्त रूप में हो उनके पहचान करने में मदद करना।</li> <li>2. वैधिक संस्थाओं के कार्यों तथा मुजारियत हकों को नियमित तथा प्राप्त करने में बैधिक संस्था को मदद करना तथा मलकीयत हकूक देना जैसी भी स्थिति हो।</li> <li>3. दस्तावेजों तथा गैर-दस्तावेजों साक्षी को क्रमबद्ध</li> </ol>

		करना विशेषतायां कब्जे पर तथा भूमि के इस्तेमाल से सम्बन्धों पर लोकमत तैयार करना।
5. समय-समय पर सारे जिला परिषद के क्षेत्र में कार्य की समीक्षा करना तथा पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को कार्यन्वयन तथा समीक्षात्मक कार्य करने में सलाह देना तथा हिदायत देना।	5. ग्राम पंचायतों के बारे में भू-सुधार सम्बन्धी उपायों के आंकड़े का भू-संकलन करना तथा ऐसे उपायों की ग्राम पंचायत के क्षेत्र में प्रगति की परीवेक्षण करना। जिला क्षेत्र में जिला परिषद की मूल्यांकन करने में मदद करना।	1. विधि द्वारा स्थापित उदारहणतया प्रस्तावित योजना को अनुमोदन करना स्थानीय लोगों का विभिन्न स्तर पर विधि द्वारा स्थापित कार्यों में लोगों को सम्मिलित करना।
	6. राजस्व प्रविष्टियों में अनुचित फेरबदल, बदसलूकी, दस्तावेजों में हेराफेरी, गलत प्रमाण पत्रों को जारी न करने और प्रमाणिक मामलों में प्रमाण पत्रों को जारी करने सम्बन्धि तथ्यों को क्षेत्र के उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) को रिपोर्ट करना।	2. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैधिक संस्था गैर दस्तावेजों आंकड़ों की सहायता करना जैसे कि कब्जा प्रयोग तथा भूमि का उपयोग भू-सम्बन्धि कार्यों का वर्गीकरण करना, शामिलता भूमि तथा जन सम्पदा की व्यवस्था के आंकड़ों की मदद करने में आदि।  3. भू-उकत्रीकरण के बाद उनके दिये गये प्लानों का कब्जा जो कि कार्यन्वयित समझौते के वास्तविक भूमि के अनुसार हो। वैधिक संस्था को सहायता सुनिश्चित करना।  4. ग्राम सभा को भू-उकत्रीकरण करवाने हेतु प्रस्ताव पारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।  भू-अभिलेख का रख-रखाव तथा नवीनीकरण करने में भागीदारी:  1. प्रस्तावित संस्था जहां कि वह अलग तौर से स्थापित की गई है को मौसमवार कृषि भूमि के सम्बन्धी आंकड़ों का अद्योतन की लगातार मदद करना।  2. समय-समय पर विपेज कामन लैण्ड की वास्तविक स्थिति जैसे कि चारागाह बंजर

		<p>भूमि पानी के जलाशय, कार्यों को अद्योतन करने में समय समय पर मदद करना।</p> <p>3. वैधिकसंस्थाओं को भू-सम्बन्धी रिकार्ड (हकूक सम्बन्धी अभिलेख) और इन्तकाल की कार्यवाही को अद्योतन करने में सहायता करना।</p> <p>विपेज कामन लैण्ड आदि का रख-रखाव व सुरक्षा-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सारी सांझी स्थानीय सम्पत्ति को ठीक हालत में रखने की मुख्य जिम्मेवारी निर्धारित करना। ऐसी सम्पत्ति पर देखभाल करना ताकि उन पर नाजायज कब्जा न हो या ऐसे इस्तेमाल के लिये भूमि का प्रयोग बदल दिये गये हों जो स्थानीय लोगों के प्रयोग में न हों।</li> <li>2. ऐसी जगहों को चिन्हित करना जिन्हे अवैधानिक तरीके से बदल दिया गया हो या उचित अधिकारियों को उसके उचित कार्यवाही के लिये सूचना देना।</li> <li>3. ऐसी अधिकारियों की कार्यवाही करने के लिये साक्षी एकत्रित करने का प्रावधान करने में सहायता देना।</li> <li>4. भूमि के इस्तेमाल के पक्ष में सम्पत्ति और उसके ढलान आदि के समरूप भूमि के प्रयोग के लिये जनमत तैयार करना।</li> </ol>
--	--	---

## ग्रामीण विकास विभाग

**ग्रामीण विकास विभाग**

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन और महिला अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के आई0आर0डी0पी0 लाभार्थियों को इन कार्यक्रमों के अधीन लाना।</p> <p>2. विपणन संरचनात्मक ढांचे/विपणन नेट वर्क का विकास करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित अवस्तुओं के लिए सम्बन्धात्मक प्रबन्ध करना।</p> <p>3. विकास कार्यक्रमों को पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर संकेन्द्रित करना।</p> <p>4. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अधीन दिये जाने वाले अनुदान एवं ऋण का बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के समन्वय से अनुश्रवण करना।</p> <p>5. सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों में वाटर शैड(जलागम) मार्ग दर्शिकाओं का व्यापक प्रचार करना।</p>	<p>1. पंचायत समिति के कार्य क्षेत्र में जिला ग्रामीण अभिकरण द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई धराशि का निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित कराना।</p> <p>2. आई0आर0डी0पी0 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।</p> <p>3. अनुदान एवं प्रदान करने हेतु बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।</p> <p>4. लाभार्थियों को विकास पत्रिकाओं एवं पुस्तिकाओं के विवरण का अनुश्रवण करना।</p> <p>5. आई0आर0डी0पी0 इत्यादि कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदान की गई परिसम्पतियों एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।</p>	<p>1. आई0आर0डी0पी0 अट्राईसम तथा डवाकरा कार्यक्रमों की निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार लाभार्थियों की पहचान एवं चयन करना।</p> <p>2. आई0आर0डी0पी0/ट्राईसम/डवाकरा कार्यक्रमों के कार्यन्वयन का पयवेक्षण करना।</p> <p>3. सामुदायिक परिसम्पतियों जैसे पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, महिला/युवक मण्डल भवनों तथा आई0आर0डी0पी0 खोखों का स्वामित्व एवं रख-रखाव करना।</p> <p>4. ऋण वसूली के कार्य में वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।</p> <p>5. आई0आर0डी0पी0 लाभार्थियों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहयोग प्रदान करना।</p>

<p>6. स्थानीय उपर्युक्त प्रौद्योगिकाओं की पहचान करना।</p>	<p>6. ऋण वसूली के कार्य में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना।</p> <p>7. ग्रामीण निर्धनों के लिए विभिन्न बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की देख-रेख करना।</p> <p>8. जवाहर रोजगार योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायतों को खाद्यानों की पूर्ति में सहयोग करना तथा इसका अनुश्रवण करना।</p> <p>9. इन्दिरा आवास योजना/गांधी कुटीर योजना/ग्रामीण स्वच्छता/केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पर्यर्वक्षण लिए अध्यक्ष पंचायत समिति की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति गठित होगी। सम्बन्धित उप-मण्डल अधिकारी(नागरिक) खण्ड विकास अधिकारी तथा पंचायत समिति के कुछ सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे। यह समिति इन योजनाओं के अधीन लाभार्थियों के गलत चयन के बारे में लोक शिकायतों का श्रवण एवं निपटारा भी करेगी।</p> <p>10. पंचायत समिति की सामुदायिक परिसम्पतियों के दुरुपयोग को रोकना।</p> <p>11. पंचायत समिति की सामुदायिक परिसम्पतियों से प्राप्त उत्पाद की नीलामी कराना।</p>	<p>6. जे0आर0वाई/आई0जे0आर0वाई0/सुनिश्चित रोजगार योजना के अधीन किये जाने वाले कार्यों का चयन तथा उनके कार्यान्वयन के लिए ग्राम योजनाये तैयार करना।</p> <p>7. सम्बन्धित विभागों के तकनीकी कर्मचारियों से तकनीकी सहायता प्राप्त करना।</p> <p>8. रोजगार सृजन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करना।</p> <p>9. जे0 आर0 वाई0/आई0 जे0 आर0 वाई0/सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत खाद्यानों का वितरण करना।</p> <p>10. जे0आर0वाई0/आई0जे0वाई0/सुनिश्चित रोजगार योजना के अधीन सृजत परिसम्पतियों का रख रखाव करना।</p> <p>11. इन्दिरा आवास योजना/गांधी कुटीर योजना के अधीन लाभार्थियों का चयन करना।</p>
---	---	--

	<p>12. केन्द्रीय/राज्य ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।</p> <p>13. पंचायत समिति स्तर पर साप्ताहिक मण्डियों के लिए/मेला स्थलों का विकास एवं रख रखाव करना।</p>	<p>12. केन्द्रीय एवं राज्य ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।</p> <p>13. परिसम्पतियों/अनुदान और ऋण दुरुपयोग की सम्बन्धित विभाग को रिपोर्ट करना।</p> <p>14. वाटर शैड कार्यक्रम के लिए ग्राम स्तर पर उपभोक्ता समूहों का गठन एवं प्रेरित करना।</p> <p>15. जलागम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना।</p> <p>16. ग्रामीण मेलों/मण्डियों के लिए स्थलों का विकास एवं उनका रख रखाव करना।</p> <p>17. ग्राम पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियों से प्राप्त उत्पाद की नीलामी करना।</p> <p>18. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य तथा समाज एवं महिला कल्याण विभागों के परामर्श से लाभार्थियों के चयन में सहयोग प्रदान करना।</p> <p>19. राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना।</p>
--	--	--



समाज एवं महिला कल्याण विभाग

समाज एवं महिला कल्याण विभाग		
जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>(क) समेकित बाल बिकास सेवायें</p> <p>1. जिले में चलाई जा रही स्कीमों का अनुश्रवण करना।</p>	<p>1. पंचायत समिति क्षेत्र में कार्य कर रहे परियोजना स्टाफ का मार्गदर्शन एवं सहयोग देना।</p>	<p>1. लाभार्थियों को केन्द्र तक लाने में सहयोग देना और पौषाहार के सिवाये आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन आंगनवाड़ी कार्यकताओं/ सहायिकाओं का स्थानान्तरण।</p>
<p>(ख) अपंगों का कल्याण:</p> <p>2. जिले में अपंगों को पुर्नवास हेतु स्वयं सेवी संस्थओं को भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान का निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।</p> <p>3. कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता से स्वयं सेवी संगठनों को अपंगों/ कुष्ठ रोगियों की पहचान तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग देना।</p> <p>4. अपंगों के लिए खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।</p>	<p>2. ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण करना तथा निधि स्थानान्तरण।</p> <p>3. कार्यक्रम को चलाने बारे मूलाधार सुविधायें एवं अन्य सहायता प्रदान करना।</p> <p>4. अपंगों/कुष्ठ रोगियों की पहचान करना तथा उनके पुर्नवास करने के लिए जिला परिषद के साथ समन्वय स्थापित करना।</p>	<p>2. अपंगों/कुष्ठ रोगियों की पहचान करना तथा उनके पुर्नवास के लिए खण्ड एवं जिला परिषद् के साथ समन्वय स्थापित करना।</p>

<p>(ग) वृद्धों का कल्याण:</p> <p>5. कल्याण मन्त्रालय/राज्य सरकार की सहायता से स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान से वृद्ध आश्रमों की देख-रेख चलाना तथा असहायक वृद्धों एवं उन्हें आश्रमों में रहने हेतु सहयोग देना।</p> <p>6. मादक द्रव्यों से प्रभावित लोगों में शिक्षा एवं उनमें जागरूकता लाना।</p>	<p>5. जिला परिषद् के साथ समन्वय स्थापित करना।</p> <p>6. जिला परिषद के साथ समन्वय स्थापित करना।</p>	<p>3. पंचायत समिति के साथ समन्वय स्थापित करना।</p> <p>5. पंचायत समिति के साथ समन्वय स्थापित करना।</p>
<p>7. स्वयं सेवी संगठनों की पहचान करना तथा उन्हें मादक द्रव्यों से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता कैम्प का आयोजन करना तथा नशे की आदत को छोड़ने बारे परामर्श/प्रोत्साहित करना। इन कैम्पों के लिए निधि स्थानान्तरण करना।</p>	<p>7. जिला परिषद् के साथ समन्वय स्थापित करना।</p>	<p>5. पंचायत समिति के साथ समन्वय स्थापित करना।</p>
<p>(ड.) किशोर न्याय प्रशासन:</p> <p>8. उपेक्षित एवं अपराधी किशोरों के गृहों का निरीक्षण करना।</p> <p>(च) अस्पृश्यता का उन्मूलन:</p> <p>9. नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1955 को लागू करने के लिए जिला पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।</p> <p>10. अस्पृश्यता को समाप्त करने बारे प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को (अस्पृश्यता सप्ताह मनाना तथा निधि का स्थानान्तरण)</p>	<p>8. अस्पृश्यता से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पांयत को पुरस्कृत करना तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1955 के अन्तर्गत जागरूकता लाने हेतु कैम्पों का आयोजन करना निधि का स्थानान्तरण करना।</p>	<p>6. अनुसूचित जाति के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण प्रथा की पहचान के सम्बन्ध में:-</p> <p>(क) सार्वजनिक शमशान घाटों में प्रवेश्यता।</p> <p>(ख) सार्वजनिक पीने के पानी स्रोतों में प्रवेश्यता।</p> <p>(ग) गांव में चाय के ढाबों में अलग वर्तनों का इस्तेमाल।</p> <p>(घ) नाई और धोबी की सेवाओं का नकारना।</p> <p>(ड) बारात की शोभा यात्रा निकालना। सम्बन्धित ग्राम पांयत यह सुनिश्चित करेगी कि गांव में इस प्रकार की भेदभाव पूर्ण प्रथा न हो, यदि ऐसी प्रथा पाई जाती है तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रोकथाम हेतु ब्यापक कदम उठाये जाये।</p>

<p>(छ) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण:</p> <p>11. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 को लागू करने बारे समन्वय स्थापित करना।</p>	<p>9. अधिनियम में दिए गए प्रावधानों बारे लोगों में जागरूकता लाने हेतु कैम्पों का आयोजन करना। निधि का स्थानान्तरण करना।</p>	<p>7. अत्याचार से पीड़ित लोगों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय सहायता उनकी मांग अनुसार प्रदान करना।</p>
<p>(ज) मेला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुर्नवास:</p> <p>12. मैला ढोने वालों की पहचान एवं उनका सत्यापन करना।</p> <p>(ज) हरिजन बस्तियों का सुधार</p> <p>13. अनुसूचित जाति/जनजाति के घरों का विद्युतिकरण।</p>	<p>10. रास्तों, गलियों, नालियों, विद्युतिकरण इत्यादि का प्राक्कलन तैयार करना और जिला परिषद् को भेजना।</p> <p>11. ग्राम पंचायत से प्राप्त मु0 25,000 रूपये तक प्रस्तावों की जांच/स्वीकृति देना।</p> <p>12. रास्तों, पुलियों, जल स्रोतों इत्यादि की मुरम्मत/निर्माण हेतू ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों की जांच/स्वीकृति तक के निधि का स्थानान्तरण</p>	<p>8. प्राकलन तैयार करके पंचायत समिति को प्रस्ताव प्रेषित करना। मु0 25,000 रूपये तक की योजना का कार्यन्वयन करना। निधि का स्थानान्तरण।</p> <p>9. लाभार्थियों की पहचान तथा पंचायत समिति को प्रस्ताव प्रेषित करना।</p>

**No. Agr.H(8-P)F(14)4/98  
Department of Agriculture  
Himachal Pradesh.**

**From:**

**Director of Agriculture,  
Himachal Pradesh.**

**To**

- 1. The Additional Director of Agriculture,  
North Zone, Dharamsala, Distt. Kangra, HP.**
- 2. All the Deputy Directors of Agriculture,  
in Himachal Pradesh.**
- 3. All the Divisional Engineers in the  
Department of Agriculture, HP.**
- 4. The District Agriculture Officer,  
Kinnaur at Reckong Peo/Lahaul Spiti,  
at Keylong, HP.**
- 5. The Asstt. Project Officer,  
Kaza, Distt. L & Spiti, HP.**
- 6. All the Sub-Divisional Soil Cons. Officers,  
in the Department of Agriculture, HP.**

**Dated Shimla-5, the 29<sup>th</sup> December, 2000.**

**Subject:- Devolution of powers to Panchayati Raj Institutions(PRIs) in respect of  
Programmes of Agriculture-Guidelines for operationalisation of the same.**

**Memo:**

As you are aware that the Govt. of HP vide Notification No. PCH-HA(1)12/87 dated 31.7.1996 has devolved powers to Panchayati Raj Institutions in respect of programmes/activities of the Department of Agriculture. These powers have already been intimated to you earlier for compliance vide this Directorate letter No. AGr. H(1)(B)1-3/94 dated 7.8.96, Agr. H(8-P)F (14)12/93 dated 24.7.1998 and Agr. H(8-P)F(14)4/98 dated 23.8.1999. In order to operationalize the same without any ambiguity, necessary detailed guidelines in booklet form are sent herewith for compliance at all levels. You are directed to circulate the same to your concerned field functionaries with a clear cut direction to follow the same. They should also be directed to maintain a vital liaison with the concerned PRIs of their areas. The progress in this regard may please be monitored.

Sd/-

**Director of Agriculture,  
Himachal Pradesh.**

Encls: As above.

No. of Copies enclosed.

Endst. No. Agr. H(8-P)F(14)4/98 Dated Shimla-5 the 29<sup>th</sup> December, 2000.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Financial Commissioner-cum-Secretary(Agr) to the Govt. of H.P., Shimla-171002.
2. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
3. The Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh, Shimla-9. Two hundred copies of the guidelines referred to above are enclosed for circulation among PRIs.
4. The Private Secretary to the Hon'ble Agriculture Minister, Himachal Pradesh (2 Copies)
5. The Director, Public Relation, Himachal Pradesh (Five copies for wide publicity).
6. The Managing Director, HIMFED, Himachal Pradesh.
7. All the Deputy Commissioners, HP.
8. All the Block Development Officers in Himachal Pradesh (one copy each).
9. The Additional Director of Agriculture, Directorate of Agriculture, HP, Shimla-5 (2 copies).
10. All the Joint Directors of Agriculture, Directorate of Agriculture, HP, Shimla-5 (2 copies).
11. The Director, HP Seed Certification Agency, HP, Shimla-5.
12. The Secretary, HP Marketing Board, Khallini, Shimla-2.
13. All the Branch Officers in Directorate of Agriculture.
14. P.A to Director of Agriculture.

Sd/-  
**Director of Agriculture,  
Himachal Pradesh**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
कृषि विभाग

पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों

को

कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका

वर्ष 2000

कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005.

## परिचय

प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर करती है। लगभग 83.7 प्रतिशत कृषक सीमान्त एवं लघु वर्ग के हैं। कृषि विकास में और अधिक गति लाने हेतु यह आवश्यक है कि इसके विभिन्न कार्यों के आयोजन एवं कार्यान्वयन हेतु जनता द्वारा चयनित संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो तथा विकास में विकेन्द्रीकरण पद्धति लागू हो।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है जिसके अनुरूप प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का 4) की धारा 11(2), 83(1) और 94(1) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न शक्तियां, कार्य तथा दायित्व सौंपा है जिसकी अधिसूचना पंचायती राज विभाग ने पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1) 12/87-10406-606 दिनांक 31 जुलाई 1996 द्वारा जारी कर दी है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र (असाधारण) 9 अगस्त 1996 में भी प्रकाशित हो चुकी है। इस अधिसूचना के अन्तर्गत कृषि विभाग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जो दायित्व सौंपा गया है वह अनुबन्ध (क) पर संलग्न है।

यद्यपि कृषि विभाग ने इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने सभी सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालयों को पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं फिर भी इन दायित्वों को और अधिक गति से कार्यान्वित करने हेतु यह मार्ग दर्शिका प्रकाशित की गई है। सभी सम्बन्धित संस्थाओं से अनुरोध है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो शक्तियां, कार्य व दायित्व उक्त अधिसूचना द्वारा सौंपे गये हैं उन्हें निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करें।



## कृषि विभाग से सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने वाले कार्यों, शक्तियों एवं दायित्वों बारे विस्तृत मार्गदर्शन।

प्रदेश सरकार ने विभिन्न स्तर पर कृषि उत्पादन योजनाओं के प्रारूपीकरण, कृषि उत्पादन सामग्री की आपूर्ति/प्रबन्ध, कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण, वायोगैस विकास, पौध संरक्षण तथा भू एवं जल संरक्षण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अपनी अधिसूचना क्रमांक पीसीएच-एचए(1)12/87-10206-406 दिनांक 31 जुलाई 1996 द्वारा जो शक्तियां प्रदान की हैं उन्हें विभिन्न स्तर पर कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शन इस प्रकार से है:-

### (क) कृषि उत्पादन योजना को तैयार करने हेतु मार्गदर्शन:

#### I पंचायत स्तर पर कृषि उत्पादन योजना को तैयार किये जाने हेतु

1. आने वाले वर्ष की ग्राम स्तर पर कृषि मौसमवार कृषि उत्पादन योजना के प्रारूपीकरण हेतु कृषि प्रसार अधिकारी सितम्बर माह में सम्बन्धित पंचायत प्रधान-उप प्रधान को पंचायत तथा ग्राम सभा की सामूहिक बैठक के आयोजन हेतु तिथि-निर्धारित कर कम से कम 15 दिन पूर्व सूचित करेगा ताकि उक्त योजना का प्रारूपीकरण उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल सुनिश्चित किया जा सके।
2. उपरोक्त रूप से तैयार की गई योजना का प्रारूप कृषि प्रसार अधिकारी पंचायत के प्रधान/उप-प्रधान से अनुमोदित करवायेगा।
3. कृषि प्रसार अधिकारी पंचायत वार तैयार की गई कृषि उत्पादन योजना के प्रारूप को प्रपत्र (क) (ख) तथा (ग) पर सम्बन्धित कृषि प्रसार अधिकारी को सितम्बर माह के दूसरे सप्ताह तक प्रेषित करेगा।
4. कृषि विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि प्रसार अधिकारियों से प्राप्त पंचायत वार योजना प्रस्ताव को संकलित कर अध्ययनोपरान्त अपनी टिप्पणी सहित अपने विकास के सम्बन्धित विषयवाद विशेषज्ञ को प्रेषित करेगा।

#### II पंचायत समिति स्तर पर कृषि उत्पादन योजना का प्रारूपीकरण एवं प्रेषण

1. खण्ड स्तर पर तैनात विषयवाद विशेषज्ञ जो उन्हें पंचायत वार कृषि उत्पादन योजना प्रेषित हुई हैं उन्हें संकलित व अध्ययनोपरान्त अपनी टिप्पणी सहित पंचायत समिति को समिति के कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगा। पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित योजना प्रारूप की एक प्रति उक्त अधिकारी अपने क्षेत्र के कृषि उप निदेशक, जिला कृषि अधिकारी के अतिरिक्त जिला परिषद के सदस्य सचिव को भी प्रेषित करेगा। वह अपने अधीनस्थ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि प्रसार अधिकारियों को उचित निर्देश सहित योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी करेगा तथा समय-2 पर अनुश्रवण भी करेगा और सभी सम्बन्धित से उचित तालमेल सुनिश्चित करेगा ताकि योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके।

### III जिला परिषद् स्तर पर कृषि उत्पादन योजना का प्रारूपीकरण:

1. कृषि उपनिदेशक(जिला कृषि अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी जो जनजातीय क्षेत्रों में तैनात हैं) अपने जिले के अन्तर्गत जो पंचायत समितियां हैं, से प्राप्त पंचायत समितियों द्वारा अनुमोदित योजना प्रारूपों को संकलित करके पंचायत समितिवार योजना प्रस्ताव का संकलन कर अध्ययनोपरान्त अपनी टिप्पणी सहित उसे जिला परिषद् को अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगा।
2. कृषि उप निदेशक/जिला कृषि अधिकारी योजना प्रारूप जिला परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने के उपरान्त उसकी एक प्रति अपनी टिप्पणी सहित उपायुक्त तथा कृषि निदेशक को प्रेषित करेगा।

**नोट:** योजना प्रारूप के विभिन्न स्तर पर तैयार करने व प्रेषण की समय सारणी।

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. ग्राम पंचायत स्तर | सितम्बर प्रथम सप्ताह         |
| 2. पंचायत समिति स्तर | सितम्बर मास के अन्तिम सप्ताह |
| 3. जिला परिषद स्तर   | अक्टूबर मास का तीसरा सप्ताह  |

### (ख) कृषि उत्पादन सामग्री की आपूर्ति हेतु मार्गदर्शन

#### I ग्राम पंचायत स्तर

1. कृषि प्रसार अधिकारी अपने वृत्त के अन्तर्गत जो भी पंचायतें हैं उनसे सम्पर्क कर पंचायत वार कृषि सामग्री की मांग एकत्रित कर उसे अपने सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से खण्ड क्षेत्र के विषयवाद विशेषज्ञ को प्रेषित करेगा। कृषि प्रसार अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जो पंचायतवार कृषि सामग्री की मांग अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित की जानी है उसे पंचायत के प्रधान/उप-प्रधान से सत्यापित करवा लें। कृषि सामग्री की मांग प्रेषित करते हुये यह भी अंकित करें कि विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर उक्त सामग्री का कितना भंडार विक्रय हेतु शेष है।
2. ग्राम पंचायत कृषि सामग्री की मांग कृषि प्रसार अधिकारी को प्रेषित करते हुए ग्राम सभा की बैठक भी आयोजित कर सामग्री हेतु उनकी मांग प्राप्ति कर लें।

#### II पंचायत समिति स्तर:

1. खण्ड स्तर पर तैनात विषयवाद विशेषज्ञ इस मांग की पंचायतवार सूची तैयार कर सत्यापित कर इसकी एक प्रति पंचायत समिति को तथा एक प्रति अपनी टिप्पणी सहित अपने जिले के कृषि उप निदेशक/जिला कृषि अधिकारी को प्रेषित करेगा। विषयवाद विशेषज्ञ इस मांग को पंचायत समिति को चर्चा उपरान्त अन्तिम रूप में इस मांग सूची को पंचायत समिति से भी सत्यापित करवायेगा।
2. कृषि सामग्री मांग सूची की एक प्रति पंचायत समिति अपनी टिप्पणी सहित जिला परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित करेगी।

### III जिला परिषद स्तर:

1. जिला के कृषि उप निदेशक/ कृषि अधिकारी पंचायत समितिवार कृषि सामग्री की मांग सूची संकलित कर अपनी टिप्पणी सहित इसे जिला परिषद् को प्रेषित करने के अतिरिक्त एक प्रति कृषि निदेशालय को भी प्रेषित करेगा ताकि सामग्री की आपूर्ति व वितरण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
2. संकलित सूचना को जिला परिषद को प्रेषित करने से पूर्व जिला स्तर पर जो विभिन्न सामग्री की आपूर्ति व वितरण से जो सहकारी व अन्य संस्थाएँ हैं उनसे पंचायत समितिवार व्यवस्था की चर्चा करेगा जिसके लिये उक्त अधिकारी समय पर बैठक आयोजित करेगा।

**नोट:** विभिन्न स्तर पर कृषि उत्पादन सामग्री की समय पर पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारी समय-समय पर तालमेल द्वारा उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

**ख (अ) कृषि सामग्री की विभिन्न स्तर पर मांग एकत्रित करना तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने का समय**

<u>स्तर</u>	<u>मौसम खरीफ</u>	<u>मौसम रबी</u>
<b>I ग्राम पंचायत स्तर</b>		
1. मांग एकत्रितकरण—	दिसम्बर	जुलाई
2. मांग अनुसार सामग्री की आपूर्ति हेतु व्यवस्था	अप्रैल	सितम्बर
<b>II पंचायत समिति स्तर</b>		
1. मांग —	जनवरी	अगस्त
2. आपूर्ति	मार्च	सितम्बर

### (ग) कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण

#### I पंचायत स्तर

1. कृषि प्रसार अधिकारी अपने वृत्त के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायतें हैं में कृषि की उन्नत तकनीकी विकसित करने हेतु ग्राम पंचायत वार वहाँ की आवश्यकताओं और प्राकृतिक स्रोतों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत वार प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी तथा विषयवाद विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार प्रत्येक फसलीय मौसम में आयोजित करेगा जिसकी सूचना उक्त कर्मचारी पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान तथा समिति सदस्य को इस आयोजन से 15 दिन पहले लिखित रूप में सूचित करेगा ताकि अधिक से अधिक कृषक इससे लाभान्वित हो सकें। इसका व्यौरा भी (ग) पर आयेगा।
2. क्षेत्र का विषयवाद विशेषज्ञ ऐसे प्रशिक्षण की सूचना पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित क्षेत्र के समिति सदस्यों तथा क्षेत्रों के माननीय विधायकों को भी समय से पूर्व सूचित कर उनसे ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अनुरोध करेगा।

3. विषयवाद विशेषज्ञ सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन में जहां तक सम्भव हो स्वयं तथा सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी रहे।
4. प्रशिक्षण में अधिक से अधिक कृषक महिलाओं की भागेदारी भी सुनिश्चित की जाये।
5. जब भी फसल प्रदर्शन लगाये जायें कृषि प्रसार अधिकारी खेत दिवस की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा जिसमें अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जाये ताकि वह प्रदर्शन देखकर लाभान्वित हो सकें। कृषि प्रसार अधिकारी प्रत्येक प्रदर्शन का समय-समय पर अनुश्रवण करेगा तथा प्रदर्शनवार रिपोर्ट तैयार करेगा कि प्रदर्शन का क्या प्रभाव रहा।

## II पंचायत समिति स्तर

1. विषयवाद विशेषज्ञ, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम की पंचायत वार सूचना पंचायत समिति को प्रेषित करने के अतिरिक्त उसकी अपने जिला के कृषि उप निदेशक तथा जिला परिषद् को भी प्रेषित करेगा।
2. प्रदर्शन का अनुश्रवण समय-समय पर किया जायेगा जिसकी प्रति पंचायत समिति के अतिरिक्त जिला के कृषि उप निदेशक/जिला कृषि अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी।

## III जिला परिषद् स्तर

1. इस कार्यक्रम की प्रगति प्रतिवेदन जिला का कृषि उप निदेशक/जिला कृषि अधिकारी जिला परिषद् को प्रेषित करेगा तथा जिला परिषद् की प्रतिक्रिया/सुझाव को सम्बन्धित खण्ड के विषयवार विशेषज्ञ को उचित आदेश सहित कार्यवाही करने के लिए लिखेगा जिसकी प्रति कृषि निदेशालय को भी प्रेषित की जायेगी।

## (घ) भू एवं जल संरक्षण कार्य का आयोजन एवं कार्यान्वित करना

### I ग्राम पंचायत स्तर

1. भू-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण अनुभाग, अनुभाग में तैनात कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कृषि प्रसार अधिकारी के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत का भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा। ऐसा करने से पूर्व वह पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान से भी विचार लेगा तथा कार्यक्रम के प्रारूपीकरण के बाद उसे अपने क्षेत्र के सम्बन्धित भू-संरक्षण उप-मण्डलाधिकारी को प्रेषित करेगा जिसकी प्रति पंचायत समिति को भी प्रेषित की जायेगी।
2. पंचायतवार तैयार किए गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सिंचाई टैंकों तथा लघु सिंचाई स्कीमों का चयन तथा सिंचाई स्कीमों का जो रख-रखाव करना है सम्बन्धित भू-संरक्षण अनुभाग यह कार्यक्रम पंचायत से पारित करवायेगा तथा टैंक निर्माण तथा सिंचाई स्कीमों का रखरखाव व निर्माण पंचायत द्वारा ही करवायेगा जिसके लिए पंचायत समिति धन का प्रावधान पंचायत को करेगी। पारित किये गये कार्यक्रम तथा जो धन पंचायत को पंचायत समिति आवंटित करेगी इसकी सूचना उक्त समिति सम्बन्धित उप-मण्डल भू-संरक्षण

अधिकारी तथा क्षेत्र के भू-संरक्षण अनुभाग को भी प्रेषित करेगी। विभाग का भू-संरक्षण अनुभाग इन कार्यों के कार्यान्वित हेतु पंचायत को तकनीकी जानकारी देने के अतिरिक्त कार्यों का वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अनुश्रवण भी करेगा।

3. भू एवं जल संरक्षण के अन्तर्गत जो सामुदायिक कार्य हैं (जैसेकि जल भंडारणों का निर्माण, तालाब, खड्डों के तट पर कृषि भूमि को भूमि कटाव से बचाने हेतु स्पर एवं चैक डैम इत्यादि का बनाना) इनका चयन ग्राम पंचायत करेगी तथा जिन्हें सम्बन्धित भू-संरक्षण अनुभाग की तकनीकी देखरेख में ग्राम पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत व आवंटित धनराशि से कार्यान्वित करेगी। किये गये कार्य का विवरण क्षेत्र के सम्बन्धित भू-संरक्षण अनुभाग का तकनीकी कर्मचारी माप-पुस्तिका में दर्ज करेगा तदोपरान्त ही पंचायत किये गये कार्य का भुगतान करेगी।
4. व्यक्तिगत टैंक के निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात ही पंचायत लाभान्वित कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान स्वीकृत/आवंटित धनराशि से करेगी तथा अनुदान राशि की भुगतान से पूर्व पंचायत सुनिश्चित करेगी कि इस निर्माण का विवरण विभाग के तकनीकी कर्मचारी की माप-पुस्तिका में दर्ज हो गया है।
5. विभाग का उपमंडलीय भू-संरक्षण अधिकारी तथा मंडलीय अभियन्ता इन कार्यों का आवश्यकतानुसार समय-समय पर टैस्ट चैक करेगा ताकि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

## **II पंचायत समिति स्तर:**

1. उपमण्डल अधिकारी भू-संरक्षण सभी स्कीमों को पंचायत समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा तथा अनुमोदनोपरान्त वह इसे जिला परिषद् को अपनी टिप्पणी सहित प्रेषित करेगा।
2. पंचायत समिति के अन्तर्गत जो भी भू-एवं जल संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं उप-मण्डल अधिकारी भू-संरक्षण अनुश्रवण करेगा तथा पंचायत समिति के अतिरिक्त जिला परिषद् को भी हर माह अवलोकनार्थ प्रेषित करेगा जिसकी प्रति मण्डलीय अभियन्ता को भी प्रेषित की जायेगी। पंचायत समिति अपने स्तर पर भी समय-समय पर अनुश्रवण करेगी।

## **III जिला परिषद् स्तर:**

1. पंचायत समितियों द्वारा जो भी कार्य/प्रस्ताव जिला परिषद् को प्रेषित हुए हैं उन्हें जिला परिषद् अवलोकन एवं अनुमोदनोपरान्त उसकी सूचना सम्बन्धित पंचायत समितियों के अतिरिक्त एक-एक प्रति सम्बन्धित मण्डलीय अभियन्ता भू-संरक्षण तथा उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी को प्रेषित करेगी तथा पारित कार्यों के लिए जो धनराशि है का आवंटन पंचायत समितियों को करेगी जिसकी सूचना उक्त अधिकारियों को भी भेजी जाएगी ताकि विभाग के अधिकारी पारित किये गये कार्यों के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी जानकारी

दे सकें तथा समय-समय पर अनुश्रवण कर सकें।

- उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी अपने कार्यक्रम की प्रगति प्रतिवेदन अपने मण्डलीय अभियन्ता के माध्यम से जिला परिषद् में हर माह प्रेषित करेगा तथा प्रगति प्रतिवेदन से पूर्व जो भी विभिन्न समिति क्षेत्रों की योजनायें स्वीकृत रूप से तैयार की गई हैं की सूची की एक प्रति जिला परिषद् को भी प्रेषित करेगा ताकि जिला परिषद् सदस्य जब चाहें इन योजनाओं को मौके पर जाकर देख सकें। ऐसी सूची की एक प्रति कृषि उप निदेशक को भी भेजी जाये ताकि कृषि कार्यक्रमों के समुचित उपयोग हेतु वांछित तालमेल बना रहे।

**नोट:-**

- पंचायत समिति तथा जिला परिषद् की जब भी बैठक हो तो उक्त संस्थाओं के बुलाने पर उपमण्डलीय अधिकारी तथा मण्डलीय अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे।
- टैंको के निर्माण तथा भू-एवं जल संरक्षण स्कीमों के रख-रखाव के लिए कृषि निदेशालय धन का प्रावधान जिला परिषद् को करेगा तथा जिला परिषद् उस धन को पंचायत समितियों को आवंटित करेगी तथा पंचायत समितियां आगे अपनी-अपनी सम्बन्धित पंचायतों को यह धनराशि आवंटित करेगी।
- यह दिशा निर्देश केवल राज्य योजना के अन्तर्गत भू एवं जल संरक्षण कार्यों के लिए ही लागू होंगे।

**(ड) बायोगैस कार्यक्रम का आयोजन एवं कार्यान्वित करना:**

**I पंचायत स्तर**

- बायोगैस सुपरवाइजर क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि प्रसार अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता के सहयोग से पंचायत वार उन कृषकों की सूची तैयार करेंगे जो कृषक बायोगैस संयन्त्र लगवाने के इच्छुक हों तथा जिनके पास पर्याप्त संख्या में पशु हों। ऐसी तैयार की गई सूची सम्बन्धित पंचायत से अवलोकित व अनुमोदित करवानी होगी। यदि पंचायत कुछ अन्य कृषकों की कोई सूची देती है उसे पूर्णतयः ध्यान में रखा जाएगा।

**II पंचायत समिति स्तर:**

- अन्तिम रूप से तैयार की गई पंचायतवार सूची बायोगैस सुपरवाइजन (कनिष्ठ अभियन्ता जहां बायोगैस सुपरवाइजर न हो) पंचायत समिति को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगा। यह सूची वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में तैयार हो जानी चाहिए। तैयार की गई सूची की प्रति कृषि उपनिदेशक को भी प्रेषित की जाये।
- चयनित/स्वीकृत प्रार्थियों की सूचना प्रार्थी को सूचित करने के अतिरिक्त बायोगैस सुपरवाइजर इसकी सूची पंचायत समिति के अतिरिक्त सम्बन्धित पंचायत को भी तुरन्त प्रेषित करेगा ताकि संयन्त्र निर्माण कार्य विभाग की तकनीकी देखरेख में कार्यान्वित किया जा सकें।

### III जिला परिषद् स्तर:

1. पंचायत समितिवार चयनित प्रार्थियों की सूची जिला का कृषि उप निदेशक जिला परिषद् को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेगा तथा प्रगति रिपोर्ट भी हर माह इस परिषद् को अवलोकनार्थ एवं अनुश्रवण हेतु प्रेषित करेगा।

#### (च) फसल बचाव हेतु नियन्त्रण पग:

##### I पंचायत स्तर

1. कृषि प्रसार अधिकारी पंचायत वार पौध संरक्षण उपायों का प्रत्येक फसलीय मौसम में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विचार विमर्श से आयोजन करेगा जिसकी सूचना वह पंचायत को भी समयानुसार देगा तथा अपने क्षेत्र में पौध संरक्षण सामग्री की उपलब्धता व आपूर्ति पर पूरी निगरानी रखेगा तथा सचेत रहेगा कि किसी भी प्रकार की पौधों को बीमारी व कीटों का प्रकोप तो नहीं हो रहा है। प्रकोप की अवस्था में वह तुरन्त अपनी पंचायत को सूचित करने के अतिरिक्त अपने कृषि विकास अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर तैनात विषयवाद विशेषज्ञ को भी सूचित करेगा ताकि समय पर प्रकोप नियन्त्रण हो सके।
2. भंयकर प्रकोप की अवस्था में वह प्रकोप की सूचना जिला के कृषि उप निदेशक तथा कृषि निदेशक के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद् को भी सूचित करेगा ताकि युद्धस्तर पर प्रकोप पर नियन्त्रण किया जा सके यदि निकट क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि अनुसंधान केन्द्र हो तो उसे भी सूचित किया जाये।

##### II पंचायत समिति स्तर:

1. खण्ड स्तर पर तैनात विषयवाद विशेषज्ञ पौधसंरक्षण सामग्री की उपलब्धता तथा आपूर्ति पर पूरी निगरानी रखेगा तथा समयानुसार उचित पग उठायेगा। इस विषय में वह पंचायत समिति, जिला के कृषि उप निदेशक के अतिरिक्त सम्बन्धित आपूर्ति व वितरण संस्थाओं से तालमेल बनाये रखेगा। पौधों की बीमारियों की जो सूचना क्षेत्र के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी व अन्य किसी द्वारा भी दी जाती है उस पर तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगा जिसकी सूचना पंचायत समिति तथा प्रभावित ग्राम पंचायत को भी दी जायेगी।

##### III जिला परिषद् स्तर:

1. कृषि उप निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी जो जनजातीय क्षेत्रों में तैनात हैं पौधसंरक्षण सामग्री की पंचायत समितिवार व्यवस्था तथा पौधों पर बीमारियों व कीटों के प्रकोप तथा उन पर किये गये समाधानों की सूचना से समय-समय पर जिला परिषद् को अवगत करवाने के अतिरिक्त कृषि निदेशालय को भी अवगत करेगा।

कृषि उत्पादन योजना

पंचायत का नाम.....

योजना वर्ष.....

पंचायत का लैंड यूज:

1. पंचायत का कुल क्षेत्र:
2. वन के अन्तर्गत क्षेत्र:
3. उजाड़ तथा कृषि अयोग्य भूमि:
4. भूमि जो कृषि के अलावा दूसरे यूजिज के अन्तर्गत है:
5. चरांद:
6. कृषि योग्य बंजर भूमि:
7. दूसरी खाली बंजर भूमि:
8. कुल क्षेत्र जो कृषि के अन्तर्गत है:
9. सिंचित भूमि:
10. असिंचित भूमि:
11. क्षेत्र में अपनाये गये फसल चक्र का ब्यौरा:



कृषि उत्पादन योजना

पंचायत का नाम.....

योजना वर्ष.....

कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र का फसलवार ब्यौरा:-

क्रमांक	फसल का नाम	क्षेत्र	कुल उत्पादन	प्रति हैक्टैयर उत्पादन
1	2	3	4	5

कृषि उत्पादन योजना

पंचायत का नाम.....

योजना वर्ष.....

कृषि प्रसार अधिकारी का नाम.....

वर्ष के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य (1)

(2).....

(3).....

इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक्सन प्लान:

क्रमांक	गतिविधि/कार्य का नाम	कौन करेगा	कैसे करेगा	कब करेगा
1	2	3	4	5

**No. Agr. H(8-P)F(14)4/98-Vol-I**  
**Directorate of Agriculture**  
**Himachal Pradesh.**

**From:**

**Director of Agriculture,  
Himachal Pradesh.**

**To**

- 1. All the Dy. Directors of Agriculture,  
in Himachal Pradesh.**
- 2. All the Divisional Engineers in  
the Department of Agriculture,  
Himachal Pradesh.**
- 3. All the Sub-Div. Soil Cons. Officers,  
in the Department of Agriculture,  
Himachal Pradesh.**
- 4. The District Agriculture Officers,  
Reckong Peo/Keylong, HP.**
- 5. The Asstt. Project Officer (Agr.),  
Kaza, Distt. Lahual Spiti, HP.**
- 6. The Resident Commissioner,  
Pangi, Distt. Chamba, HP.**
- 7. The Block Development Officer,  
Bharmour, District Chamba, HP.**

**Dated Shimla-5, the 25.6.2001**

**Subject:- Devolution of powers to PRIs-Identification of beneficiaries.**

**Memo,**

In continuation to this Directorate letter of even number dated 29.12.2000 and 26.5.2001 vide which guidelines regarding the devolution of powers to the PRIs were sent to you (copy enclosed). It is informed that a meeting was held on 3.5.2001 at 3.00 PM under the Chairmanship of Shri S.S. Parmar, IAS, F.C. cum-Secretary (Agr., Horti., Animal Husbandry and Fisheries) in which the following decisions were taken for immediate implementation:-

### **1. Organization of Training and Demonstrations by Gram Panchayats:**

The work of trainings and demonstrations on improved technologies to the farmers will be done in collaboration with the PRIs. A calendar of training camps and demonstrations will be finalized at the district level in the beginning of the year so as to ensure that the same programmes are not repeated at the same place but are evenly distributed throughout the district. This can only be ensured, if both the departments i.e. Agriculture & Horticulture finalize the training calendar together at district level and the experts from both the Department, KVK, Universities, Animal Husbandry and Fisheries Departments attend these camps irrespective of the Department organizing the same and spending funds. The department will give wide publicity of the training camps to be held during the year by sending the calendar to each PRIs. It will be decided at district level as to which trainings or camps is to be assigned to which department and where this may be decided mutually by the District level officers of the line Departments at district level.

### **2. Identification of beneficiaries:**

The task of identification of beneficiaries under different schemes of the department like the distribution of minikits, construction of tanks and biogas plants etc. will be given to the Gram Panchayats.

### **3. Accountability:**

In order to have accountability of Extension Officers, the SMS (Agr.) will keep a close and constant liaison with the Panchayat Samitis. They will attend all the Panchayat Samiti meetings and submit the copies of their tour programmes to the Chairman, Panchayat Samiti for their information. For the convenience of people, they will ensure that they are present at their headquarters for atleast there specified dates during the week. However, Annual Confidential Report(ACRs) of SMS of Agriculture Department at the Block headquarters will be initiated by Chairman, Panchayat Samiti in addition to the Dy. Director at district level and the ACRs of other lower staff working at block level shall be initiated by the SMS concerned.

It is, therefore, requested that the above decisions may be implemented in letter and spirit alongwith the guidelines already sent to you immediately.

This may please be given personal attention.

**Sd/-**  
**Director of Agriculture,**  
**Himachal Pradesh.**

Endst. No. Agr.H(8-P)F(14)4/98-Vol-I-

Dated Shimla-5, the 25.6.2001.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The F.C.-cum-Secretary(Agr.) to the Govt. of HP Shimla-2 w.r.t. his letter No. Agr.A(2) 1/94-L dated 16.5.2001.
2. The Director of Horticulture, Animal Husbandry/Fisheries, Himachal Pradesh. They may issue necessary instructions to their staff working at district level to co-ordinate with the Dy. Director (Agr) to finalize the training and demonstrations calendar at district level and attend these camps irrespective of the Department organizing it.
3. The Additional Director of Agriculture, North Zone, Dharamsala, District Kangra, HP.
4. The Officer Incharge, Technical Branch/Soil Cons. Branch/Establishment Branch, Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh, Shimla-5.

**Sd/-  
Director of Agriculture  
Himachal Pradesh.**

**No. Agr. A(2)1/2001-  
Directorate of Agriculture  
Government of Himachal Pradesh.**

**From:**

**The Financial Commissioner-cum-Secy.(Agriculture) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

**The Commissioner-cum-Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.  
Dated Shimla-5, the 15<sup>th</sup> March, 2002.**

**Subject:- Devolution of powers to Panchayati Raj Institutions.**

**Sir,**

I am directed to refer to U.O. No. PCH-HA(3)2/97-VI-4243 dated 25.2.2002 from Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh enclosing the list of subjects to be devolved in respect of Agriculture Department to the Panchayati Raj Institutions. The point wise position in respect of the subjects of Agriculture Department is as under:-

**1. Regarding empowering Panchayat Samiti Chairman to initiate ACRs of ADOs. alongwith staff, if already done then orders of the Department to this effect be conveyed to all the Panchayat Samitis directly or through this Department.**

We had already informed Director-cum-Special Secretary (Panchayati Raj Department) vide our letter No. Agr-H(2)1/2001-L dated 16.5.2001, about the decision taken by the Department of Agriculture in order to have more accountability of extension officers of the Department of Agriculture. The subject matter specialists at Block Hqrs. level will keep a close and constant liaison with the Panchayat Samitis. They will attend all the Panchayat Samiti meetings and submit the copies of the tour programmes to the Chairman Panchayat Samitis for their information. For the convenience of people, they will ensure that they are present at their Hqrs. for at least three specified dates during the week. It was further conveyed that the Annual Confidential Reports(ACRs) of SMS at the Block level will be initiated by Chairman, Panchayat Samiti in addition to Deputy Director of Agriculture at the district level. The Director of Agriculture HP has already informed his field officers about the decision of the Government vide his letter NO. Agr. H(8-P)F(14)4/98-I- dated 25.2.2001. It will therefore, be in the fitness of things if all the Panchayat Samitis in the Pradesh are informed about the decision of initiating ACRs. of SMSs by the Chairman, Panchayat Samitis by the Panchayati Raj Department .

**2. Department has to list out the Institutions whose location the PRIs would decided.**

The point with regard to the listing of institutions whose locations will be decided by the PRIs is not applicable to the Department of Agriculture.

**3. Preparation of Calendar to organize training of farmers and to conduct demonstration in consultation with Zila Parishads and also to provide funds to the Zila Parishad.**

In order to pool the resources, the Departments of Agriculture & Horticulture and Institutions like SAUs & KVKs., it has already been decided that the work of finalizing training camps at different places in the district will be finalized at the district level in consultation with Zila Parishad and the efforts will be made to ensure that the training camps are evenly distributed throughout the district. It has also been decided that in addition to the Department of Agriculture and Horticulture, the officers from the Departments of Animal Husbandry and Fisheries will also be called in all the training camps. It will be ensured that the experts/specialists from line Departments SAUs. And KVKs. attend all these training camps so as to provide maximum benefits to the farmers. For finalizing the training camps of farmers during the year, the Heads of Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry department at district level will act as a Conveners on alternate basis. For example, DDAs in the districts will act as Conveners during the month of April, DDHs/DHOs will be conveners during the month of May and June the Convenership will pass on to the District Head of Animal Husbandry Department. This process will go on and the Convenership will rotate amongst these Departments like wise during the year.

However, it will not be possible for the Departments to pass on the funds to Zila Parishads for the purpose of organizing training camps for the farmers as most of the funds for these training camps are coming under various centrally sponsored schemes. It is, however, suggested that the State Plan funds in this regard should be provided by the Planning Department direct to respective Zila Parishads.

**4. Gram Sabhas to be empowered to select/identify beneficiaries under various schemes of the Department.**

Director of Agriculture has vide his letter No. DAHP. Memo No. Agr. H(8-P)F (14)4/98 dated 15.6.2000, instructed all field officers with regard to the devolution of task of identification of beneficiaries under different schemes of the Department like distribution of minikits, construction of tanks and bio gas plants, etc. by Gram Sabhas.

**5. To empower Panchayati Raj functionaries of appropriate level to enter village, Block & District level Agriculture Department Institutions and check attendance register and other staff and to record their comments on their attendance register.**

It has been decided that the Chairman, Zila Parishad and Chairman Panchayat Samiti, will be empowered to check attendance registers of staff and record their comments thereon in their respective jurisdiction. Necessary instructions in this regard are being issued separately.

**6. Handing over of village level institutes alongwith part-time functionaries to the Gram Panchayats.**

As already informed, there are no village level institutions of Agriculture Department co-terminus with the area of Gram Panchayats where from the services of part-time functionaries could be handed over to the Gram Panchayats.

**7. Modalities for involvement of PRIs needs to be worked out viz-a-viz the Department has to decide whether PRIs should be distributing pesticides or reporting about diseases or both.**

PRIs. could identify places and persons who could be given licenses by the Agriculture Department for distribution of insecticides/pesticides in specified areas. PRIs. can play important role in reporting about the spread of pests and diseases to nearest AEOs/ADOs and SMSs for taking immediate corrective action by the latter.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Spl. Secretary(Agr.) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

Endst. No.Even/

Dated

Copy to:

1. The Private Secretary to the Chief Secretary to the Govt. of HP Shimla-2 w.r.t. UO NO. PCH-HA(3)2/97-VI-4243 dated 25.2.2002 for information.
2. The Director of Agriculture, HP Krishi Bhawan, Shimla-2 for information and further necessary action.

**Sd/-**

**Spl. Secretary(Agr.) to the  
Government of Himachal Pradesh.**



**ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT**

**Directorate of Animal Husbandry,  
Himachal Pradesh.**

**No. 4-5/66-Vety-IV.**

**Dated Shimla-5, the 13<sup>th</sup> December, 1999.**

**Office Order**

With a view to run all the Veterinary Dispensaries of Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh smoothly and efficiently, falling in the jurisdiction of the Gram Panchayats, it is hereby ordered that the complaints, regarding physical attendance of the staff, as and when reported by the Pradhan, Gram Panchayat of the concerned area, shall be disposed off promptly by the respective Assistant Director (AH/B). The concerned Assistant Director(AH/B) will also attend the meetings of the Zila Parishads personally, as far as possible. In the event of being pre-occupied in other official business, he will depute his representative without fail, so that any item, pertaining to the Department could be discussed.

Sd/-

**Director,  
Animal Husbandry Department  
Himachal Pradesh.**

Endst. No. As above.

Copy for information and necessary action forwarded to:-

1. The F.C-cum-Secretary(AH) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 with reference to his letter No. AHY-A(4)-1/95 dated the 30<sup>th</sup> Nov., 1999 please.
2. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The Assistant Director(AH/B), Shimla/Solan/Sirmour/Kinnaur/Chamba/ Kangra/Mandi/ L& Spiti/Una/Kullu/Hamirpur/Bilaspur, HP.
4. The Assistant Director(AH/B) Pangi/Kaza, HP.
5. The Dealing Asstt. (Planning) Directorate of Animal Husbandry, HP, Shimla-5.

Sd/-

**Director,  
Animal Husbandry Department  
Himachal Pradesh.**

**No. AHY.A(4)-1/95-Part-  
Government of Himachal Pradesh  
Department of Animal Husbandry**

**From:**

**The F.C. Cum-Secretary(AH) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

**The Commissioner-cum-Secretary(PR) to the  
Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.  
Dated Shimla-1/2002, the 19.5.2001.**

**Subject:- Devolution of powers to the Panchayati Raj Institutions.**

**Sir,**

I am directed to refer to your D.O. No. PCH-HA(3)-2/96-13157, dated 26<sup>th</sup> April, 2001, on the subject cited above and to submit hereunder the detailed comments on the items related to Animal Husbandry Department as per the proceedings of the meeting of Administrative Secretaries held on 22.1.2001 under the Chairmanship of Chief Secretary, H.P. sent vide your letter No. PCH-HA(3)2/96-2185-2202 dated 29.1.2001 for information and necessary action, please:-

1. Since the Panchayati Raj Institutions have been delegated the powers of periodical supervision and inspection of Veterinary Dispensaries/A.I. Sub Centre in the village, as such partly administrative control of Panchayat of the functioning of veterinary dispensaries/A.I. Sub-Centers stands transferred to Panchayati Raj Institutions.
2. New pontifical insemination facilities will only be provided on the recommendation of the Panchayati Raj Institutions.
3. The Panchayati Raj Institutions have been entrusted the powers of identification and recommendation of beneficiaries of Animal Husbandry Programmes listed below:-
  - (i) Identification of beneficiaries for establishment of poultry units under special livestock development programme of poultry project in Shimla, Una and Bilaspur Districts.
  - (ii) Identification of beneficiaries for distribution of fodder mini kits under Feed and Fodder Development Programme.
  - (iii) The Panchayati Raj Institutions have been delegated the powers to decide about the location on new Veterinary Dispensaries Milk collection centers.

4. The Panchayati Raj Institutions have been delegated the powers to decide about the location on new veterinary dispensaries Milk collection centers.
5. The ownership of building of veterinary dispensaries would be transferred to the PRIs and a Lump sum amount of budget under minor Head of Account will be made available to the PRIs as per demand and request of aforesaid institution.
6. The Senior Veterinary Officer or Veterinary Officer posted in the jurisdiction of Samiti will coordinate functioning of Panchayat Samiti in respect of Animal Husbandry activities in their respective jurisdiction and will attend the meetings organized by the concerned Panchayat Samiti. For execution of Animal Husbandry activities at par the power given to the Samitis, the concerned Senior Veterinary Officer or Veterinary Officer will be under the control of Chairperson of the Samiti.
7. Keeping in view the budget provision and request of Panchayat the calendar of sexual and Animal Health Camps will be prepared by the concerned Assistant Director(Animal Health/Breeding) on priority basis as per recommendation of concerned Veterinary Officer and identification of such camps will be done by the concerned Panchayat.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Under Secretary(AH) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**No. AHY-H(II)F.2(20)/88**

**Dated Shimla-5 19.5. 2001.**

**Copy for information and necessary action is forwarded to:-**

1. All Assistant Directors, Animal Health/Breeding in Himachal Pradesh.
2. Dy. Director, ISDP, Ganahatti Distt. Shimla.
3. Assistant Director, Cattle Production, Palampur, Distt. Kangra, H.P.
4. Joint Director, Animal Husbandry, Palampur, Distt. Kangra, HP.
5. Dy. Director, Animal Husbandry, Mandi/Shimla.
6. Assistant Director, Sheep Dev. Bharmour, Distt. Chamba, H.P.

**Sd/-**

**Director,  
Animal Husbandry Department  
Himachal Pradesh.**

**ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT**

**No. AHY.A(4)-1/95-Part-II**

**Government of Himachal Pradesh  
Department of Animal Husbandry**

**From:**

**The F.C. Cum-Secretary(AH) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

**The Commissioner-cum-Secretary(PR) to the  
Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.  
Dated Shimla-1/2002, the 19.1.2002.**

**Subject:- Regarding devolution of powers to the Panchayati Raj Institutions.**

**Sir,**

I am directed to refer to your letter No. PCH-HA(3)-2/96-41863-78, dated 28<sup>th</sup> December, 2001, on the subject cited above and to send hereunder the latest status of devolution of powers to PRIs as per point No. 2 of the proceedings of the meeting of the Administrative Secretaries held under the Chairmanship of Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh on 8.11.2001 regarding involvement of PRIs in the maintenance of village level Institutions:-

**Zila Parishad:**

The Assistant Director, Animal Health/Breeding of the district will apprise the Zila Parishad about:-

- i) No. of existing veterinary institutions in the district.
- ii) No. of Veterinary Institutions located in the Govt. buildings.
- iii) No. of Veterinary Institutions located in private rented buildings.
- iv) No. of on-going works in the districts.

In the event of establishment of new Veterinary Institutions(rural area) the Department will submit a proposal for construction of buildings under R.N.S. In case the funds are allotted by the State Govt. the construction of the buildings will be allotted to Zila Parishad and construction will be done under the supervision of Zila Parishad.

Regarding maintenance of existing Veterinary Institutions buildings, the annual maintenance budget under minor works (subject to availability of funds) will be allotted to Zila Parishad keeping in view the number of existing Veterinary Institution Buildings so that proper maintenance based on actual requirement could be undertaken under the supervision of Zila Parishad.

**Panchayat Samiti:**

The Panchayat Samiti will submit proposal for construction and maintenance of veterinary dispensary buildings in rural areas falling under their jurisdiction to the Zila Parishad of the district. Funds for construction and maintenance of Veterinary Dispensary Buildings will be allotted to the Panchayat Samiti on the recommendation of the Zila Parishad.

Copy of printed guidelines with regard to powers and functions devolved to PRIs in respect of Animal Husbandry Department is enclosed for your information.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Under Secretary(AH) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज संस्थाओं  
को  
पशुपालन विभाग से सम्बन्धित शक्तियों का प्रत्यायोजन

## पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्तायुक्त एवं सचिव(पशुपालन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 द्वारा जिला परिषद्, पंचायत समिति व पंचायतों को पशुपालन विभाग से सम्बन्धी निम्नलिखित गतिविधियां सौंपी जाती हैं:-

### जिला स्तर:

- (क) जिले के जिन पशु चिकित्सा संस्थानों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा नहीं है उनमें प्राथमिकता के आधार पर सुविधा उपलब्ध करने हेतु अपने जिले के सहायक निदेशक (पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) को वर्ष के प्रारम्भ में सूचित करेंगे।
- (ख) दूर-दराज के इलाकों में जहां पशु स्वास्थ्य सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है अथवा जिन क्षेत्रों में पशु प्रजनन सम्बन्धी व अन्य चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है ऐसे स्थानों की सूची पशु चिकित्सा शिविर आयोजन करने हेतु सहायक निदेशक ( पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) को लिखित रूप में सूचित करेंगे ताकि जरूरत व प्राथमिकता के अनुसार पशु चिकित्सा कैम्पों का आयोजन बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जा सके।
- (ग) अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के पशुपालकों में सुधरे नस्ल के पशुओं को पालने हेतु रूचि बढ़ाने के लिए काफ रैलीज/प्रदर्शनी आयोजित करने के स्थानों का चयन करने के बाद जिले के सहायक निदेशक को सूचित करेंगे ताकि प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत की जा सकें। काफ रैलीज/प्रदर्शनी बजट की उपलब्धता के अनुसार ही आयोजित की जाएगी।
- (घ) पशु चारे के बीच की मांग हेतु सभी ग्राम पंचायतों को सूचित करेंगे कि वह बीज की मांग निकटतम पशु औषधालय/पशु चिकित्सालय को दें ताकि प्रभारी पशु चिकित्सालय/ पशु औषधालय सारी मांग को एकत्रित कर बिजाई से पूर्व सहायक निदेशक ( पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) को भेजेगें।

### संक्रामक रोगों का अनुश्रवण एवं निवारक उपायों को लोकप्रिय बनाना:

पशुधन में प्रचलित संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु टीकाकरण करने के लिए पशुपालकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। जिला परिषद् अपनी बैठक में जिनमें विभाग का प्रतिनिधि भी होगा, इस विषय पर चर्चा उपरान्त भिन्न-भिन्न मौसमों में टीकाकरण हेतु प्रस्ताव बनाकर टीकों की मांग

सहित सहायक निदेशक( पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) को सिफारिश भेजेगा ताकि समय पर टीकाकरण हो सके।

### **चारा विकास:**

चारा विकास हेतु फसल पद्धति में बिना हस्ताक्षेप किए चारा फसल और घासों की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु जिला परिषद्, पंचायत समिति के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुदान पर आई0आर0डी0पी0, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के पशुपालकों से मांग सम्बन्धित पशु औषधालयों/चिकित्सालय को भेजने हेतु समय पर सूचित करेंगे। अच्छे चारा, बीजों और घास नर्सरियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों/पशुपालकों को प्रोत्साहित कर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगी एवं चारे के उपयोग तथा संरक्षण सम्बन्धित सहायक निदेशक ( पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) को प्रशिक्षण प्रदान करने का आग्रह करेंगे।

**जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधालयों के भवनों का निर्माण एवं मुरम्मत तथा कार्यकलापों की देख-रेख:**

जिले के सहायक निदेशक ( पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) सम्बन्धित जिला परिषद् को जिले में वर्तमान पशु संस्थानों की संख्या, कितने पशु संस्थान सरकारी भवनों में कार्यरत है, कितने पशु संस्थान निजी किराये के भवनों में स्थापित है तथा जिले में कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं, की जानकारी जिला परिषद् को देगा।

नये पशु संस्थान की स्थापना (ग्रामीण क्षेत्र) के अवसर पर विभाग भवन निर्माण के लिए आर0एन0एस0 (नई योजनायें) में प्रस्ताव रखेगा। यदि राज्य सरकार द्वारा धनराशि आवंटित कर दी जाती है तो भवन निर्माण काग्र जिला परिषद् की देख-रेख में होगा।

वर्तमान पशु संस्थानों के भवनों की मुरम्मत हेतु माईनर वर्कस के अधीन वार्षिक मुरम्मत हेतु बजट का आवंटन पशुपालन विभाग जिला परिषद् को करेगा ताकि जिला परिषद् की देख-रेख में मुरम्मत कार्य पूरा हो सकें जिला परिषद् प्राथमिकता के आधार पर मुरम्मत किए जाने वाले भवनों की सूची अनुमानित व्यय के साथ सहायक निदेशक ( पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) को प्रेषित करेगा ताकि विभाग बजट उपलब्धता के अनुसार बजट आवंटित कर सके।

### **पंचायत समिति:**

**(1) जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधालय भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव:**

जिले में पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सभी पंचायतों के पशु औषधालय भवनों के निर्माण व मुरम्मत बारे में प्रस्ताव जिला परिषद् को भेजेंगे। जिला परिषद् की सिफारिशों पर विभाग द्वारा



आबंटित बजट भवनों के निर्माण व रख-रखाव हेतु पंचायत समिति को दिया जाएगा। पंचायत समिति अपने क्षेत्र के भवन निर्माण व मरम्मत का कार्य करेगी।

**(2) पशु मेले, काफ रैलीज, पशुधन प्रदर्शनी और दुग्ध स्पर्धा का आयोजन:**

पंचायत समिति पशु मेलों, पशु धन प्रदर्शनियों, काफ रैलीज तथा दुग्ध स्पर्धा का आयोजन हेतु ग्राम पंचायतों से मांग प्राप्त करेगी। पंचायत समिति पंचायत से प्राप्त मांगों का आकलन स्थानीय विभागीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इनकी सार्थकता का पंचायत समिति स्तर पर छंटाई करेगी और उसके पश्चात् जिला परिषद् को भेजेगी। जिला परिषद् की सिफारिश पर पशु मेले, प्रदर्शनियों, काफ रैली पशुधन प्रदर्शनियों/दुग्ध स्पर्धा का आयोजन सम्बन्धित पंचायत समिति करेगी।

**(3) खण्ड स्तर पर पशुपालन कार्यक्रमों की योजना नीति बारे सहयोग:**

पंचायत समिति ग्राम पंचायत को एक त्रैमासिक बैठक करने के आदेश देगी, जिसमें विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए विचार होगा इस बैठक में विभागीय प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए पंचायत अपना प्रस्ताव पंचायत समिति को भेजेगी तथा पंचायत समिति इस प्रकार की सभी मांगों और सुझाव का आंकलन करेगी। इस आंकलन में विभागीय प्रतिनिधि भी भाग लेगा तथा प्राथमिकता तौर पर कार्य और सार्थकता के दृष्टिगत निर्णय लेने के पश्चात् पंचायत समिति अपने सुझाव जिला परिषद् को भेजेगी। खण्ड स्तर के संस्थान पंचायत समिति की देख-रेख में कार्य करेंगे। जिले में यह संस्थान पशु स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण और सुधरी नस्ल के लिए पंचायत समिति के परामर्श से योजना बनायेंगे और कार्यान्वित करने के लिए सहयोग करेंगे। पंचायत समिति विभिन्न पशुपालन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट (त्रैमासिक) जिला परिषद् को भेजेगी। किसी विशेष कार्यक्रम के अवसर पर समिति स्तर पर कार्यरत विभागीय कर्मचारी पशुपालन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भेजा जा सकता है।

**(4) पशु स्वास्थ्य/बांझपन कैम्पों के आयोजन बारे सिफारिश:**

पंचायत समिति पशु स्वास्थ्य/बांझपन कैम्पों को आयोजित करने के लिए ग्राम पंचायतों से मांग प्राप्त करेगी और इन मांगों का आंकलन कर जिला परिषद् को विशेष क्षेत्र/पंचायत में पशु स्वास्थ्य/बांझपन निदान कैम्प लगाने की सिफारिश करेगी। जिला परिषद् सम्बन्धित सहायक निदेशक( पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) को विशेष क्षेत्र/पंचायत में कैम्प लगाने हेतु सूचित करेगी।

## ग्राम पंचायत:

### (1) दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्रों/समितियों की देख-रेख:

ग्राम पंचायत को दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्रों/समितियों की देख-रेख करने का अधिकार होगा। यदि पंचायत को इसमें कोई शिकायत होती है तो वह प्रस्ताव द्वारा जिला मुख्यालय दुग्ध प्रसंग को सूचित करेगी जोकि इस शिकायत पर कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगी तथा पंचायत को इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही बारे सूचित करने के लिए जिम्मेवार होगी।

### (2) पशुपालन कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों का चयन तथा सिफारिश:

ग्राम पंचायतों को पशुपालन कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों का चयन तथा सिफारिश करने का अधिकार होगा जैसेकि विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम, प्रशिक्षणार्थी चयन आदि।

### (3) गांव के पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का निरीक्षण तथा देख-रेख व सुधार हेतु सुझाव भेजना:

पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह अपनी पंचायत क्षेत्र में पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति तथा कार्यकलापों बारे जानकारी हासिल कर सकती है। यदि पंचायत को इस बारे में कोई शिकायत होगी तो वह प्रस्ताव द्वारा शिकायत सम्बन्धित सहायक निदेशक(पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) को भेजेगी जोकि इस शिकायत पर यथावत कार्यवाही के लिए बाध्य होगा तथा पंचायत को की गई कार्यवाही से अवगत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

### (4) दुग्ध/ऊन/कुक्कट की सहकारी समितियों के गठन हेतु बढ़ावा:

ग्राम पंचायत दुग्ध, ऊन/कुक्कट सहकारी समितियों के बनाने हेतु सिफारिश पंचायत समिति को देगी।

### (5) पशुधन/कुक्कट में महामारी फैलने की रिपोर्ट समीप के पशु संस्थान और विभाग के खण्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारी को देना:

पशुओं/कुक्कटों में महामारी फैलने पर पंचायत तुरन्त समीप के पशु चिकित्सक को रिपोर्ट करेगी तथा महामारी की रोकथाम हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण सहायोग देगी। इसके साथ-साथ आपका ध्यान संदर्भित पत्र के पैरा छः पर दिए गए सुझाव की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना भी उचित होगा कि इस विषय में निर्णय लिया गया था कि 15 विभागों द्वारा अलग से मार्गदर्शिका बनाने की अपेक्षा यह वांछनीय होगा कि पंचायत विभाग समस्त सूचनाएं एकत्र कर अपनी ओर से केवल एक विस्तृत निर्देशिका बनाए। जिसको सभी पंचायती राज संस्थाओं को प्रेषित किया जा सके।

**Directorate of Animal Husbandry,  
Himachal Pradesh.**

**No. 4-5/66-Vety-IV.      Dated Shimla-5, the 8th March, 2002.**

**Office Order**

As a sequence to the earlier orders, issued vide this Directorate office order of even number dated the 13<sup>th</sup> December, 1999, regarding streamlining the functions of all Veterinary Dispensaries/Institutions/A.I. Centres/Sub-Centres, falling within the jurisdiction of all Panchayat Samitis in the Pradesh, it is further elaborated that henceforth beside Pradhan, Gram Panchayats, Chairman Zila Parishad, Block Samitis is also empowered to conduct periodical supervision and inspections of all these Institutions, falling within his/her jurisdiction.

Sd/-

**Director,  
Animal Husbandry Department,  
Himachal Pradesh.**

Endst. No. As above.

Copy for information and necessary action forwarded to:-

1. The F.C-cum-Secretary(AH) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Director of Panchayati Raj, Shimla-9.
3. All the Deputy Commissioners, HP.
4. All the Chairman, Zila Parishad, H.P.
5. All the Chairman of Block Samitis, HP.
6. The Joint Director, AH, Hqrs./SLBP/Palampur, HP.
7. The Deputy Director, Animal Husbandry, Mandi Zone. HP.
8. All the Asstt. Directors(AH/B) /Asstt. Director, CP Palampur, HP. They are also advised

to direct all the concerned Incharges of the Veterinary Institutions to co-operate with the Zila Parishads/Block Samitis, so that the decision of the Govt., involving Panchayati Raj Institutions is followed in letter and spirit.

9. All Drawing & Disbursing Officers in AH Department, HP.
10. All Class-I & II Gaz. Officers, Directorate of AH, HP.
11. All Branch Incharges, Directorate of AH, Shimla-5.

Sd/-

**Director,  
Animal Husbandry Department,  
Himachal Pradesh.**

**AYURVEDIC DEPARTMENT**

**Government of Himachal Pradesh**

**Department of Ayurveda.**

**No. Ayur-Ga(1)-3/97**

**Dated, Shimla-171002 the 30<sup>th</sup> January, 2001.**

**Notification**

In Continuation of this Department's Notification of even number dated 4.6.98 and in pursuance of the decision taken by the State Cabinet on the 27<sup>th</sup> October,1999 with regard to further devolution of power to the Panchayati Raj Institutions, the following has been decided:-

1. The Amenities Committee of the Gram Panchayat, as constituted under section 23(1)(III) of the H.P.Panchayati Raj Act,94 will be expanded by co-opting Male/Female –Health worker, Anganwadi worker, Ayurvedic Chikitsa Adhikari, representatives of Mahila Mandal, Voluntary organizations and will be called the Panchayat Swasthya Parivar Kalyan Samiti . This committee shall prepare the micro-plan with regards to health care facilities and health programmes and get the same approved by the Gram Sabha. It shall perform other functions in respect of Ayurveda Department as may be specifically assigned to it by the State Government from time to time. Similar committees will also function at the Panchayat Samiti and Zila Parishad level.
2. The Gram Panchayat shall in the meeting of Swasthya Parivar Kalyan Samiti decide about the location or relocation of Ayurvedic Health Centre within Panchayat. Similarly decision about location/relocation of AHCs from one Panchayat to another will be taken by Swasthya Parivar Kalyan Samiti at the Panchayat Samiti level and from one Samiti area to another at the Zila Parishad level.
3. The Gram Panchayat shall through a resolution passed by it send a complaint/report on the absence of a Pharmacist, ANM and IV-Class, non-opening of the Ayurvedic Health Centre as per hours fixed by the Govt. from time to time and improper functioning of the AHC. It will also report whether the employees as above are staying at their places of posting. Such a complaint/report shall be forwarded to the concerned Sub-Divisional Ayurvedic Medical Officer/District Ayurvedic Officer.
4. The Panchayat Samiti shall have power to report on the functioning of the Ayurvedic Health Centres and physical attendance of staff of Ayurvedic Department posted at AHC. Such a report shall be forwarded to the District Ayurvedic Officer.

5. The Zila Parishad shall have power to report on the functioning of the SDAMO and on the physical attendance of the staff of the Ayurveda Department posted in these Institutions. Such a report shall be forwarded to the District Ayurvedic Officer/Director of Ayurveda.

The priorities fixed by the Panchayati Raj Institutions shall be the basis for the release of funds by the Ayurveda Department.

**By order,  
Commissioner-cum-Secretary(Ayurveda)  
to the Govt. of HP.**

**Endst No. As above.**

**Copy to:**

1. The Commissioner-cum-Secretary(Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 with reference to his D.O. No. PCH-HA(3)2/96 dated 12.1.2001 for information.
2. The Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh, Shimla-171009 for information.
3. The Director of Ayurveda, Himachal Pradesh, Shimla-9 with the request that the above instructions may kindly be brought to the notice of all concerned for strict compliance.
4. All the District Ayurvedic Officers in Himachal Pradesh for information and necessary action.
5. All the Sub-Divisional Ayurvedic Medical Officers in H.P./Medical Superintendent RAH, Shimla/Paprola for information and necessary action.
6. The Controller, Printing and Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5 with the request that the above notification may kindly be published in the Rajpatra and forward a copy to this Department.
7. Guard file.

**Sd/-  
Additional Secretary(Ayurveda) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

## शिक्षा विभाग

संख्या:शिक्षा(मु) (प्रा) (4)–(4) 32/96  
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश,  
शिक्षा विभाग।

दिनांक: शिमला–171001 12 दिसम्बर, 1996  
सेवा में,

केन्द्र मुख्य शिक्षक/मुख्य शिक्षक,  
समस्त राजकीय प्राथमिक पाठशालायें,  
हिमाचल प्रदेश।

विषय: पंचायती राज विकेन्द्रीकरण के विषय में अनुपालना हेतु निर्देश।  
ज्ञापन,

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या:पीसीएच–एचए (1) 12/87 दिनांक 31 जुलाई, 1996 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों को सौंपा गया है।

इस विषय में हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी से सम्बन्धित पुस्तिका संलग्न करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि अपने-अपने स्कूल में पंचायत प्रधानों एवं उनकी कार्यकारिणी को पुस्तिका में वर्णित किए गए कार्यकलापों को चलाने में अपना पूरा-पूरा सहयोग दें अन्यथा किसी भी प्रकार की अवहेलना किए जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व उन्हीं पर होगा।

हस्ता/—

निदेशक प्राथमिक शिक्षा,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001.  
शिमला–1 दिनांक 12.12.1996.

पृ0संख्या: उपरोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. आयुक्त एवं सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
2. समस्त जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

हस्ता/—

निदेशक प्राथमिक शिक्षा,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001.

## ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित

### 1. शतप्रतिशत बच्चों का पाठशाला में आना:

पंचायत के प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्यों का अधिकार एवं कर्तव्य होगा कि वे सुनिश्चित करें कि सभी 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे पाठशालाओं में आएँ। बच्चों के पूर्ण नामांकन को सुनिश्चित करने हेतु पंचायत, समाज के प्रत्येक वर्ग को जागृत एवं प्रेरित करने का भी प्रयास करेगी जिससे बच्चों की पाठशाला को छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। इस हेतु ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा कि बच्चे पाठशाला आने के लिए प्रेरित हों। यह समस्या लड़कियों के मामले में और भी गम्भीर है। इस सम्बन्ध में पंचायत की महिला सदस्यों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह लड़कियों को पाठशालाओं में भेजने के लिए प्रेरित करें। पंचायत की शिक्षा समिति इस संदर्भ में अपनी संस्तुतियाँ सम्बन्धित जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत करेगी।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अध्यापकों की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी। पाठशाला में न आने वाले एवं पाठशाला छोड़ने वाले बच्चों के प्रति वह पंचायत के सदस्यों से तालमेल बिठाएँगे। ऐसे बच्चों की सूचियाँ पंचायतों को दी जाएँ ताकि पंचायत के प्रधान एवं सदस्यों द्वारा सम्बन्धित परिवारों से सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

### 2. पाठशाला भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव:

पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में विद्यमान प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों के रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होगी। पाठशालाओं के भवनों के रख-रखाव के लिए पाठशाला एवं जिला स्तर पर संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं जिनका इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जा सकता है। पंचायत द्वारा इन पाठशालाओं के भवनों के रख-रखाव हेतु धन की आवश्यकता बारे सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला प्राथमिकता शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

पाठशाला भवनों के निर्माण एवं देख-रेख हेतु अक्टूबर, 1994 में नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनके अनुसार पंचायत स्तर पर एक समिति इस हेतु कार्य करेगी। इस समिति में पंचायत के प्रधान एवं पाठशाला के मुखिया को भी सदस्य बना गया है।

इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं की निधि के बारे में राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारण किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप पंचायतों को संसाधनों का आबंटन किया जा सकेगा।

### 3. पाठशाला के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति:

प्राथमिक शिक्षा के व्यापिकरण के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नई पाठशालाएं खोली जा रही हैं। वर्तमान में 8500 प्राथमिक पाठशालाएं प्रदेश में खोली जा चुकी हैं। इन पाठशालाओं में अध्यापकों एवं अन्य वर्गों की संतोषजनक व्यवस्था एवं शिक्षा तथा अनुशासन का ऊंचा स्तर बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित वार्ड के सदस्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित प्राथमिक पाठशालाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ताकि शिक्षक एवं गैर शिक्षक वर्ग की पाठशालाओं में उपस्थिति का अनुश्रवण किया जा सके। प्रत्येक पाठशाला में निरीक्षण पुस्तिका रखी जानी निर्धारित है जिसमें पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अभिमत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सदस्य अपने अभिमत जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को भी भेजेंगे। यह अभिमत पंचायत की शिक्षा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किए जाएंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी उक्त टिप्पणी पर एक मास के भीतर कार्यवाही करेंगे।

### 4. प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों एवं सुविधाओं का आबंटन:

प्रदेश सरकार की नीति अनुसार गरीब/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं प्रोत्साहनों की प्रत्येक वर्ष व्यवस्था की जाती है। जैसेकि छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें, आई0आर0डी0पी0 के परिवारों के लिए 150/-रूपये प्रति वर्ष वजीफे का आयोजन करना इत्यादि। सरकार द्वारा वितरित की जा रही छात्रवृत्तियों एवं अन्य प्रोत्साहनों के विवरण प्रत्येक जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पंचायतों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। पंचायत के सदस्य अपने क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओं में इन छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहनों के वितरण में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। साथ ही इस सम्बन्ध में अपने वार्ड के लाभार्थियों की पहचान करने में भी सहयोग दे सकेंगे।

### 5. मिड-डे-मील योजना:

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 को प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में चम्बा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पिति तथा ऊना के 66 विकास खण्डों में चल रहा है। इसका उद्देश्य पाठशालाओं में बच्चों का पूर्ण नामांकन सुनिश्चित करना है। इस योजना का प्रारूप भी सम्बन्धित जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध करवाएंगे। इस योजना के तहत राशन की उपलब्धता तथा वितरण का अनुश्रवण पंचायत द्वारा किया जाएगा।



**Government of Himachal Pradesh  
Department of Primary Education**

**No: EDN-C-B(2)-1/99**

**Dated**

**Shimla-171002,**

**26th February, 2001**

**NOTIFICATION**

In supersession of all the previous notifications issued by this department reg. Appointment of water carriers, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the following selection committee for the appointment of part-time water carriers in the Primary Education Department with immediate effect:-

- |    |  |   |        |
|----|--|---|--------|
| 1. | Pradhan of the concerned Gram Panchayat                        | - | Member |
| 2. | Block Primary Education Officer concerned<br>Educational Block | - | Member |
| 3. | Centre Head Teacher of the School                              | - | Member |

The committee will select the candidate for appointment to the post of part-time Water Carrier for the primary schools falling in their jurisdiction.

The appointment shall be made by the concerned Panchayat and payment will also be made by the Panchayats.

**By order**

**S. Roy**

**Commr-cum-Secretary(Edu) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Endst No. as above.**

**Dated Shimla-2**

**February, 2001**

Copy forwarded to the following for information and further n/a.

1. All Ministers/State Ministers/Chief Parliamentary Secretaries/Parliamentary Secretaries in HP.
2. Private Secretary to Principal Secretary to Chief Minister, HP.
3. All Secretaries to the Govt. of HP.
4. The Secretary, HP Vidhan Sabha, Shimla-4.
5. The Commr.-cum-Secretary(RD&PRI to the Govt. of HP Shimla-2.
6. The Controller, Printing and Stationery HP, Shimla-5 for favour of publication in Rajpatra.

7. All the Deputy Commissioners in HP
8. All the HODs in HP
9. The Addl. Secretary (GAD) to the Govt. of HP Shimla-2 with reference to Item no. 9 dated 19-02-2001
10. The Director of Education, HP Shimla-1.
11. The Director of Primary Education, HP, Shimla-1
12. The Deputy Director of Education, North/South /Central and West Zones in HP.

Sd/-

**Commr-cum-Secretary(Edu) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Government of Himachal Pradesh  
Primary Education Department.**

**No: EDN-C-B(2)-1/99**

**Dated**

**Shimla-171002,**

**2<sup>nd</sup> March, 2001**

**NOTIFICATION**

The Governor, Himachal Pradesh, with a view to devolve powers to Panchayati Raj Institutions, is pleased to transfer the control and repair/maintenance of Primary School Buildings to Gram Panchayats as per the instructions contained at Annexure-A(enclosed).

This will come into force with immediate effect.

**By order**

**(S. Roy)**

**Commr-cum-Secretary(Edu) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

Endst No. as above.

Dated

Shimla-2

March, 2001

Copy forwarded to the following for information and further n/a.

1. The Secretary to the Governor, HP, Shimla-2.
2. The Principal Secretary to Chief Minister, HP, Shimla-2
3. The Private Secretary to the Chief Minister, HP, Shimla-2
4. The Private Secretary to the Education Minister, HP, Shimla-2
5. The Private Secy. to the Minister of State for Primary Education, HP, Shimla-2
6. All the Administrative Secretaries to HP Government.
7. The Commr.-cum-Secretary, RD&PR to the Govt. of HP, Shimla-2
8. The All. Secretary (GAD) to the Govt. of HP Shimla-2 w.e.f the item No. 8, dated 19-2-2001.
9. The Controller, Printing and Stationery, HP Shimla-5 for publication in Rajpatra.
10. The Director of Education, HP Shimla-1
11. The Direcor of Primary Education, HP, Shimla-1
12. All the Deputy Commissioners in HP
13. All the District Education Officers in HP.
14. All the District Primary Education Officers in HP.
15. The Section Officer Education A & B section, HP Secretariat, Shimla-2

**Sd/-**

**Under Secretary(Edu) to the  
Govt. of Himachal Pradesh.**

**DEVOLUTION OF POWER TO PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS TRANSFER  
THE CONTROL AND REPAIR /MAINTENANCE OF PRIMARY SCHOOL  
BUILDINGS TO PANCHAYATS.**

In order to devolve powers to Panchayati Raj, all the Primary School Buildings, in future , are transferred to the Gram Panchayats and the maintenance of Primary School buildings would be the responsibility of Gram Panchayats. The revenue entry of the land would be changed to the extent that Government of Himachal Pradesh would continue to be owner of the land and the possessions would be in the name of the Panchayat. They are declared as beneficiary trustee and would, therefore, enjoy the right over the land as long as the land would be primarily used for the purpose of Primary Education. The Panchayat would be the owner of the building and would, therefore, have rights to dismantle unserviceable buildings, auction or use material of dismantled buildings and repair or make addition alteration to the buildings.

The Primary School buildings constructed in future would be owned by the Panchayat and the construction would be done through Panchayat only. In case, construction is to be done by any agency other than the Panchayat, then permission of the Panchayat to do so would be necessary. Construction and maintenance of Primary School buildings would be the responsibility of the Gram Panchayat. However, State Government or Government of India will continue to provide funds for construction and maintenance of Primary School buildings under various schemes. If such schemes do not exist or in case the availability of funds under various schemes is less than the required funds then it would be the responsibility of Panchayat to spend money from its own resources and ensure that adequate funds are made available for the Primary School. In case, there are some schemes under which funds can be obtained by preparing projects, the Panchayat will make efforts to repair projects for obtaining funds for construction for Primary School building.

If the Education Department runs a Primary School in the building owned by the Panchayat, Education Department will not pay any rent to the Panchayat for the building. However, Government will provide money subject to the availability in budget for repair of buildings on demand being received from the Panchayats. The School building fund will be given to the concerned Panchayat who will use it for maintenance and the same will not be permitted to be diverted. The Panchayats will maintain separate account for the building funds. The Panchayat would be free to use the building and the playground for other purposes, in case they feel that the community would be benefitted or they are able to generate additional

income. This would be allowed only if no damage is caused to the school property including movable assets like desks, books etc., the education timings are not altered or disturbed and there are no political and anti-social activities involved. These Primary School buildings can also be used for other activities such as coaching/additional Education Centres, Computer Training Centres, Adult Education Centres, Sports Activities, Reading Room, Marriages, Health Camps or sale of book or other materials or for any other purpose as deemed fit by the Panchayat.

**Government of Himachal Pradesh  
Primary Education Department.**

**No: EDN-C-B(2)-1/99      Dated                      Shimla-171002,                      27-7-2001**

**NOTIFICATION**

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to frame the recruitment scheme for the appointment of part time water carriers in the schools of Education Department, as under with immediate effect:-

**1. OBJECTIVES:**

- a) To provide part time water carriers in Himachal Pradesh Government Schools against vacancies or against specifically created posts.
- b) To empower the PRIs further by decentralizing and involving PRIs in the effective running of Primary Schools.
- c) To provide an opportunity for the unemployed youth of Himachal Pradesh to work in Govt. Primary Schools of their villages located in the jurisdiction of the Gram Panchayats/Urban Local Bodies and earn a decent honorarium as well.

**2. MODE OF APPOINTMENT:**

The appointment shall be made by the selection committee to be constituted by the Government in the Education Department as notified from time to time.

**3. ELIGIBILITY CRITERIA:**

Only such candidates will be eligible to apply for a post of part time Water Carrier, who are:-

- Citizen of India.
- Of a sound mind
- Have never been involved in any acts of criminal nature
- Permanent resident of the village/Gram Panchayat/Urban Local Body of the area, in which the school is located, where the vacancy of part time water carrier exist.
- All such candidates who had earlier applied for and in whose case interviews were held but have not been appointed will also be considered for appointment subject to the fulfillment of the conditions prescribed under this scheme.

**4. IDENTIFICATION OF VACANCIES:**

The DPEOs will identify the schools which have the vacancies. The part time water carriers will be recruited for the primary schools so identified by the DPEOs and approved by the department and the Government.

**5. ADVERTISEMENT/NOTIFICATION OF VACANIES:**

School wise and Gram Panchayat/Urban Local Body wise notification of vacancies will be done by the DPEO after obtaining the approval of the Govt. through the Directorate of Primary Education. The President/Chairperson of the Urban Local Body/ Pradhan Gram

Panchayat will call applications for recruitment against the post of part time water carriers by advertising through the Panchayat/Urban Local Body/ School Notice Boards.

#### **6. APPLICATIONS:**

The candidates will have to apply for appointment as part time water carriers on plain paper to the Pradhan, Gram Panchayat/President/ Chairperson of the Urban Local Body of the area in which the primary school is located along with photo copies of certificate, which shall be compared with the originals at the time of interview. The candidates are also required to paste one attested pass port size photograph on the application form.

#### **7. INTERVIEW AND MARKS:**

- i) The Selection Committee will judge the suitability of the candidates purely on merit. The Block Primary Education Officer will maintain complete record of the selection process.
- ii) The Selection Committee will hold interviews by calling all the eligible candidates.
- iii) Preference will be given to candidates who are from families without any member in govt. service.
- iv) The selection will be purely specific to a particular school only.
- v) In the interview marks shall be awarded to the candidates out of 30. The distribution of marks shall as under:-

##### **1) For candidates of Villages/Town at distance:-**

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| a) Upto 1.5 Kms. from school | 10 marks |
| b) Upto 2 Kms from school    | 8 marks  |
| c) Upto 3 Kms from school    | 6 marks  |
| d) Upto 4 Kms from school    | 4 marks  |
| e) Upto 5 Kms from school    | 2 marks  |

##### **2) For candidates whose families have donated - land for school.**

**5 marks**

For candidates belonging to SC/ST/OBC

3 marks

For candidates belonging to un-employed families

5 marks

3) Interview/Viva

7 marks

Total

30 marks.

#### **8. APPLICATION OF RESERVAITON ROSTER:**

Since this is a contractual engagement by the Gram Panchayat/ Urban Local Body, for a particular school and that too for a specified periods on a fixed remuneration, therefore, reservation roster is not applicable.

#### **9. SELECTION PROCEDURE:**

Candidates will be selected by a committee comprising of representatives of the PRIs/Urban Local Bodies and the Department.

#### **10. ELIGIBILITY FOR APPLICATION:**

The candidates with requisite educational and age qualifications should be permanent residents of the same village/Panchayat/Urban Local Body, in which the primary school is located, for which the vacancy has been notified.

All such candidates who had earlier applied for and in whose case interview were held but have not been appointed will also be considered for appointment subject to the fulfillment of the conditions prescribed under this scheme.

#### **11. SELECTION COMMITTEE:**

As notified by the Government from time to time.

#### **12. COMPASSIONATE GROUND APPOINTMENT:**

The Government will have the power to appoint any candidate as part time water carrier on compassionate ground without following the selection process if the candidates are widows, women deserted by their husbands, or otherwise destitute handicapped persons and if the candidates falls below the poverty line as defined by the Rural Development Department from time to time.

#### **13. DECLARATION OF RESULT:**

Based on all relevant certificates enclosed with the application, a merit list will be drawn up and the person at the top will be offered appointment within 15 days of the interview subject to the verification of all information and certificates against the originals.

#### **14. APPOINTMENT:**

The appointment of the selected part time water carriers will be made on contractual basis by the employer Gram Panchayat/Urban Local Body after executing a proper agreement between the candidate selected for appointment and the employer Gram Panchayat/Urban Local Body on the prescribed form of agreement at Annexure-1.

#### **15. WAITING LIST:**

For every selected candidate, a waiting list of two candidates will be prepared on merit. This waiting list will be valid for one year after the selection process is over. Waiting list candidates may be appointed if the selected candidate does not join or he/she leaves the job within one year of appointment.

#### **16. WAGES/HONORARIUM:**

The part time water carrier will be paid an honorarium of Rs. 1000/-(Rupees one thousand only) per month for ten months in an academic year, by the respective employer Gram Panchayat/Urban Local Body of the area out of the Grant-in-aid allocation made available by the State Government.

#### **17. AGE:**

As prescribed by the Government from time to time, the age limits is to be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertised by the Gram Panchayat/Urban Local Body of the area. The relaxation in the upper age limit in respect of categories of SCs/STs/OBCs etc. will also be admissible as per the State Govt. norms.



## **18. APPOINTING/PUNISHING AUTHORITY:**

The part time water carriers so recruited shall be contractual employees of the Gram Panchayat/Urban Local Body, for all intents and purposes. The appointing /punishing authority in respect of part time water carriers will be the employer Gram Panchayat/Urban Local Body.

## **19. ADMISSIBILITY OF CASUAL OR ANY OTHER KIND OF LEAVE:**

- i) One casual leave will be admissible to the part time water carriers after putting in one month's continuous service. Total casual leave admissible to the part time water carriers will not exceed ten in a year. No other kind of leave will be admissible to the part time water carriers.
- ii) Continuous absence beyond a week from the school without approval of the employer

shall automatically lead to the termination of the services of the part time water carriers. The part time water carriers will not be entitled for any wages/honorarium for the period of absence.

## **20. RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:**

The candidates appointed as part time water carriers under the scheme, by the respective Gram Panchayats/Urban Local Bodies of the areas in which the primary school is located, shall have No Right to claim regularization/ absorption/ appointment as regular class-IV employees of the State Government.

21. The Government of Himachal Pradesh shall have the right to relax/amend any of the terms and conditions/provisions mentioned in the above scheme in public interest.

By order

**(SUDRIPTO ROY),**

Commr-cum-Secretary (Edu) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Endst No. EDN-C-B(2)-7/95

Dated

Shimla-2

27-7-2001

Copy forwarded to :-

1. All Ministers/State Ministers/Chief Parliamentary Secretary/Parliamentary Secretaries in Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. All Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Secretary to the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla-4.
4. The Controller, Printing and Stationery , HP Shimla-5 for favour of publication in the Rajpatra. He is requested to supply ten copies of the Rajpatra to this Deptt. With a Bill on account of cost, if any.
5. All the Deputy Commissioners in HP.
6. All the Head Department in HP
7. The Joint Secretary(GAD) to the Govt. of HP.
8. The Director of Education (Secondary), HP Shimla-1
9. The Director of Primary Education HP Shimla-1
10. The Dy. Director of Education, South Zone (Shimla)/North Zone (Dharmashala)/ Central Zone Mandi and West Zone Hamirpur.

11. All the District Primary Education Officers in H.P .
12. All the Distt. Education Officers in HP.
13. All the Block Primary Education Officers in HP .
14. The section officer(Edu.A), HP Sectt. Shimla-2
15. The section Officer(Edu.B), HP Sectt. Shimla-2

**Sd/-**  
**Under Secretary(Edu) to the**  
**Govt. of Himachal Pradesh.**

**Form of agreement to be executed between GRAM PANCHAYAT and GRAM ANSHKALEEN JALVAHAKS selected under GRAM ANSHKALEEN JALVAHAK'S YOJNA 2001.**

An agreement made this the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ year \_\_\_\_\_ between \_\_\_\_\_ (hereinafter called the contractual worker of the FIRST PART, and the Pradhan Gram Panchayat of the other part.)

Whereas the Gram Panchayat has engaged the party of the FIRST PART and the party of the FIRST PART has agreed to serve as GRAM ANSHKALEENJAL VAHAK on the terms and conditions hereinafter contained.

WHEREBY it is agreed as follows

1. That the GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAK shall remain in the service of the /Govt. Primary School village \_\_\_\_\_ Gram Panchayat in the \_\_\_\_\_ for a periods commencing on the day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ it is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of employment of a party of the FIRST PART shall ipso-facto stand terminated on the last working day on \_\_\_\_\_ No formal notice/order by the party of the second part conveying the same shall be necessary.

1. That the employee shall submit himself/herself to the orders of the Gram Panchayat and of the officers and the authorities under whom he/she may from time to time to be placed by the Gram Panchayat and shall abide by the Primary Education Department from time to time.

2. That he/she shall employ himself/herself efficiently and diligent and to the best of his/her ability as GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAK and that he /she shall devote his/her time to the duties of the service and shall not engage directly or indirectly in any trade/business or occupation on his/her own account and that he/she shall not(except in case of accident or

sickness certified by civil surgeon/authorized medical officer) absent himself /herself from his/her said duties without having obtained prior permission from the immediate officer. The GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAK will not be entitled for any remuneration for the period of absence .

3. The service of the party of the FIRST PART shall terminate as follows:-

(i) Automatically at the end of term given in the appointment letter.

(ii) By the Gram Panchayat without previous notice, if the GRAM PANCHAYAT is satisfied on medical evidence before it, that the party is unfit and is likely for a considerable period to continue unfit by reason of ill health for the discharge of his/her duties. Provided always that the decision of the GRAM PANCHAYAT that the party of the FIRST PART is likely to continue unfit shall be conclusively binding on the party of the FIRST PART is likely to continue unfit shall be conclusively binding on the party of the FIRST PART and thereupon his/her services shall be terminated.

(iii) By the GRAM PANCHAYAT or its officers having proper authority without any previous notice, if the party of the FIRST PART is on to be prima-facie guilty of any insubordination, intemperance, moral turpitude or other misconduct or of any breach or non-performance of any of the provisions of these presents, or is otherwise found unsuitable for the efficient performance of his/her duties.

(iv) By one-month notice in writing given at any time during service under his agreement either by the GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAKS to the GRAM PANCHAYAT or by the competent authority to the GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAKS.

(V) Provided always that the GRAM PANCHAYAT may pay the GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAKS, one month's remuneration in lieu of such notice, and thereupon this agreement shall stand terminated forthwith.

4. GRAM PANCHAYAT shall pay the GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAK as long as the employee shall remain on contract and actually performs of the duties assigned to him/her, a consolidated remuneration of Rs. ....../- per month, Rs.....per month shall be paid for the period of contract. No other allowances shall be admissible.

5. In respect of any matter of which no provision has been made in this agreement, or in the GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAK YOJNA-2001, shall be dealt with as per the instructions issued by the Govt. from time to time.

6. The GRAM ANSHKALEEN JAL VAHAK shall have to execute the work assigned to him/her by the competent authority, other than his/her own duties in public interest.

7. It is expressly stated and agreed to by the party of the FIRST PART that any duration of service under this agreement shall in no way give him/her any right to claim for absorption in regular vacancies that exist or may arise in future in particular cadre.

8. NOTWITHSTANDING anything here in before contained in this agreement the Govt. shall be free to make departure from the terms and conditions of this agreement in the exigencies of public service or in PUBLIC INTEREST if the circumstances so warrant.

9. This offer of appointment is non-governmental, on a fixed remuneration and it does not entitle his/her for any governmental scale.

10. FIRST PARTY shall have to furnish a declaration to the effect that he/she has not more than one living spouse in case he/she is married.

11. FIRST PARTY will be required to take the prescribed oath of allegiance to the Constitution of India.

12. FIRST PARTY engagement is subject to character and antecedents being certified to be good by two gazetted officers responsible persons not being its relatives.

13. FIRST PARTY will have to furnish attested copies of certificates in support of date of birth, academic qualification etc. at the time of joining the contract.

14. FIRST PARTY will have to produce medical certificate of its fitness from a Govt. Medical Officer before joining.

15. No TA/DA will be paid to FIRST PARTY for joining the contract.

IN WITNESS WHEREOF THE party of the FIRST PART and Pradhan Gram Panchayat on behalf of the party of the OTHER PART have here into set their hands the day, month and year first, above written.

SIGNED BY:-

PARTY OF THE FIRST PART \_\_\_\_\_

IN THE PRESENCE OF;

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

SIGNED BY:-

PARTY OF THE SECOND PART \_\_\_\_\_

IN THE PRESENCE OF;

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_



**EDN-H(Pry)(4)4-32/99-Vol-III**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Directorate of Elementary Education**

**Dated** **Shimla-171001, the** **June, 2006**

**To**  
**The Principal Secretary (Education) to the**  
**Government of Himachal Pradesh,**  
**Shimla-171002.**

**Subject:-** **Regarding authorizing Pradhan of Gram Panchayat for checking the**  
**village level institutions.**

**Sir,**

In reference to your kind letter No. EDN-C-B(15)-10/2005 dated 14-02-06 on the subject cited above, it is submitted that under the process of devolving powers to Panchayati Raj Institutions, the Pradhans of Gram Panchayats have already been authorized to check the Village Level Institutions and report on physical attendance of teachers and other support staff of Govt. Primary Schools vide this office letter No. Shiksha (H)(Pry)(4)-4-32/96 dated 12-12-1996 (copy enclosed). Besides this, ownership of all Govt. Primary School buildings has also been transferred to standing committee of PRIs for construction/maintenance. And, the Gram Panchayats have been declared as beneficiary trustees, as far as primary schools are concerned, so that they could enjoy the right over the land as long as the land is primarily used for the purpose of primary education. The Gram Panchayats have also been assigned a role to appoint Primary Assistant Teachers and Part Time Water Carriers in Govt. Primary Schools.

In this regard it is further added that, in order to give wider publicity in respect of the devolution of powers to PRIs, highlighting the various roles assigned and expected from Gram Panchayats in various other associated fields such as in promoting attendance/enrollment and help in implementing Mid Day Meal Scheme in the State, a Booklet was also brought out for all Panchayats of the State and was circulated vide the above said letter.

This is for favour of your information and further necessary action in the matter please.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**DIRECTOR**

Endst. No: Even, Dated: Shimla-171001, the June, 2006

Copy to:-

The Joint Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh Shimla-171002 for information please.

**Sd/-  
DIRECTOR**

**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Fisheries**

**No. FSH-A(3)-1/97 Dated Shimla-2**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by clause (e) of section-2 of Himachal Pradesh fisheries Act, 1976(Act 16 of 1976), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the following members of Panchayati Raj Institutions as Fisheries officers in terms of section-10 of the said Act with immediate effect:-

- (i) Chairman & all members of Zila Parishad.
- (ii) Pradhan and Up-pradhan of Gram Panchayat

The Governor is further pleased to order that money realized from the offenders as compensation/fines would be retained by concerned Panchayati Raj Institutions as its revenue. Further the designated officers shall not be entitled to any remuneration and payment for the performance of their duties under the Act ibid and Rules framed thereunder.

**By order**

**F.C.-cum-Secretary(Fisheries) to the  
Government of Himachal Pradesh**

Endst. No. Fish-A(3)1/97 Dated Shimla -2 23<sup>rd</sup> April, 1999.

Copy to:-

1. All the Secretaries/Joint Secretaries/Deputy Secretaries//Under Secretaries, Government of Himachal Pradesh.
2. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
3. The Controller Printing & Stationery Department, HP Shimla-5.
4. The Director-cum-Warden of Fisheries, Bilaspur.
5. The Director of Fisheries, Kullu.
6. The Assistant Director of Fisheries, Shimla, Solan, Nahan, Mandi, Bilaspur, Palampur, Pong Dam and Gagret , HP.
7. The Chief Executive Officer, FFDA Kangra/Bilaspur, HP.

**Sd/-**

**Special Secretary(Fish.) to the  
Government of Himachal Pradesh**



**Government of Himachal Pradesh**

**Department of Fisheries**

**No. FSH-A(3)-1/97**

**Dated**

**Shimla-2**

**Notification**

In continuation of this Department notification No. Fish-A(3)-1/97 dated the 23<sup>rd</sup> April, 1999 conferring the powers of Fisheries Officers to member of PRIs, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to empowers the following to issue fishing licence to anglers for sport fishing and professional fishermen for fishing in general and trout waters in their respective jurisdictions excluding lakes and reservoirs:-

1. Pradhan or Up-Pradhan. For issuing of fishing license to anglers for sport fishing.
2. Chairman or Vice Chairman of Block Samiti For issuance of fishing license to professional fishermen for general and trout water.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the money realized as license fee would be retained by the concerned Panchayati Raj Institutions as its revenue.

**By order**

**F.C.-cum-Secretary(Fisheries) to the  
Government of Himachal Pradesh**

Endst. No. Fish-A(3)1/97 Dated

Shimla -2 30.1.2001

Copy to:-

1. All the Secretaries to the Govt. of HP.
2. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
3. The Controller Printing & Stationery Department, HP Shimla-5 for publication in the Rajpatra.
4. The Director-cum-Warden of Fisheries, Bilaspur for circulation to his field officers.
5. The Chief Executive Officer, FFDA Kangra/Bilaspur, HP.

**Sd/-**

**Joint Secretary(Fish.) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

## खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 16 दिसम्बर, 1992.

संख्या:10(2)30 / 84-5-33009-79

हिमाचल प्रदेश में स्थित उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कार्यरत सभी उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियां का गठन किया जाता है। प्रत्येक समिति के सदस्य निम्न प्रकार से होंगे:-

1. प्रधान, ग्राम पंचायत
2. प्रधान सहकारी सभा
3. प्रधान महिला मण्डल
4. प्रधान युवा मण्डल
5. मुख्याध्यापक सम्बन्धित ग्राम पंचायत में स्थित उच्चतम या उच्च पाठशाला
6. उप-मण्डलाधिकारी(नागरिक) द्वारा मनोनीत दो स्थानीय कार्यकर्ता
7. सतर्कता समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान होगा। यह सतर्कता समितियां तुरन्त कार्य आरम्भ कर देगी।

यह सतर्कता समितियां स्वैच्छिक संस्थाएं होंगी तथा स्वेच्छा से कार्य करेंगी तथा इन सतर्कता समितियों का कार्य निम्नलिखित होगा:-

1. सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान सभी आवश्यक वस्तुएं प्रति माह उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाती है या नहीं। इसकी चौकसी करना;
2. सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सही पालन करता है या नहीं, और
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित शिकायत/सुझाव तहसील/विकास खण्ड के स्तर पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी को दिए जाएं। अगर उनसे संतोषजनक समाधान न हो तो सम्बन्धित उप-मण्डलाधिकारी(नागरिक) को दिए जाएं और इसके उपरान्त जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक द्वारा ऐसे मामले जिलाधीश के ध्यान में लाए जाएं।

पी0सी0धीमान  
निदेशक,  
खाद्य एवं आपूर्ति

संख्या:—एफ.डी.एस.—एच(एफ)(6)(4) / 95—28431—42  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग।

प्रेषक:

निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति,  
हिमाचल प्रदेश शिमला—9.

प्रेषित:

1. समस्त जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक,  
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक

शिमला—171009

25 अक्टूबर, 1999

विषय:—

लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली के कार्यकलापों में पंचायती राज  
संस्थानों को शामिल करना।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर वित्तायुक्त एवं संचिव(खाद्य एवं आपूर्ति) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार खाद्य और उपभोक्ता मामले मन्त्रालय खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या: 11(4)/99—पी.डी.— दिनांक 2.7.99 की प्रतियां हिन्दी अनुवाद/अनुलग्नकों आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है तथा अनुरोध है कि उक्त हिदायतों की अनुपालना बारे उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न:—

हस्ता/—

कृते निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति,  
हिमाचल प्रदेश शिमला—9.

पृष्ठांकन संख्या:—उपरोक्त— 28443—45

दिनांक 25.10.99

प्रतिलिपि:—

1. वित्तायुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति) हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. आवसीय आयुक्त, पांगी, हि0प्र0।
3. अतिरिक्त उपायुक्त, काजा, हि0प्र0।
4. सयुक्त निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति, क्षेत्रिय कार्यालय, धर्मशाला जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/—

कृते निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति,  
हिमाचल प्रदेश शिमला—9.

**विषय:— लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकलापों में पंचायती राज संस्थानों को शामिल करना।**

### **भूमिका**

1. सरकार यह महसूस करती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस प्रकार सुदृढ बनाया जाना चाहिए ताकि इसके द्वारा उचित क्वरेज करना और इसे अधिक कारगर बनाना सुनिश्चित हो सके। यह भी महसूस किया जाता है कि यह प्रणाली पारदर्श और जवाबदेह होनी चाहिए जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रावधान होना चाहिए। भारत सरकार यह महसूस करती है कि उचित दर दुकानों के कार्यकलापों के बारे में नागरिकों को कोई जानकारी नहीं होती है जिसके कारण बड़े पैमाने पर कदावार के मामले होते हैं। अन्य क्षेत्र जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है यह लक्षित समूह को राशन कार्ड जारी करना है। यद्यपि यह भी प्रतीत होता है कि इसकी अन्य समस्या यह है कि गलत लोग गरीबी की रेखा से नीचे की दरों पर राशन और अन्य जिनसे ले रहे हैं, जो अत्यधिक राजसहायता प्राप्त होती है यह महसूस किया जाता है कि अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रावधान हो, इस प्रणाली की अधिकांश बुराइयों को खत्म कर सकती है। यह महसूस किया जाता है कि साधारण प्रशासनिक उपायों से इस प्रणाली में सुधार करने में काफी सहायता मिलेगी। इनका उल्लेख नीचे किए गए पैरों में किया गया है।

### **उचित दर दुकानों के बारे में सूचना का अधिकार**

2. ग्रामवासियों और इच्छुक व्यक्तियों को प्रत्येक के पास सब कार्डों की संख्या सहित उचित दर दुकानों के पते की जानकारी रखने का अधिकार होना चाहिए प्रत्येक उचित दर दुकानों को प्रत्येक कार्ड के सम्बन्ध में कर्मचारी के नाम प्रत्येक कार्ड के यूनिटों की संख्या और कार्डधारी के आवास की पहचान जैसी आधारमूत सूचना भी रखनी चाहिए गरीबी की रेखा से नीचे के कार्डों के ब्यौरे अलग से चिह्नित होने चाहिए।

### **गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगी**

3. गरीबी की रेखा से नीचे के लाभभोगियों की सूची उचित दर दुकान और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि जनता इसे देख सके इससे अपात्र परिवारों को निकालने में सहायता मिलेगी जो अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की आपूर्तियां ले रहे हैं।

### कुछ एक सूचना के बारे में उपभोक्ताओं का अधिकार

4. उपभोक्ताओं को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जा रही प्रत्येक जिन्से की प्रति व्यक्ति हकदारी की भी जानकारी रखने का अधिकार है। उन्हें जिन्सों के मूल्य के बारे में जानकारी दिए जाने की भी आवश्यकता है। समय-समय पर इस सूचना में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए त्यौहार मौसमों के दौरान चीनी की हकदारी बढ़ सकती है अथवा अतिरिक्त वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकती है जो इस क्षेत्र में सामान्यता सप्लाई नहीं की जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हकदारी प्रभावित हो सकती है। उपभोक्ताओं को दी जानी वाली इस सूचना के लिए प्रबन्ध किए जाने की आवश्यकता है। सम्भव तरीका स्थानीय समाचार पत्रों के जरिए प्रचार करना हो सकता है ग्राम पंचायतों, ब्लाकों, तहसीलों आदि के कार्यालयों में एक नोटिस लगाया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी श्रव्य दृश्य मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

### स्टाक स्थिति प्रदर्शित करना

5. जिन्सों को आमद की तारीख और प्रत्येक दिन को स्टाक स्थिति एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसे उचित दर दुकान पर खास स्थान पर प्रदर्शित दिया जाना चाहिए इस प्रावधान को पूरा न करने को गंभीर के रूप में लिया जाना चाहिए।

### इच्छुक समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित कुछेक कागजातों की प्रतियां उपलब्ध कराना।

6. प्रत्येक उचित दर दुकान राशन कार्ड रजिस्टर स्टाक और विक्री रजिस्टर रखती है रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ के नीचे "टियर-आफ" पृष्ठ होना चाहिए ताकि दर्ज की जाने वाली इन्द्राज के समय कार्बन रखकर "टियर-आफ" पृष्ठ पर आसानी से और स्वतः एक प्रति तैयार की जा सके। इसे रजिस्टर से आगामी से अलग किया जा सकता है और इस प्रति को ग्राम पंचायतों को भेजा जा सकता है पंचायतों के परिसरों में इच्छुक किसी भी समूह द्वारा निरीक्षण करने के लिए यह टियर-आफ पृष्ठ उपलब्ध होना चाहिए। यदि क्रॉस चैकिंग के लिए कोई इसकी प्रतियां लेना चाहता है तो उसे सामान्य फीस लेकर इसे दी जानी चाहिए। यह फीस प्रतियां तैयार करने की लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों को ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने चाहिए जिससे ग्राम पंचायतों के किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगी गई उचित दर दुकान के कागजातों की प्रतियां(हाथ से तैयार कर फोटो प्रति आदि) उन्हें उपलब्ध कराई जा सकें और यह भी तय किया जाना चाहिए कि यह प्रतियां किस प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी इस प्रयोजन हेतु समय अवधि निर्धारित की जानी चाहिए जिसके अन्दर ऐसे कागजात उपलब्ध होने चाहिए।

7. उन राज्यों में जहां उचित रूप से गठित ग्राम पंचायत किसी कारणवश कार्य नहीं कर रही है राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों की उक्त जिम्मेदारियों निभाने के लिए वैकल्पिक तन्त्र का पता लगाया जाना चाहिए। वर्तमान सतर्कता समितियां एक ऐसा तंत्र हो सकता है।

#### **उचित दर दुकानों को चलाने के काम में ग्राम सभा को सम्बद्ध करना:**

8. भारत सरकार ने पहले ही राज्यों को लिखा है कि 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) पहली मई (श्रम दिवस) 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को भारत वर्ष में 4 बार ग्राम सभा बुलाई जानी चाहिए। आशा है कि राज्य सरकारों ने इन बैठकों के लिए स्थान और राज्य (अग्रिम रूप से प्रचारित) निर्धारित कर दिया होगा क्योंकि इन महत्वपूर्ण मदों के सम्बन्ध में सूचना की कमी अथवा अपर्याप्त सूचना होने से इसका उपयोग गैर जिम्मेदार ग्राम पंचायत ओहदेदार इन बैठकों में ग्राम सभा के अधिक सदस्यों के भाग लेने से बच सकते हैं। क्षेत्र की उचित दर दुकानों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत समिति की रिपोर्ट ग्राम सभा की कार्यसूची की अनिवार्य मद होनी चाहिए जिसमें उचित दर दुकान के मालिक को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। वास्तव में उसकी उपस्थिति पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि ग्राम सभा उचित दर दुकानों के कार्य निष्पादन को सन्तोषजनक नहीं पाती है तो उक्त प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ऐसा ग्राम सभा की बैठक होने के एक सप्ताह के अन्दर किया जाएगा।

#### **उचित दर दुकान के कार्य निष्पादन के बारे में ग्राम सभा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारित पदाधिकारी का कर्तव्य:**

9. उचित दर दुकान के असन्तोषजनक कार्य निष्पादन और उसके ब्यौरे के बारे में ग्राम सभा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारित प्राधिकारी को राज्य सरकार द्वारा विहित समय सीमा के अन्दर इसकी जांच करनी चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए। यदि ग्राम सभा द्वारा लगाए गए आरोपों में तथ्य पाए जाते हैं तो उचित दर दुकान का लाईसैंस निरस्त किया जाएगा और फिर से राज्य सरकार द्वारा विहित समय सीमा के अन्दर कानून के उपबन्धों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। निरस्त/रद्द उचित दर दुकान को चलाने सम्बन्धी विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्राधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

## **नए राशन कार्ड बनाना**

10. राशन कार्ड जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित दिनों (30-45 दिन) के अन्दर राशन कार्ड हेतु आवेदक का दावा सत्यापित किया जा सके और आवेदक को सूचित करते हुए उसका दावा स्वीकार किया जा सके अथवा रद्द किया जा सके। आवेदक के लिए अपना आवेदन ग्राम पंचायत को देना सम्भव होना चाहिए जो इसे राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार सभा विहित प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

## **राशन कार्ड की जांच करना**

11. ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह कभी-कभी राशन कार्डों की जांच करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि राशन कार्ड उचित है और इसमें उल्लिखित यूनिटों की संख्या सही है। ग्राम पंचायत की उचित दर दुकान समिति अपनी आकस्मिक जांच के परिणामों की सूचना ग्राम सभा को देगी। इसमें की गई जांच की संख्या और पंजी राशन कार्ड निरस्त करने के सम्बन्ध में इसके द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम तथा जांच किए गए राशन कार्डों पर दी गई यूनिटों की संख्या दी जाएगी।

## **राशन कार्ड पर मुद्रित की जाने वाली सूचना:**

12. उपभोक्ता के लिए आवश्यक कुछ मूल सूचना राशन कार्ड के अंतिम पृष्ठ पर मुद्रित की जानी चाहिए। इसमें उसके अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की प्रति यूनिट पात्रता राशन कार्ड जारी करने के समय उनका मूल्य और उचित दर दुकान के सम्बन्ध में जिस प्राधिकारी को शिकायत भेजी जानी है उसका नाम और पते के बारे में सूचना की जानी चाहिए।

## **शिकायत का निपटान:**

13. उपभोक्ता उचित दर दुकान के बारे में अपनी शिकायत जिस प्राधिकारी को भेजेगा उसके नाम और पते के बारे में ग्राम पंचायत सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख पिछले पैराग्राफ में उल्लेखित प्रत्येक राशन कार्ड के साथ संलग्न सूचना पत्र में भी दिया जाना चाहिए। तथापि, उपभोक्ता के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वह अपनी शिकायत ग्राम पंचायत में दर्ज कर सकें जो इसे निपटाने हेतु निर्धारित प्राधिकारी को भेजेगा। ऐसी सभी शिकायतों का निपटान राज्य सरकार द्वारा तय की गई विहित अवधि के अन्दर निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और इसके परिणाम के बारे में पंचायत को भी सूचित किया जाना चाहिए।

## FOREST DEPARTMENT

**Government of Himachal Pradesh**

**Department of Forest**

**No. FFE-B(G)9-9/94 Dated Shimla-2, the 15.1.2000.**

### Notification

With a view to strengthen the role of Panchayati Raj Institution in the management of local resources and Promoting Participatory Forest Management, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the constitution of Panchayat level, Block level and District level Forest committees as under:-

#### **1. Panchayat level Committee shall comprise:-**

1. Members of the production committee constituted under section 23 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994; and
2. Presidents of Village Forest Development Society falling within the Panchayat.

#### **2. Block Development Committee shall comprise:-**

- i) Members of the Finance, Audit and Planning Committee of the Panchayat Samiti constituted under section 84 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.
- ii) One representative from each Village Forest Development Society in the block 33% of whom are women;
- iii) One Member from the Panchayats in the Block .....Member
- iv) All Range Forest Officer of Ranges in Block ; and ....Member
- v) Assistant Conservator of Forest .....Facilator

#### **3. District level Committee shall comprise:-**

- i) Members of the Finance, Audit and Planning Committee of the Zila Parishad constituted under section 95 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 .....Facilator
- ii) District Forest Officer .....Facilator
- iii) One Village Forest Development Society representative nominated from each Range 33% of whom are women and .....Member
- iv) One NGO representative .....Member



***Functions of the above committees shall be as under:-***

**4. Panchayat Committee shall:**

- i) Subject to technical advice by the Forest Department to scrutinize and approve within one month from the date of receiving receiving the micro-plan, duly passed by the General House of Village Forest Development Society, and
- ii) Help the concerned village Forest Development Society in accessing funds from other Department/schemes etc.; and on behalf of Gram Panchayat:
- iii) To take over management of assets created under social forestry programmes;
- iv) Ensure sharing and utilization of benefits of assets created under the policy of the Government;
- v) Access the availability of minor forest produce and report misuse if any;
- vi) Oversee soil conservation, afforestation, plantation and nursery works within the area;
- vii) Report on attendance of Forest Guard within the beat if Guard is absent from his duties.
- viii) Enlist local people and have co-operation from them to protect forests from fires and also to report regarding forest fires;
- ix) Prevent encroachments on forest and community lands and report cases to Range Officer/DFO concerned.
- x) Prevent and report the cases of illicit felling and poaching to the forest officials.

**5. The Block Committee shall:**

- i) Examine and consolidate the Annual Plan of operation for village Forest Development Society in the Ranges falling within the block.
- ii) Resolve disputes amongst Panchayats and Village Forest Development Society if any and on behalf of Panchayat Samiti.
- iii) Monitor exploitation of Minor Forest Produce and
- iv) Monitor the work of micro plans.
- v) Oversee soil conservation, afforestation, plantation and nursery works within their area.
- vi) To issue directions to Gram Panchayat regarding measures to be adopted for prevention of forest fires.
- vii) To recommend action against major and habitual defaulters to the Department.
- viii) Oversee the protection of wild life in the area.

**6. The District Committee shall on behalf of Zila Parishad:**

- i) Approve the Annual District Plan of operation of the Forest Department according to Annual Plan of operations/site specific plans submitted by the Block Committees as per budgetary availability and District Priorities;
- ii) Monitor and evaluate the activities of micro-plans.
- iii) Review fire prevention and control measure from time to time and recommend rewards for bravery and meritorious actions;
- iv) Educate the masses against illicit felling and poaching monitor offense in this regards.

The Conservator of Forests (Territorial) and DFO(T) shall ensure the constitution of the above committees under intimation to the Panchayati Raj Department and to this Department.

**By order**

**F.C. Cum-Secretary(Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Endst. No. As above                      Dated SML-                      15.1.2000.**

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Commr. Cum-Secy (Panchayati Raj) to the Govt. of HP.
2. The Pr. Chief Conservator of Forests, HP, Shimla.
3. All the Deputy Commissioners in HP.
4. All Conservator of Forests, HP.
5. All the Divisional Forest Officers.

**Sd/-**

**Additional Secretary(Fts.) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Government of Himachal Pradesh  
Department of Forests**

**No. FFE-B-G(9)9/94-II- Dated Shimla-2 the 28<sup>th</sup> February, 2003.**

**Notification**

In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 2 of the Indian Forest Act, 1927, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Pradhans of the Gram Panchayats in Himachal Pradesh as Forest Officer to carryout the purpose of rule 11 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit(Land Routes)Rules, 1978 for the issuance of pass for transport of minor forest produce collected from the forests in the concerned Panchayats, subject to the conditions that the provisions of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, notified vide notification No. Fts. (A)-3-1/77, dated 20.11.1978 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 5<sup>th</sup> March, 1978 as amended from time to time by the Government shall be adhered to.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the Pradhan of the concerned Panchayats shall issue pass for the itmes/species numbering 37 as listed in (Annexure-A) to this notification as per export fee prescribed therein and the fee so realized shall form the revenue of the Gram Panchayats.

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the Forest Guard of the area shall make recommendations to issue pass after verifying that the species for which such pass is to be issued are not banned for export, and that the species are extracted from the prescribed area in the approved extraction cycle, and that the extraction has been done in a sustainable manner and has not caused any ecological or environmental damage. Non-adherence to the above conditions may debar a Pradhan from issuing the pass for export and in such case power shall revert to the concerned officer of the Forest Department who was exercising these powers prior to issuance of this Notification.

**By order**

**Principal Secretary(Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

Endst. No. As above dated Shimla-2 the 28<sup>th</sup> February, 2003.

Copy forwarded for favour of information and necessary action:-

- a. All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP, Shimla-2.
- b. The Principal Chief Conservator of Forests, HP, Shimla-1. He is also requested that he would supply a copy of the HP Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978 notified vide notification No. Fts (A)3-1/77 dated 20.11.1978 as amended from time to time to the Director, Panchayati Raj, HP Shimla-9 for further circulation to the concerned Panchayats.
- c. The Principal Chief Conservator of Forests(Wildlife)HP Shimla.
- d. All the Heads of Department in Himachal Pradesh.
- e. All the Conservator of Forests in Himachal Pradesh.
- f. All the Deputy Commissioners, HP.
- g. All the Divisional Forest Officers in HP.
- h. The Controller Printing and Stationery Department, HP Shimla-5 with the request that this notification be published in the Rajpatra (Extra ordinary) and five copies of the Rajpatra be sent to this Department.
- i. Guard file.
- j. Spare copies (20)

**Sd/-**

**Joint Secretary (Forests) to the  
Govt. of Himachal Pradesh.**

**Annexure-A**

<b>Sr. No.</b>	<b>Botanical name of the minor forest produce</b>	<b>Local name of the export item</b>	<b>Fee(in Rs. per Qtl.)</b>
1.	<i>Alnslea aptera</i>	Sath Jnlori	50/-
2.	<i>Plcronhiza Kurroo</i>		Karoo 540/-
3.	<i>Jurinea Macrocephala</i>	Dhoop	500/-
4.	<i>Angalica Glauca</i>	Chora	125/-
5.	<i>Violaodorata</i>	Banafsha	2250/-
6.	<i>Valerian Wallichii</i>	Mushk Bala	600/-
7.	<i>Thallctrulm SPP</i>	Mamiri	335/-
8.	<i>Thymus sonhylum</i>		Ban Ajwain 100/-
9.	<i>Morchella esculante</i>	Guchchi	10,000/-
10.	<i>Potentalla nepalensis</i>	Dori	50/-
11.	<i>Pistachla integ-erina</i>	Kakarsinghi	1000/-
12.	<i>Polygonatum verticliatum</i>	Salm Mishri	1000/-
13.	<i>Salvia moorcroftlana</i>	Thuth	180
14.	<i>Banium persicum</i>	Kala zira	2000/- (if it is collected from the Forest)
15.	<i>Selinium vaginstrum</i>	Butkesh	400/-
16.	<i>Tinespora cordifolia</i>	Gloe	100/-
17.	<i>Orchis latifolla</i>	Salam Panja	6000/-
18.	<i>Valerlana hardwichii</i>	Nihani	600/-
19.	<i>Acorus calamus</i>	Buch	130/-
20.	<i>Plnus wallichlana</i>	Kail cones	1000/-
21.	<i>Adiantum Lanulatum</i>	Dusgtuli	80/-
22.	Lichens	Chalora	225/-
23.	<i>Ables webblana</i>	Taispatra	85/-
24.	<i>Hedychlum acuminatum</i>	Kapper Kuchri	70/-
25.	<i>Heraclsum spp</i>	Patishan roots	25/-
26.	<i>Corardiana heterophylla</i>	Bichu Buti	150/-

27.	Cedar rosette	Deodar rosette	150/-
28.	Birch pine	Kush cones	150/-
29.	Cehrella Spp	Bari phool	50/-
30.	Pyrus pashia	Kainth	30/-
31.	Colebrookea oppositifolia	Bindi Phool	50/-
32.	Rhodidendron SPP		Brass Phool 150/-
33.	Coleus Aromaticus		Pthan Bail 30/-
34.	Lichens & Mossess	Green Mous Ghass	250/-
35.	Hypericum	Khaarera/Basanti	250/-
36.	Curcuma SPP	Bar Haldi	50/-
37.	Juniperus	Bether patta	100/-

**Sd/-**  
**Joint Secretary (Forests) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**

**Government of Himachal Pradesh  
Department of Medical Education**

**No. HFW-B(F)7-2/2001 Dated: 10.12.2001.**

**Notification**

In supersession of this Department's notification No. HFW-B(F)7-10/92 dated the 27th January, 1997 and No. HFW-B(F)7-10/92-II dated the 22nd May, 2000 and in pursuance of the decision taken by the State Cabinet on the 27th October, 1999, the Governor, HP is pleased to order the formation of the following Advisory Committees at three levels of the Panchayat Raj so that their functions cover various aspects of Health & Family Welfare Programmes, which are directly related to public in general and to vest power and responsibilities on the PRIs to further improve the functioning of health sector programmes in the field.

1. There shall be Health & Family Welfare Advisory Committee, PARIKAS, in short (Parivar Kalyan Salahakar Samiti) at the Panchayat, Block and District level of Panchayati Raj.
2. The composition of these Samitis shall be as under:-

**Panchayat level:**

Adhyaksh:	Pradhan of the Gram Panchayat.
Sachiv:	Either male or female Health worker.
Sadasya:	Ward Panchs (not more than four, one of them being a women member to be elected from amongst the members of Panchayat). Representatives of NGO; Social Worker, Opinion builders; President and Secretary of Mahila Mandals, Ayurveda Chikitsa Adhikari, if there falls an Ayurvedic Health Centre in the Panchayat area, forest guard one teacher from the schools in the Panchayat, Anganwadi workers, Trained Traditional Birth Attendants; the other Health worker (if there are two in the Panchayat) shall be the co-opted members.

**Block level:**

Adhyaksh:	Adhyaksh of Panchayat Samiti.
Sachiv:	Block Medical Officer.

Sadasya: All the members of the Panchayat Samiti, representatives of the NGOs, if there is any in the Block, opinion builders, social workers, known active female workers; Ayurveda Chikitsa Adhikaris; Medical Officer in charge of PHC in the Block, Male and Female Health supervisors; Block Primary and Secondary Education Officer; Assistant Engineer(Roads and Buildings), Representatives of Social Welfare Department looking after the Block.

**District level:**

Adhyaksh: Chairperson of Zila Parishad

Sachiv: Chief Medical Officer

Sadasya: All members of Zila Parishad, Active Female workers of the district, District Primary/Secondary Education Officer, Executive Engineer(B & R), Representatives of NGOs, if any, Social workers, Representatives of Deputy Commissioner to be nominated by the DC, District Panchayat Officer, District Social Welfare Officer.

The following shall be the functions of various PARIKAS:

**Panchayat PARIKAS:**

To supervise and monitor the implementation of the following:-

- i) National Health Programmes;
- ii) Cleanliness of the villages;
- iii) Checking increasing pollution in water, air and noise;
- iv) Making people aware of the rabid dog and snake bites and their first aid treatment;
- v) Cleaning and using bleaching powder etc. for traditional water sources;
- vi) Disseminating information about reproductive child health care;
- vii) Checking whether sub-centers open regularly and immunization and other necessary facilities are being provided to the new born by the Health functionaries.
- viii) Helping in updating the records of births, deaths and marriages;
- ix) Preparing health micro-plans in the month of February every year;

**Block & District PARIKAS:**

To provide:

- i) Effective leadership;



- ii) Able guidance;
  - iii) Periodic inception of Health Institutions through sub-committees, each sub-committee shall have an elected representative and a medical officer, to be nominated by PARIKAS;
  - iv) Appropriate counselling, whenever required;
  - v) Propagating Information, Education, Communication (IEC) w.r.t. Health Programmes;
4. PARIKAS at three levels of PRIs are broad based and shall function as Inter Department Co-ordination Committees;
5. The Panchayat Parikas shall meet once in a month on the date as decided by the Adhyaksh and Sachiv of Parikas.
6. The District and Block Parikas shall meet once in two or three months on the date as decided by the respective Adhyaksh and Sachiv of these Parikas.
7. A member of Parikas may bring to notice of the whole body the non-adherence of official timings of opening and closing of a sub-centre or not opening of the sub-centre at all or about the absence of a particular health worker from duty. On confirmation, the Gram Panchayat shall pass a resolution and send complaint report to the Block Medical Officer concerned.
8. Site location or relocation of a sub-centre shall be discussed in Parikas and then the Gram Panchayat shall give its final decision on it.
9. The functioning of civil dispensaries and primary health centers may be discussed in Khand Parikas and faults, if any, like, absence of staff from duty shall be forwarded by the Panchayat Samiti to the Chief Medical Officer.
10. The Panchayat Samiti shall finally decide site location or relocation of CD and PHC falling in the area of operation of the Samiti, after discussion in Khand Parikas.
11. Zila Parikas shall cover all Health Institutions barring Zonal Hospitals, District Hospitals, District Ayurvedic Hospitals and Referral Hospitals and may discuss the shortcomings including absence from duty of the staff from the institutions under its supervision and then the Zila Parishads shall send complaint report, if a fault is confirmed, to the Chief Medical Officer concerned or the Director of Health Services.

12. Site location or relocation of a Community Health Centre falling in the District shall be discussed in Zila Parikas and the final decision on it shall rest with Zila Parishad.

**By order**  
**(Vineet Chawdhry),**  
**Commr. Cum-Secy. (Health) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**

**Endorsement: As above:**

**Dated: 10.12.2001.**

**Copy to:**

1. Commissioner-cum-Secretary(Panchayati Raj).
2. Director (Panchayati Raj) with a request to help in immediate formation of Parikas.
3. Director Health Services, HP Shimla-9 to kindly ensure that full co-ordination of Health Department functionaries is made available to the Panchayati Raj institutions and that Parikas start functioning and also to send copies of this notification to all the Block Medical Officers for abiding by the contents of the Notification and also informing all the Medical Officers under their control to abide by the same.
4. Chief Principal Conservator of Forest, Engineer-in-Chief(B& R) Director of Ayurveda, Director of Secondary and Primary Education, Director Social Welfare to kindly see that the functionaries of their Department attend the meeting of Parikas as and when required.
5. All the Deputy Commissioners to ensure that Parikas start functioning in their respective districts;
6. Chairpersons of Zila Parishad to ensure that Parikas start functioning at all levels of PRIs.
7. All Chief Medical Officers in HP.
8. Controller of Printing and Stationery, HP Shimla-5 with request that the above notification may be published in Rajparta and for forwarding a copy to the Department concerned.

**Sd/-**  
**Joint Secretary (Health) to the**  
**Government of Himachal Pradesh**

**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Health and Family Welfare**

**No. HFW-B(F)7-2001      Dated: 23.10.2002.**

**Notification**

In partial modification of the Notification of even number dated 10<sup>th</sup> of December, 2001 the following amendments/additions are made to the said notification. The amendments/additions shall come into force immediately:-

2. The composition of these Samitis shall be as under:-

**Panchayat level:**

Adhyaksh: Pradhan of the Gram Panchayat.

Sachiv: Either male or female Health worker.

Sadasya: Ward Panchs (not more than four, one of them being a women member to be elected from amongst the members of Panchayat. These may be the member selected for Amenities Committee under section 23(iii) of the PR Act). Representatives of not more than two NGO; two Social Worker, two Opinion builders; not more than two President and Secretary of Mahila Mandals, Ayurveda Chikitsa Adhikari, if there falls an

Ayurvedic

Health centre in the Panchayat area, Junior Engineer IPH, forest guard one teacher from each of the schools in the Panchayat, Anganwadi workers, Trained Traditional Birth Attendants; the other Health worker (if there are two in the Panchayat) shall be the co-opted members.

**Block level:**

Adhyaksh: Adhyaksh of Panchayat Samiti.

Sachiv: Block Medical Officer.

Sadasya: All the members of the General Standing Committee of the Panchayat Samiti formed under Section 84(1) of the PR Act, not more than two representatives of the NGOs, if there are any in the Block, not more than two opinion builders or social workers, not more than two known active female workers; Sub Divisional Ayurveda Chikitsa Adhikaris; Medical Officer in charge of PHC in the Block, Male and Female Health supervisors; Block Primary Education Officer, representatives of the Director Secondary Education in the Block, Assistant Engineers(B & R) IPH, CDPO.

**District level:**

- Adhyaksh: Chairperson of Zila Parishad  
Sachiv: Chief Medical Officer  
Sadasya: All members of General Standing Committees of the Zila Parishad formed under section 95(1) of the PR Act not more than two active Female workers of the district, District Primary/Secondary Education Officer, Executive Engineer(B & R), not more than two representatives of NGOs, if there are any in the district, not more than two social workers, Representatives of Deputy Commissioner to be nominated by the DC, District Panchayat Officer, District Social Welfare Officer.

3. The following shall be the functions of various Parikas:

**Block and District Parikas:**

4. To generate resources for Health Programmes and Institutions.

**By order**  
**(Vineet Chaudhary)**  
**Secretary(Health) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**

**Endorsement: As above: Dated: 23.10.2002**

**Copy to:**

1. Commissioner-cum-Secretary (Panchayati Raj).
2. Director (Panchayati Raj) with a request to help in immediate formation of Parikas.
3. Director Health Services, HP Shimla-9 to kindly ensure that full co-ordination of Health Department functionaries is made available to the Panchayati Raj institutions and that Parikas start functioning and also to send copies of this notification to all the Block Medical Officers for abiding by the contents of the Notification and also informing all the Medical Officers under their control to abide by the same.
4. Chief Principal Conservator of Forests, Engineer-in-chief(B& R) Director of Ayurveda, Director of Secondary and Primary Education, Director Social Welfare to kindly see that the functionaries of their Department attend the meeting of Parikas as and when required.
5. All the Deputy Commissioners to ensure that Parikas start functioning in their respective districts;
6. Chairpersons of Zila Parishad to ensure that Parikas start functioning at all levels of PRIs.
7. All Chief Medical Officers in HP.

8. Controller of Printing and Stationery, HP Shimla-5 with request that the above notification may be published in Rajparta and for forwarding a copy to the Department concerned.

**Sd/-**  
**Additional Secretary(Health) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**

**No. Health-A-A(2)1/2001-I**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Health & Family Welfare**

**From:**

**The Principal Secretary(Health) to the  
Govt. of Himachal Pradesh.**

**To**

**The Special Secretary(Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Dated Shimla-2, the 29-1-2007.**

**Subject:- Devolution of powers, functions to the Panchayati Raj Institutions Activity  
Mapping Thereof.**

**Sir,**

I am directed to refer to your letter No. PCH-HA(2)7/98 dated 24<sup>th</sup> may, 2006 on the subject cited above and to convey the approval of the Govt. to monitor Health Sub-Centres and Primary Health Centres to the extent of attendance/presence of the staff posted therein. The availability of medicines, machinery and equipments may also be checked by the Panchayati Raj functionaries. The reports in such cases shall be collected by the concerned BMOs and further arranged by the CMOs at District level. The CMOs shall take necessary remedial action regarding the attendance and working of the Doctors, Nurses and other para medical staff. The action taken reports shall be complied by DHS for further submission to the Government.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Under Secretary (Health) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

Endst. No. As above. Shimla-2

Copy to the Director of Health Services, HP, Shimla-9 for immediate similar necessary action in the matter:

**Sd/-**

**Under Secretary (Health) to the  
Government of Himachal Pradesh**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रम और पंचायती राज  
संस्थाओं सम्बन्धी मार्गदर्शिका

**1. तालमेल**

हर वह व्यक्ति जो समाज में रहता है, कभी सुख और कभी दुख भोगता चला जाता है। सरकार का और पंचायती राज संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे मिलजुल कर दुखी व्यक्ति की पीड़ा को दूर कर सकें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के कार्यक्रम में कौन बड़ा? कौन छोटा? या कौन पहला? कौन दूसरा? जैसे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। इसलिए पहली जरूरत है कि विभाग और ये संस्थाएँ पूरे तालमेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए समाज के प्रति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दायित्व को निभाएं।

**2. तालमेल किस स्तर पर होगा**

पंचायती राज के तीनों स्तरों पर सलाहकार समितियों, जो समितियाँ पहले बनाई गई समितियों का बेहतर स्वरूप होगा, के गठन द्वारा इस तालमेल को बनाया जाएगा।

(क) पंचायत स्तर पर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23(1) के अन्तर्गत एक "सुविधा समिति" (Amenities Committee) बनाई गई है। इसी का सुधरा स्वरूप पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति(संक्षेप में "परिकस") होगा। इसका गठन निम्न होगा:—

अध्यक्ष ... ग्राम पंचायत का प्रधान

सचिव ... पुरुष या महिला स्वास्थ्यकर्ता में से एक

सदस्य ... सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, पंचायत के जागरूक जन, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला मण्डल की प्रधान और सचिव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी यदि आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी पंचायत क्षेत्र में पड़ती है तो, आगंनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रशिक्षित पारम्पारिक दाईयाँ तथा महिला/पुरुष स्वास्थ्यकर्ता।

(ख) इस सलाहकार समिति के उपर जो समिति बनाई जाएगी वह खण्ड स्तर पर बनेगी। इसे खण्ड स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति(खण्ड परिकस) कहा जाएगा। यह समिति भी इसी विषय पर बनी पूर्व समिति का बेहतर स्वरूप हो:—

अध्यक्ष ... पंचायत समिति के अध्यक्ष

सचिव ... खण्ड चिकित्सा अधिकारी

सदस्य ... पंचायत समिति के सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, खण्ड के जागरूक जन, सामाजिक कार्यकर्ता, पुरुष-महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सहायक अभियन्ता(भवन), आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, पंचायत समिति के दायरे में पड़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।

(ग) पंचायती राज की जिला स्तरीय संस्था की भागीदारी से जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति(जिला परिकस)का गठन होगा जो निम्न रहेगा:—

अध्यक्ष ... जिला परिषद के अध्यक्ष

सचिव ... मुख्य चिकित्सा अधिकारी

सदस्य ... जिला परिषद के सभी सदस्य, जागरूक जन, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला मण्डलों से चुनी गई सक्रिय सदस्याएं, जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी।

### 3. तालमेल किस कार्य के लिए होगा?

तालमेल हर उस कार्य के लिए होगा जो परिकस के अपने क्षेत्र में पड़ने वाले परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य देने और कल्याण के लिए किया जाएगा।

स्वास्थ्य सम्बन्धित कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिन पर पूरे देश का ध्यान है। देश के अन्य राज्यों की भांति हमारे प्रदेश को भी इन समस्याओं/बीमारियों से जूझना है। आइए, सबसे पहले हम इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर एक नजर दौड़ा लें:—

1. प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य;
2. मलेरिया उन्मूलन;
3. तपेदिक नियन्त्रण;
4. कुष्ठ रोग उन्मूलन;
5. आयोडीन की कमी से उत्पन्न दोषों पर नियन्त्रण;
6. अतिसार(आंव पेचिश आदि) नियन्त्रण);
7. एडस नियन्त्रण;
8. यौन रोग नियन्त्रण;
9. अंधापन नियन्त्रण ; और
10. स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य।



#### 4. पंचायत परिकस क्या करेगी ?

पंचायत परिकस का योगदान नीचे दी गई बातों के लिए होगा:—

- (i) राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति जिन्हें मद 3 में सूचित किया गया है;
- (ii) पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों की सफाई और स्वच्छता के लिए कार्य करना और करवाना;
- (iii) अपने क्षेत्र में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकना;
- (iv) पागल कुते के काटने और सांप के डसने से पैदा हुए हालात के बारे में जानकारी का प्रसार करना तथा प्राथमिक उपचार करना;
- (v) गर्मियों में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर बावड़ियों, जलाशय आदि की सफाई करवाना;
- (vi) प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमों की जानकारी देना;
- (vii) बच्चों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, जैसे, टीकाकरण, उनका वजन मापते रहना, शारीरिक बढ़ौतरी देखना आदि;
- (viii) पंचायत के लिए समुदाय की जरूरतों को आधार मानकर वार्षिक परियोजना को एक दिए गए समय अनुसार तैयार किया जाएगा जिसका टाईम टेबल नीचे दिया जा रहा है।

##### हर वर्ष की 10 फरवरी :

महिला न होने पर पुरुष स्वास्थ्यकर्ता लोगों द्वारा चाही जाने वाली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली(क्वेश्चनेयर)तैयार करेंगे।

##### हर वर्ष की 20 फरवरी :

यह प्रश्नावली परिकस की बैठक में रखी जाएगी। विस्तार से चर्चा होगी। संशोधित भी की जा सकेगी।

##### हर वर्ष की 28 फरवरी :

स्वास्थ्य उप-केन्द्र की वार्षिक परियोजना तैयार कर ली जाएगी।

##### हर वर्ष की 1 मार्च :

यह वार्षिक परियोजना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दे दी जाएगी।

लघु परियोजना का मतलब है कि हर माह की बैठक में यह तय किया जाएगा कि हर माह परिकस क्या-क्या करेगी ; कार्य को कैसे पूरा किया जाएगा ; कितना खर्च होगा ; धन कहां से उपलब्ध होगा आदि।

- (ix) पोलीथीन के बिखरे लिफाफे/थैलियां आदि को गढ़े खुदवा कर उनमें दबवा देना। इनके जलाए जाने से जो गैस निकलती है उससे कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा होने का खतरा बना रहता है। अतः इन्हे दबाना ही चाहिए।

### 5. परिकस और स्वास्थ्य उप-केन्द्र

परिकस और स्वास्थ्य उप-केन्द्र के तालमेल से ही पंचायत में बसने वाले परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण में बेहतरी होगी। इस बात पर पूरा भरोसा करते हुए यह जरूरी है कि हम स्वास्थ्य उप-केन्द्र के बारे में जनकारी हासिल कर लें।

स्वास्थ्य उप-केन्द्र, जिसे अंग्रेजी में सब-सेन्टर कहते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सबसे निचली इकाई है। एक स्वास्थ्य उप-केन्द्र आज 2500 से 3000 तक की जनसंख्या को एक पुरुष तथा एक महिला स्वास्थ्यकर्ता(कहीं-कहीं केवल एक ही) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। सुविधा छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा के अतिरिक्त जो कार्य करता है वे नीचे दिए जा रहे हैं:-

1. टीकाकरण;
2. निरोध तथा गर्भ निरोधक के लिए खाने वाली गोलियों का वितरण;
3. आई0यु0डी0 का लगाया जाना;
4. परिवार नियोजन के बारे में सलाह देना;
5. एच0आई0वी0, एडस और यौन रोग सम्बन्धि बीमारियों के बारे में सलाह देना;
6. गर्भ के दौरान महिला की देखभाल तथा उसके वजन का माप लेते रहना;
7. लौह तत्व की गोलियां, फालिक एसिड और विटामिन ए का वितरण;
8. (अ) एलब्यूमिन तथा शूगर के लिए खून की जांच;  
(ब) हैमोग्लोबिन प्रतिशतता के लिए खून की जांच;
9. रक्तचाप की जांच;
10. महामारी के बारे में जानकारी देना;
11. विशेष घटना का रिकार्ड रखना तथा उपर के स्वास्थ्य अधिकारियों तक उसकी सूचना पहुंचाना;
12. गर्भवती महिला को तुरन्त "प्रथम निर्दिष्ट इकाई"(First Referral Unit) यानि

सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र या हस्पताल पहुंचाना;

13. जन्म, मृत्यु, विवाह के पंजीकरण हेतु मदद करना तथा इनके फार्म बांटना;
14. सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम जिन्हे मद 3 में दिया गया है, उन पर पूरा योगदान देना;

15. सांस की संक्रामक बीमारी तथा दस्त लगने पर तुरन्त उपचार करना;
16. सुरक्षित प्रसव के उपरान्त जच्चा-बच्चा की देखभाल;

### विशेष ध्यान देने योग्य बातें :

1. स्वास्थ्यकर्ता को स्वास्थ्य उप-केन्द्र के आस-पास ठहरना अनिवार्य है। इसलिए परिकस उसे उप-केन्द्र के नजदीक घर उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
2. स्वास्थ्य उप-केन्द्र रोज खुलेगा :  
समय:  
प्रातः 9.30 से 1.30 तक, और  
सायं: 2.00 से 4.00 तक
3. सप्ताह में एक दिन क्लिनिक डे(उपचार दिवस) होगा, इस दिन दोनों स्वास्थ्यकर्ता केन्द्र में रहेंगे।
4. यदि स्वास्थ्यकर्ता गांवों का दौरा न करता हो उप-केन्द्र खुलता ही न हो या स्वास्थ्यकर्ता मिलता ही न हो तो पंचायत एक प्रस्ताव पास कर इसकी सूचना खण्ड चिकित्सा अधिकारी तक अवश्य पहुंचाएगी।

### 6. परिकस किस तरह कार्य करेगी ?

परिकस के प्रधान और सचिव मिल कर हर मास में होने वाली परिकस की बैठक के लिए दिन तय करेंगे।

इस बैठक की नियत तारीख समय और स्थान के बारे में सूचना प्रधान और सचिव, परिकस समिति के सभी सदस्यों को कम से कम सात दिन पूर्व अवश्य पहुंचा देंगे।

सुझाव दिया जाता है कि सुविधा हेतु प्रधान परिकस के कार्यों के सही संचालन के लिए कार्यों का बंटवारा पंचायत वार्डों के अनुसार करें ताकि पंचायत का हर घर दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस कार्य को किए जाने का बीड़ा वार्ड सदस्य उसी वार्ड का अन्य सक्रिय व्यक्ति उठाए परन्तु दायित्व प्रधान सचिव परिकस का बना रहेगा।

अगले मास की बैठक में हर वार्ड में किए गए कार्य को परिकस जांचे तथा पूरी पंचायत के लिए किए गए कार्य का संकलन करें। जिस वार्ड का कार्य ढीला रहा हो या आशा के अनुरूप न चल रहा हो, उस वार्ड का स्वास्थ्यकर्ता विशेष दौरा रखे और कमियां दूर करने के उपाय वार्ड सदस्य या अन्य प्रतिनिधि को सुझाएं जिससे भविष्य में लक्षित कार्य में कोई कसर न रह जाए।

## 7. राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग कैसे ?

मद 3 में आपने स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर एक नजर डाली थी। आइए, अब उन्हें विस्तार से जानने का प्रयास करें। साथ ही साथ पंचायत की भूमिका इन कार्यक्रमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ तालमेल से चलाने में क्या रहेगी, उसकी भी जानकारी ले लें।

### 7.1 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग कैसे:

- (i) सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वार्ड की हर गर्भवती महिला का नाम स्वास्थ्य उप केन्द्र में स्वास्थ्यकर्ता ने रजिस्टर में दर्ज कर लिया है। यदि कोई ऐसी महिला छूट गई हो तो उसका नाम दर्ज करवाने में स्वास्थ्यकर्ता की सहायता की जाए।
- (ii) परिकस के सदस्य निम्न बातों पर अवश्य ध्यान दें:—
  - (क) प्रत्येक गर्भवती महिला को लौह तत्व आयरन की 100 गोलियां स्वास्थ्य उप-केन्द्र से मिल चुकी हैं और वह इनका नियमित रूप से सेवन कर रही है।
  - (ख) उसे टेटनेस के दो टीके एक महीने के अन्तराल पर लग चुके हैं।
  - (ग) गर्भ से पूर्व यदि शुभम दाई किट की जरूरत समझी जाए तो इसे निःशुल्क लें और गर्भ के समय प्रयोग में लाएं।
  - (घ) गर्भ गिराने के लिए निश्चित डाक्टर और नियत स्थान होते हैं। वहां ही जाना चाहिए। प्रसव के समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाएं नहीं तों किसी डाक्टर, प्रशिक्षित दाई, नर्स, पर्यवेक्षक(सुपरवाइजर) या स्वास्थ्यकर्ता के पास जाएं और उनकी सलाह को मानें।
  - (ङ) स्वास्थ्यकर्ता पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाले हर घर का एक महीने में कम से कम दो बार दौरा कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो परिकस की बैठक में मामला उठाएं।
- (iii) बच्चे के जन्म के बाद नीचे दी गई बातों की ओर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है:—
  - (क) बच्चे को समय-समय पर प्रतिरक्षण के टीके लग चुके हैं। यदि कोई बच्चा टीके लगने से छूट गया हो तो उसका टीकाकरण करवाने के लिए स्वास्थ्यकर्ता से मिलना परिकस के सदस्यों का कर्तव्य होगा।
  - (ख) सदस्य यह भी देखें कि तीन साल से कम उम्र के बच्चों को विटामिन ए की पांच खुराक मिल चुकी हैं।
  - (ग) बच्चे में यदि रक्त की कमी है तो लौह तत्व(आयरन) वाली गोलियां या घोल उसे स्वास्थ्य उप-केन्द्र से दिलवाएं।

- (घ) बच्चे को यदि दस्त लग जाएं तो माता पिता को सलाह दें कि बच्चे को जीवन रक्षक घोल पिलाते रहें और स्वास्थ्यकर्ता को भी इसके बारे में तुरन्त जानकारी दें ताकि ठीक उपचार हो सके। जीवन रक्षक घोल उप-केन्द्र से मुफ्त मिलता है। ऐसे बच्चे को दाल का पानी देना भी जरूरी है।
- (ङ) मां का दूध सर्वोत्तम है। बच्चा पैदा होते ही पहला दूध पिलाएं।
- (च) मां चार मास तक बच्चे को अपना दूध पिलाएं और चौथे महीने से दूध के साथ-साथ हल्का आहार भी दें।
- (iv) वार्ड सदस्य यह भी जान लें कि हर स्वास्थ्य उप-केन्द्र में पात्र पति-पत्नी का एक रजिस्टर होता है जिसका हर साल अप्रैल मास में नवीनीकरण होता है। इसमें हर वार्ड के सभी पात्र पति-पत्नी के नाम दर्ज होने चाहिए।
- (v) परिवार का आकार छोटा रखने पर बल देना भी आवश्यक है। हम दो हमारे दो ऐसा परिवार ही उपयुक्त आकार का होता है। पहले तथा दूसरे बच्चे के जन्म में कम से कम तीन वर्ष का अन्तर होना माता के स्वास्थ्य और बच्चे के परिपूर्ण पालन के लिए जरूरी है। इसकी सलाह परिकस के सदस्य लोगों को दें और स्वास्थ्यकर्ता के साथ मिल कर परिवारों को गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जानकारी दिलवाएं। यदि बच्चे जल्दी-जल्दी हों तो कमजोर बच्चे होते हैं तथा मां का स्वास्थ्य भी बिगड़ता जाता है। बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ जाती है।
- (vi) दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन के आपरेशन-नलबन्दी या नसबन्दी के लिए माता या पिता को प्रोत्साहित करना भी परिकस के सदस्यों का कर्तव्य है।
- (vii) गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों की ओर विशेष ध्यान देना भी परिकस का दायित्व होगा। ऐसे परिवारों को "राष्ट्रीय प्रसूति लाभ कार्यक्रम" में पहले दो प्रसव से पूर्व माता को पोषक आहार देने के लिए 500 रूपये प्रति माता को मिलता है। इसे खण्ड विकास अधिकारी(बी0डी0ओ0) से दिलवाएं। माता की आयु 19 वर्ष या इससे ऊपर होनी अनिवार्य है।
- (viii) देखे की आपके वार्ड में अठारह वर्ष से कम आयु की लड़की और इक्कीस वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी न हो। पता लगने पर इसकी सूचना एकदम ग्राम पंचायत के प्रधान तक पहुंचाएं क्योंकि अठारह वर्ष से कम आयु की बालिका और इक्कीस वर्ष से कम आयु का बालक का विवाह करवाना कानूनी अपराध है।

## 7.2 मलेरिया उन्मूलन

सबसे पहले यह बात ध्यान में रखे कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। किसी को भी बुखार हो तो स्वास्थ्यकर्ता को इसकी जानकारी दें। स्वास्थ्यकर्ता खून की जांच से बताएंगे कि बुखार मलेरिया है या कुछ और।

मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर को एनाफिलीज कहते हैं। मादा मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं। इनके रहने का स्थान गन्दी नालियां, कूड़े के ढेर, बड़े-बड़े टिन के डिब्बे, टांकियां, कुलर, टायर, फूलदान आदि हैं। इसलिए हमारा नारा है और होना भी चाहिए “ सफाई रखिए, मच्छर हटाइए”। मलेरिया न हो इसके लिए हमें करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर नीचे लिखी बातों से मिलता है:-

- (i) यह देखा गया है कि नालियों का निकास सही न होने के कारण वर्षा का पानी गांव के भीतर और बाहर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे पानी को कहीं भी इकट्ठा न होना दें। परिकस पंचायत के सभी वार्डों का दौरा करें और नालियों को सही निकास देने के उपरान्त उन्हें तथा पूरे स्थान को साफ-सूथरा रखें। कहीं भी ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। यदि गढों में पानी भरा हो तो उस पर मिट्टी डलवा कर भर दें।
- (ii) तालाबों के पानी में उपयोग में लाने के बाद बचा तेल या मिट्टी का तेल डालने से मच्छर नहीं पनपते। तेल इतना डाला जाए कि पानी के उपर तेल की पतली तह आ जाए। यह सामूहिक प्रयास से ही सम्भव है और परिकस को इसमें मुख्य भूमिका निभानी होगी।
- (iii) सभी परिवारों को सलाह दें कि वे पीने योग्य पानी के बर्तनों को हमेशा ढक कर रखें और बर्तनों को समय-समय पर अवश्य साफ करे।
- (iv) परिकस के सदस्य इस बात का प्रचार-प्रसार करें कि लोग सोते वक्त खाट या चटाई के साथ मच्छरदानी लगा लें या बिस्तर में जाने से पहले शरीर के खुले अंगों में बाजार से मिलने वाली मच्छर वाली दवा मल लें या एक प्रकार की धूप जला लें जिससे मच्छर भाग जाते हैं।
- (v) परिवारों को यह सभी बताना चाहिए कि जिन गांवों में मलेरिया होने के आसार नजर आ रहे हो उन गांवों के घरों में नीम या अन्य पत्तों का धुआं दे और साथ ही स्वास्थ्यकर्ता से मिल कर डी0डी0टी0 का छिड़काव भी अवश्य कर लें। देखें कि इस छिड़काव से कोई घर न बचे। याद रखें कि समुद्र तल से 5000 फुट ऊपर की पंचायतों में डी0डी0टी0 का छिड़काव नहीं किया जाता।

### 7.3 टी0 बी0 / तपेदिक / क्षय रोग नियन्त्रण

टी0 बी0 या तपेदिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उसका रोगी जब खांसता है तो खांसी के साथ-साथ रोग के अनगिनत विषाणु फैकता है और आस-पास के लोग इनको सांस द्वारा भीतर खींचते हैं। इस तरह रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं।

इस रोग को अपनी पंचायत से नष्ट करने में परिकस के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग स्वास्थ्यकर्ता को मिलना अनिवार्य है क्योंकि:-

- (1) टी0बी0 या तपेदिक को फैलने से रोकने के लिए रोगी का इलाज तुरन्त शुरू कर देना चाहिए।
- (2) रोगी के लिए उपचार की दो विधियां हैं:-

पहली, जिसमें रोगी को डेढ वर्ष तक लगातार दवा लेती रहनी होगी। इस उपचार में रोगी दवा की कुछ खुराक लेने के बाद अपने को तन्दरूस्त पाने लगता है। उसकी खांसी भी रुक जाती है पर रोगी के विषाणु शरीर के अन्दर रह जाते हैं। ऐसे में रोगी यदि दवा छोड़ दे तो मर्ज लाइलाज हो जाता है जिसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं।

अतः परिकस के सदस्य देखें कि ऐसा रोगी जितनी अवधि तक डाक्टर बताएं उतनी अवधि तक दवा लेता रहे।

दूसरी संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियन्त्रण यानि डाट्स है। जिन-जिन जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है उनमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ जांच केन्द्र खोले गए हैं। इनकी जानकारी स्वास्थ्य उप-केन्द्र से लें। वहां मरीजों का उपचार निम्न तरीके से होगा:-

1. केन्द्र में मरीज को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के सामने दवा खिलाई जाएगी।
2. मरीज पानी पीने के लिए अपना गिलास साथ लाएगा।
3. मरीज को पहले दो महीनों में सप्ताह में एक दिन जांच केन्द्र आना होगा।
4. मरीज जांच केन्द्र में आते वक्त अपने साथ पिछले अवसर भी दी गई दवाई का खाली पैकेट भी साथ लाएगा।
5. दो महीने बाद तथा छः महीने के अन्त में उसके बलगम की जांच की जाएगी।
6. उपचार 6 महीने चलेगा।
7. इसके बाद रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा।

#### 7.3 (1) टी0बी0 या तपेदिक है। कैसे पता चले?

- (i) तीन सप्ताह से ज्यादा देर तक होने वाली खांसी , बलगम में खून का आना, छाती में दर्द और बुखार हो तो ऐसे व्यक्ति को बलगम की जांच करवाने को कहा जाए। जांच से यदि

टी0बी0/तपेदिक की पुष्टि हो तो परिकस के सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि रोगी डाक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक नियमित रूप से दवा का सेवन कर रहा है।

- (ii) रोगी को समझाएं कि वह खांसते समय मुंह के आगे रूमाल या कोई कपड़ा लें ताकि विषाणु इधर-उधर न फैले।
- (iii) खांसी के साथ थूके गए बलगम को गहरे गढ़े में दवा दें या आग में जला दें।
- (iv) तपेदिक के रोगी को अलग अच्छे हवादार कमरे में रहने की सलाह दें। जब हवा अच्छी तरह आती-जाती रहेगी तब कमरे में विषाणु भी कम होंगे।
- (v) रोगी को यह भी समझाएं कि उसे उसी समय तक परिवार के अन्य जनों से अलग रहना है जब तक उसके रोग पर काबू पा नहीं लिया जाता। ठीक होने पर वह पहले की भांति अन्य जनों से मिल सकता है।
- (vi) यह रोग असाध्य नहीं है, इस बात का सबको ज्ञान होना जरूरी है।
- (vii) रोगी के रिश्तेदारों तथा उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी जांच के लिए प्रोत्साहित करना परिकस का कर्तव्य है।

#### 7.4 कुष्ठ रोग उन्मूलन:

कुष्ठ रोग एक धीमे प्रकार के छूत की बीमारी है जिसके फैलने के लिए निकट संपर्क की जरूरत होती है। यह माना जाता है कि रोगयुक्त त्वचा के सम्पर्क से ही यह रोग फैलता है। सामान्यतः कुष्ठ रोग गरीबों में अधिक होता है क्योंकि कुपोषण इस रोग का एक कारण है। पोषित व्यक्तियों में यह रोग कम पाया जाता है।

चमड़ी में सफेद धब्बे दिखाई देना इसका सामान्य लक्षण है। मरहम के लेप से यह धब्बे दूर नहीं होते। धब्बों वाली चमड़ी की कुछ भी महसूस करने की क्षमता नहीं रहती। इस त्वचा में सुई की चुभन का भी कोई असर नहीं होता। इस रोग के धब्बे में खुजली नहीं होती।

इस रोग के रोगी को उपयुक्त डाक्टरी इलाज दिलवाने में परिकस का बहुत बड़ा हाथ होगा क्योंकि ऐसा रोगी समाज से बहिष्कार किए जाने के भय से रोग छुपाता है और रोग के बढ़ जाने पर असाध्य स्थिति पर पहुंच जाता है। रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना परिकस का दायित्व होगा।

- (i) उपर बताए गए लक्षण यदि किसी व्यक्ति में नजर आए तों उसके बारे में सूचना स्वास्थ्यकर्ता तक पहुंचाए।
- (ii) यदि कुष्ठ रोग की पुष्टि हो जाती है तो उस व्यक्ति को डाक्टर की सलाह के अनुसार रहने, खाने व दवा लेने के लिए बाध्य करें।



(iii) इस रोग की जानकारी और रोग हो जाने पर सावधानी बरतने पर जोर देना परिकस का कार्य होगा। निम्न जानकारी दी जानी जरूरी है:—

- (क) कुष्ठ रोग किसी भी आयु में किसी भी स्त्री-पुरुष को हो सकता है। पोषण पर ध्यान देने के कारण यह अमीरों को कम और गरीबों को ज्यादा होता है। हर व्यक्ति को कुपोषण से बचने के बारे में जानकारी दें।
- (ख) रोग आरम्भ होते ही डाक्टर तक पहुंचाया जाए तो विकलांगता से बचा जा सकता है। दवा की पहली खुराक से 90 प्रतिशत रोग जाता रहता है।
- (ग) कुष्ठ रोग साध्य है; यह समझाएं।
- (घ) रोगी के ठीक होने पर वह अपने परिवार के साथ रह सकता है।
- (ङ) रोगी के परिवार के अन्य सदस्यों की जांच भी साल समें एक बार कार्रवाई जानी जरूरी है।

### 7.5 आयोडीन कमी से होने वाले दोषों का नियन्त्रण

आयोडीन की कमी से कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, जैसे

- |       |         |        |                         |
|-------|---------|--------|-------------------------|
| (i)   | गिल्लड़ | (ii)   | मन्दबुद्धिमता           |
| (iii) | गूंगापन | (iv)   | बहरापन                  |
| (v)   | गर्भपात | (vi)   | गर्भ में शिशु की मृत्यु |
| (vii) | बौनापन  | (viii) | विकलांगता               |

इन बीमारियों को रोकने के लिए जरूरी है:—

1. पंचायत क्षेत्र में केवल आयोडीन वाला नमक बिकें।
2. बिना आयोडीन के नमक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो।
3. पशु को भी आयोडीन युक्त नमक दें।

### 7.6 अतिसार नियन्त्रण

जब व्यक्ति को पानी जैसे पतले दस्त आ रहे हों तो उसे अतिसार कहते हैं। अगर मल में कफ या खून आ रहा हो तो उसे पेचिश रोग कहते हैं।

अतिसार के कई कारण हैं पर दो प्रमुख हैं:—

1. छूत 2. कुपोषण

अच्छे स्वस्थ वातावरण और पौष्टिक आहार से लगभग हर प्रकार के अतिसार से बचा जा सकता है।

कुपोषण और अतिसार के दुष्ट घरे के बारे में कहा जाता है, कुपोषण से अतिसार होता है और अतिसार से कुपोषण होता है।

परिकस को अतिसार पर नियन्त्रण पाने के लिए निम्न पग उठाने होंगे:—

1. पंचायत क्षेत्र में पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रबन्ध करवाए।
2. बावड़ियों तथा अन्य जल स्रोतों पर कपड़े न धोएं और उनका समय-समय पर क्लेरीनेशन करवाते रहें।
3. मल-मूत्र के निकास का सही प्रबन्ध करें।
4. हर गांव की नालियां साफ सुथरी रखें।
5. खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखने पर बल दिया जाए।
6. दरवाजों और खिड़कियों को पर जाली लगवाने का प्रबन्ध करवाएं।
7. गऊशाला को घर से दूर बनवाने पर बल दिया जाये। यदि ऐसा तुरन्त सम्भव न हो तो गोबर को घर से कहीं दूर फिकवाएं।
8. लोगों को व्यक्तिगत शौचालय बनवाने को प्रोत्साहित करें।
9. व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताएं, जैसे भोजन से पूर्व और बाद में हाथ धोना और फिर साफ कपड़े से पोंछना, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना तथा स्नान आदि।
10. किसी व्यक्ति को दस्त लग जाने पर जीवन रक्षक घोल पिलाना तथा इसे घर में ही बनाने की विधि की जानकारी सभी परिकस को देनी चाहिए।
11. तरल पदार्थ—नीबू पानी, पानी, चावल का मांड, दाल, सब्जियों का रस, दही, चावल, केला, मसले हुए उबले आलू, फलीदार सब्जियां रोगी को दी जा सकती हैं।
12. उतने पर भी रोगी के दस्त न रुकें तो स्वास्थ्यकर्ता की सलाह पर उसे अस्पताल ले जाने का प्रबन्ध किया जाए।

### 7.7 एड्स नियन्त्रण

एड्स एक घातक बीमारी है। इसके साथ जुड़ा है एचआईवी। शरीर को कुदरत ने बीमारी का सामना करने के लिए सफेद कण दिए हैं। यह सफेद कण आने वाले खतरनाक विषाणुओं और संक्रमण (Infection) को मार डालते हैं। एचआईवी वह विषाणु है जो हमारे शरीर में प्रवेश पाकर सफेद कणों को बड़ी संख्या में मार डालता है। परिणामस्वरूप हमारा शरीर संक्रमण से लड़ न पाता। एड्स एचआईवी संक्रमण की अन्तिम अवस्था है।

यह याद रखने की बात है कि एचआईवी शरीर के तरल पदार्थों जैसे खून, वीर्य और योनि के स्राव से फैलता है। अतः फैलाव के नीचे दिए गए मार्ग हैं:—

1. वैश्याओं के पास/कोठे में जाने से;
2. अपनी विवाहित पत्नी को छोड़ किसी अन्य स्त्री के साथ संभोग से;
3. संक्रमित खून चढ़ाने या संक्रमित सूई, सिरींज बगैरह का उपयोग करने से; तथा
4. इस रोग से ग्रसित महिला के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे को यह रोग लगता है।

परिकस का यह कर्त्तव्य होगा कि उसके सदस्य नीचे दी गई बातों का खूब प्रचार करें। इस रोग से बचने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है।

- (क) संयम रखना सबसे अच्छा है। समागम केवल अपने साथी से करें। इधर-उधर न भटकें।
- (ख) विषाणु को फैलने से रोकने के लिए निरोध/कन्डोम का प्रयोग करें। याद रखें कि कौपर-टी या गर्भ निरोधक गोलियां केवल गर्भावस्था को रोकती है। एच0आई0वी0 के फैलाव को नहीं रोकती।
- (ग) सुई या आपरेशन का औजार हमेशा अच्छी तरह उबाल कर ही इस्तेमाल करने को कहें। उनको कीटाणु रहित बनाया जाना जरूरी है।
- (घ) यदि किसी रोगी को खून चढ़ाना हो तो पहले जांच करवा लें कि खून एच0आई0वी0 विषाणु से पूरी तरह मुक्त है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि एच0आई0वी0 छूत से नहीं फैलता। यह खांसने और छींकने से भी नहीं फैलता। हाथ मिलाना आलिंगन करना, एक ही शौचालय का उपयोग करना, इक्ठे खाना-पीना आदि से यह रोग नहीं फैलता है। इसलिए उस व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करें जिसे एच0आई0वी0 हो। उसे आपकी जरूरत हैं उसके साथ मिलें बैठे बातचीत करें।

### 7.8 यौन रोग नियन्त्रण

सिफलिस(उपदशं) गौनोरिया (सूंजाक) एड्स हेपेटाईटिस बी आदि जैसे रोग बिना निरोध का प्रयोग करें या जीवन साथी के इलावा किसी स्त्री से संभोग करने से फैलता हैं।

यौन रोगों का विशेष इलाज पन्द्रह दिन का है पर एड्स का कोई इलाज नहीं है।

यौन रोगी यदि इलाज में लापरवाही बरते या इलाज न करवाए तो एक साधारण व्यक्ति की तुलना में उसे एच0आई0वी0 के विषाणु दस गुना अधिक तेज गति से पकड़ लेते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहने, निरोध का प्रयोग करने और बीमारी लग जाने पर डाक्टर की सलाह मानने और नियमित रूप से दवा लिए जाने पर बल देना ही परिकस का दायित्व होगा। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि इलाज करवाते वक्त अपने जीवन साथी की जांच करवा लें और डाक्टर कहे तो उनका भी उपचार करवाएं।

## 7.9 अन्धापन निवारण:

आंखे शरीर का बहुत कोमल अंग है इसलिए इन्हे विशेष देखभाल की जरूरत है।

आंखों को स्वच्छ पानी से धोकर साफ सुथरा रखें। इन्हे पोंछने के लिए भी साफ कपड़ा लें।  
अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग कपड़ा, रूमाल या तौलिया होना चाहिए।

परिकस के किसी सदस्य को यदि अपने वार्ड के किसी व्यक्ति या बच्चे का पता चले।

- जिसकी आंख में गुल्ली या तीर से चोट लगी हो;
- जिसकी आंख के समीप पटाखा या अनार फूटा हो;
- जिसकी आंख में तीखी पीड़ा हो रही हो;
- जिसकी आंख में कई दिन से लाली हो;
- जिसकी नजर कम होन लगे;
- जिसकी आंख की ऊपर वाली पुतलियों के पास छोटी-छोटी गुलाबी रंग की गिल्टियां बन रही हो;

तो उसे एकदम स्वास्थ्यकर्ता के पास लें जाएं और उसके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर आगे की कार्यवाही करें।

अन्धापन आंखों में मोतियाबिन्द उतरने के कारण भी होता है। इसलिए वार्ड-अनुसार अंधे व्यक्तियों की सूची परिकस के सदस्य तैयार कर स्वास्थ्यकर्ता को दे। स्वास्थ्यकर्ता उन व्यक्तियों को या तो आंखों के डाक्टर के पास भेजेगें या पंचायत क्षेत्र में किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही नेत्र शिविर लगवाए जाने की तारीख बताएगें। बताई गई तारीख को अन्धे व्यक्ति को शिविर में लाया जाए जहां आपरेशन से मोतियाबिन्द हटाया जा संकता है।

नेत्र शिविर का प्रचार-प्रसार पोस्टरों, इशतहार व मुंह से बोल-बोल कर करना होगा ताकि अधिक से अधिक नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्ति इस शिविर का लाभ उठा सकें।

## 7.10 स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य:

1. परिकस प्रधान, ग्राम पंचायत से आग्रह कर पुरानी पाठशालाओं की मुरम्मत करवाए, फर्नीचर आदि दिलवाए, पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रबन्ध करवाए तथा स्कूलों में शौचालय निर्माण व उनकी ओर ध्यान दें।
2. बच्चों को सिगरेट, बीड़ी, खैनी गुटका तम्बाकू खाने की लत न पड़े इस ओर परिकस विशेष ध्यान दे।
3. स्कूल के अध्यापक और बच्चे किसी नशे की आदत में न पड़े यह भी देखना होगा।

4. पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाले सभी प्राइमरी स्कूलों के बच्चे के स्वास्थ्य की जांच करनी आवश्यक है। उनका टीकाकरण उनकी आंख, दांत, नाक, कान, गला का निरीक्षण उनकी शारीरिक बढौतरी आंख कमजोर हो या कोई बीमारी हो तो उपचार या अस्पताल भिजवाया जाना सभी स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है।

इस कार्य को पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी नागरिक औषधालय के डाक्टर करेंगे। वे एक निर्धारित दिन प्राइमरी स्कूल जाकर सभी बच्चों का मुआयना करने के बाद उनका रिकार्ड कार्ड बनाएं जो स्कूल में ही रहेगा। दूसरी, तीसरी और अगली बार जांच रिपोर्ट भी इसी कार्ड में दर्ज की जाएगी।

पंचायत परिकस इस कार्य को सहज रूप से चलाने के लिए खण्ड परिकस की सहायता लेगी।

बीमार बच्चों के इलाज को ठीक ढंग से चलाने में रुचि लेना भी परिकस का कर्तव्य होगा।

स्कूली बच्चों की आंखों को जांचने का एक और कार्यक्रम भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम हाई स्कूलों या उससे बड़े स्कूलों में चल रहा है। इसे संक्षिप्त में (SES) सैस कहते हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार स्कूल के ही एक अध्यापक को बच्चों की आंखों के परीक्षण के बारे में जानकारी दी जाती है। वह अध्यापक स्कूल में ही बच्चों की आंखों की जांच करता है। कमजोर नजर वाले बच्चों को चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है। कुछ और बीमारी हो तो डाक्टर को बच्चे की आंखें दिखाने को बच्चे के अभिभावक/माता-पिता को कहा जाता है।

परिकस का कर्तव्य है कि वह इस बारे में मालूम करे कि क्या उनके क्षेत्र में पड़ने वाले हाई/सैकैन्डरी स्कूलों में यह कार्यक्रम चल रहा है या नहीं। यदि हो तो बी0एम0ओ0 को इसकी सूचना दी जावे।

आइए; आपको दो ऐसी अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी दें जो गांवों में अक्सर देखने को मिलती है।

#### **8. आवारा जानवरों के काटने से क्या होता है?**

आवारा या पागल जानवर यानि कुत्ते, गीदड़, बिल्ली, बन्दर आदि के काटने से जिस बीमारी के होने का डर बना रहता है उसे रेबीज कहते हैं।

यह रोग, यदि हो जाए, तो जानलेवा है। इसलिए इसके बचाव में ही सुरक्षा है।

यदि कोई आवारा जानवर किसी व्यक्ति को काट ले तो परिकस उसे तुरन्त अस्पताल पहुंचाने का प्रबन्ध करे जहां उसे बीमारी से बचने के टीके लगाए जाएंगे।

रेबीज के रोगी को पानी से डर लगने लगता है। यदि कोई रोगी इस हालत में पहुंच जाए तो बचने की आशा कम रह जाती है।

परिकस को चाहिए कि पंचायत को पागल आवारा कुत्तों को मारने और दफनाने के लिए बाध्य करें।

सभी पालतु कुत्तों के मालिकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे कुत्तों को हलक यानि पागलपन विरोधी टीके लगवाएं।

बच्चों को भी अजनबी जानवरों को छोड़ने व उनसे खेलने में रोक लगाएं।

### **9. सांप के डसने पर क्या करें ?**

यह बात जान लें कि हर सांप जहरीला नहीं होता। संसार में 3500 प्रकार के सांपों में से केवल 10 प्रतिशत ही जहरीले होते हैं।

भारतवर्ष में तीन प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं— कोबरा, क्रेट, और वाईपर

जब किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो उसे तुरन्त डाक्टर के पास ले जाएं वह उसे विष-रोधी टीका लगाएगा या किसी और डाक्टर के पास इस कार्य के लिए भेजेगा।

सांप के काटने के बाद व्यक्ति को चलने नहीं देना चाहिए। इधर-उधर ले जाना हो तो स्टेचर का इस्तेमाल करें।

सांप के काटे हुए स्थान को साबुन पानी या किसी एन्टीसेप्टिक लोशन से धो डालें। घबराएं बिल्लकुल नहीं।

यह याद रखें कि चले, साधु, बंगालियों से सांप काटे का इलाज न करवाएं बल्कि ऊपर बताई गई बातों के अनुसार ही सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति की सहायता करें।

परिकस के सभी सदस्यों को इन सब बातों का ज्ञान होना जरूरी है।

### **10. खण्ड परिकस परिकस के कार्य क्या करें ?**

खण्ड स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति(खण्ड परिकस)अपना तालमेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद औषधालय, सिविल डिस्पेंसरी/नागरिक औषधालय के साथ रखेगी।

आइए, हम इन स्वास्थ्य केन्द्रों की संरचना और कार्यों के बारे में जानकारी हासिल कर लें और फिर देखें कि खण्ड परिकस और यह संस्थान किस प्रकार के तालमेल से परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की सुविधा प्राप्त करवा सकते हैं।

## 10.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

एक प्राथमिक केन्द्र में निम्न स्वास्थ्य सम्बन्धों से जुड़ा स्टाफ रहता है:—

1. एक अथवा दो डाक्टर
2. एक फार्मासिस्ट
3. एक लैब तकनीशियन
4. एक रेडियोग्राफर, यदि केन्द्र में एक्स-रे की मशीन हो तों,
5. एक स्टाफ नर्स यदि उस केन्द्र में छः बिस्तरों का प्रबन्ध है

इस स्टाफ संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी सम्भव है। कुछ केन्द्रों में अन्तरंग(Indoor) रोगियों के लिए छः बिस्तरों का भी प्रावधान होता है।

एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिमाचल प्रदेश में 20,000 तक की आबादी के लिए खोला जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त करवाता है वे निम्न हैं:—

- (i) उपचार हेतु—बहिरंग(Outdoor) तथा अन्तरंग (Indoor) सेवाएं;
- (ii) निवारक उपाय—राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति योगदान;
- (iii) उप-स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत दी गई सेवाओं को उपलब्ध कराना;
- (iv) नैतिक (Routine) रक्त तथा मल-मूत्र की जांच;
- (v) एक्स-रे की सेवाएं जहां मशीन उपलब्ध हो;
- (vi) चिकित्सा-वैधिक सेवाएं; और
- (vii) अनचाहे गर्भ को गिराने की सुविधा उन केन्द्रों में उपलब्ध करवाना जिन्हें प्रसव के बाद दी जाने वाली सुविधा के लिए घोषित किया जा चुका है।

## 10.2 आयुर्वेद औषधालय

आयुर्वेद औषधालय भारतीय पुरातन आयुर्वेद पद्धति से उपचार करता है इसमें:—

1. एक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी
2. एक फार्मासिस्ट
3. एक मिडवाईफ का प्रावधान

इस औषधालय का कार्य भी उपचार हेतु सेवाएं, निवारक उपाय तथा प्रोत्साहन उपाय प्रदान करना है।

### 10.3 सिविल डिस्पैन्सरी/नागरिक औषधालय

एक सिविल डिस्पैन्सरी में निम्न स्टाफ होता है:—

1. एक डाक्टर
2. एक फार्मसिस्ट
3. एक मिडवाईफ

यह डिस्पैन्सरी भी उपचार हेतु सेवाएं, निवारक तथा प्रोत्साहन उपाय प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा-वैधिक सेवाएं देना इसका कार्य है।

### 10.4 कार्यों का ब्यौरा

1. खण्ड परिकस अपने कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण व मुरम्मत आदि में रूचि लेकर कार्य को तुरन्त पूरा करवाएगी।
2. समिति क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों से गांवों की साफ-सफाई पर बल और जहां-जहां जरूरी हो वहां सुलभ शौचालय का निर्माण करवाएगी।
3. स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर, मेलों में स्वास्थ्य से जुड़ी बातों/तस्वीरों/माडल का प्रदर्शन करवाएगी। राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए शिविरों का आयोजन करवाएगी। जच्चा-बच्चा देखभाल और परिवार कल्याण कार्यक्रम में विशेष रूचि लेगी।
4. समिति क्षेत्र में महामारी न फैलने देने के लिए समय रहते पग उठाएगी।
5. स्वास्थ्य सेवाओं को योजनाबद्ध तरीके से चलाने में योगदान।

### 10.5 कार्य प्रणाली

1. खण्ड परिकस के प्रधान और सचिव मिल कर मास में की जाने वाली एक बैठक की तारीख, समय और स्थान नियुक्त करेंगे। हो सके तो अवकाश का दिन।
2. इसकी सूचना सभी सदस्यों को एक सप्ताह पहले पहुंचा दी जाएगी।
3. बैठक वाले दिन प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान, जो समिति क्षेत्र में पड़ता हो, के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। उसकी जरूरतों को किस तरह पूरा किया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाएगा।
4. मास में लगाए जाने वाले शिविर, स्थान, समय तथा वस्तुओं की सूची तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार संस्थानों के माध्यम से करवाया जाएगा।



5. खण्ड स्तर में पड़ने वाले उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य-जांच का कैलेंडर तैयार कर वहां डाक्टरों तथा अन्य स्टाफ को भेजे जाने का ब्यौरा निश्चित किया जाएगा।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति तत्परता तथा लगन से कार्य करने से पंचस्वापरिकस में भी कार्यों के प्रति निष्ठा पनपेगी अतः खण्ड परिकस में नेतृत्व के गुण होने चाहिए।

### 11. जिला परिकस के कार्य क्या होंगे ?

जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति जिला स्तर की समिति है। नीचे की समितियों की नजरें सदैव इस पर रहेंगी कि यह समिति किस प्रकार कार्य कर रही है। यदि यह समिति पूर्ण निष्ठा से कार्य करे तो स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों/कार्यक्रमों को लेकर जिला का ढांचा बदला जा सकता है।

इस समिति के अन्तर्गत तो वे सभी स्वास्थ्य संस्थान आते हैं जिनका विवरण हम पहले दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीणी अस्पताल तथा सिविल/आयुर्वेदिक अस्पताल भी आते हैं। इनके कार्यक्षेत्र में जोनल अस्पताल, जिला अस्पताल, जिला आयुर्वेदिक अस्पताल और रेफरल अस्पताल नहीं जोड़े गए हैं।

अब हम उन स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में भी जानकारी हासिल कर लें जो इस समिति के अन्तर्गत आती हैं पर अभी तक इस पुस्तिका में कही वर्णित नहीं है।

#### 11.1 रेफरल अस्पताल

कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उत्थान कर उन्हें रेफरल अस्पताल घोषित कर दिया गया है। इस अस्पताल में 30 से 100 बिस्तर तक होंगे। इस अस्पताल में स्टाफ निम्न होगा:—

1. डाक्टर 4
2. वार्ड सिस्टर 1
3. स्टाफ नर्स 4
4. लैब तकनीशियन 1
5. रेडियोग्राफर 1
6. फार्मसिस्ट 3

यह अस्पताल वह सब सेवाएं प्रदान करेगा जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोगों को देता है। विशेषज्ञ सेवाएं विशेषज्ञों की विषय विशेषता पर आधारित होगी।

## 11.2 आयुर्वेद अस्पताल

जिला मुख्यालय में स्थित अस्पतालों के अतिरिक्त जोगिन्द्रनगर में स्थित अस्पताल का तालमेल भी जिला परिकस के साथ रहेगा। इस अस्पताल में पुरुष-महिला अन्तरंग रोगियों के लिए अलग-अलग वार्ड है तथा वहिरंग रोगियों के देखने की व्यवस्था है।

## 11.3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिमाचल प्रदेश में लगभग 80,000 की जनसंख्या को सुविधाएं प्रदान करता है।

इसमें प्रायः वही स्टाफ रहता है जो मद 12.1 में रेफरल अस्पताल के अन्तर्गत दर्शाया गया है। इसमें उपचार के लिए निम्न सेवाएं उपलब्ध हैं:-

- (i) चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, स्त्री तथा शिशु रोग के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं (यह सेवाएं विशेषज्ञों की उपलब्धी पर निर्भर हैं);
- (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना;
- (iii) एक्स-रे तथा अल्ट्रा सोनोग्राफी की व्यवस्था;
- (iv) रक्त तथा मल-मूत्र की जांच;
- (v) ब्लड ग्रुपींग व मैचिंग ब्लड युरिया ब्लड कालेस्ट्रॉल विडाल टेस्ट वी0डी0आर0एल0 टेस्ट की सुविधा;
- (vi) अनचाहे गर्भ को गिराने की व्यवस्था।

## 11.4 सिविल अस्पताल

सिविल अस्पताल सामान्यता: उप-मण्डल स्तर पर होते हैं। यह 20 से 50 बिस्तर के होते हैं और उसमें स्टाफ तथा इसके कार्य लगभग वही रहते हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में होते हैं।

## 11.5 कार्यों का ब्यौरा

1. जिला परिकस एक जिले की शीर्ष समिति होगी। कुशल नेतृत्व सामयिक निरीक्षण उचित मार्गदर्शन इस समिति के तीन पक्ष होंगे। इसके बारे में विस्तार से जानें।

### (क) कुशल नेतृत्व:

इसके सचिव मुख्य चिकित्सा अधिकारी है तथा जिले के अन्य डाक्टरों का उन्हे सहयोग रहता है। जिले की प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था को समयबद्ध रखते हुए लक्ष्य की ओर ले जाना कुशल नेतृत्व होता है। यही कार्य इस समिति का है।

### (ख) सामयिक निरीक्षण:

वर्ष के आरम्भ में कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक के निरीक्षण की सूची तैयार कर अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों का सामयिक निरीक्षण इस समिति द्वारा या गठित उप-समितियों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

यह ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि प्रत्येक उप-समिति में जिला परिषद का एक सदस्य तथा एक डाक्टर का होना आवश्यक है। लोगों से जुड़े हुए पक्ष को जहां पूरी उप-समिति सुनेगी वहां स्वास्थ्य संस्थान के तकनीकी पक्ष पर डाक्टर ही सही राय दे सकेंगे।

निरीक्षण के समय जो कमियां या त्रुटियां पाई जाएं उन्हें दूर करने के उपरान्त जिला परिकस की अगली बैठक में रिपोर्ट रखी जाए।

निरीक्षण का यह क्रम लगातार चलता रहेगा।

### (ग) मार्गदर्शन:

यह देखा जात है कि मार्गदर्शन के अभाव में निचले स्तर के संस्थान सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। चार बातें ध्यान देने योग्य हैं:—

- p यथासमय सूचना निचले स्तर तक पहुंचाना;
- p भेजी गई सूचना स्पष्ट शब्दों में हो;
- p सूचना के बारे में यदि निचला संस्थान कोई स्पष्टीकरण चाहे तो वह उसे मिलना चाहिए।

2. सूचना शिक्षा तथा संचार (IEC) की ऐसी नीति तैयार करना जिससे स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों पर खण्ड परिसर तथा परिकस उस नीति के अनुसार चल कर प्रत्येक घर में सुखी, स्वस्थ परिवार के कल्याण की कल्पना को साकार कर सकें।

3. परिवार कल्याण टीकाकरण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के पूरे जिले में समय-समय पर शिविर लगवाए जाने की योजना बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना।

### 11.6 कार्य प्रणाली

संक्षेप में जिला परिकस की कार्यप्रणाली निम्न रहेगी:—

1. हर मास में एक बैठक;
2. प्रत्येक सदस्य को बैठक से सात दिन पूर्व बैठक की तारीख समय और स्थान की सूचना देना;
3. बैठक में पूरे जिले के ब्यौरे पर कमी पाई जाने वाली संस्था पर विशेष ध्यान देना;

4. बैठक में किन्हीं विशेष व्यक्तियों को आमन्त्रित करना यदि वे समिति के कार्यों को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हों ; और
5. हर बैठक में अगली बैठक की तारीख तय करना ।

**No: 5-8/99-Udyen-Iv**  
**Directorate of Horticulture,**  
**Himachal Pradesh, Shimla-2.**

**From**

**Director of Horticulture,**  
**Himachal Pradesh, Shimla-2.**

**To**

1. Fruit Technologist,  
Naubahhar, Shimla-2.
  2. Sr. Plant Protection officer,  
Naubahhar, Shimla-2.
  3. Senior Marketing Officer,  
Naubahhar, Shimla-2.
  4. All Distt. Hort. Officers in H.P.
  5. Subject Matter Specialist  
Ani, Rajgarh, Taboo and Bharmour.
  6. Beekeeping Development Officer,  
Shimla/Kangra.
  7. Asstt. Floriculturist,  
Naubahhar, Shimla-2.
  8. Hort. Dev. Officer, Pangi.
- Dated Shimla-2 the 14.11.2000

**Subject:- Power to PRIs.**  
**Sir,**

It has been decided in the meeting held on 25<sup>th</sup> July 2000 under the Chairmanship of Chief Secretary regarding Devolution of powers to PRIs that the grass root functionaries will attend Gram Sabha meetings organized by PRIs. Kindly issue suitable instructions to the field functionaries under your control to attend Gram Sabha meetings. This Directorate be informed about the action taken in the matter.

**Yours faithfully,**  
**Sd/-**

**Director of Horticulture,**  
**H.P. Shimla-2**

Endst No. 5-8(2)/99-Udyan-iv

Copy to Addl. Director of Horticulture, H.P. Dharamshala Distt. Kangra for favour of information and necessary action please.

**Director of Horticulture,**  
**H.P. Shimla-2**

**No. HTC-A(2)1/99  
Govt. of Himachal Pradesh  
Department of Horticulture**

**From**

**The F.C.-Cum-Secretary (Hort.) to the  
Government of Himachal Pradesh Shimla-2**

**To**

**The Commissioner-cum-Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh Shimla-2**

**Dated Shimla-171002 27-11-2000**

**Subject:- Devolution of powers to the Panchayati Raj Institutions.**

**Sir,**

I am directed to refer to your letter No. PCH-HA(3)-2/96-19213-19228 dated 29<sup>th</sup> August, 2000 on the subject cited above and to send the comments on the points relating to Horticulture Department for favour of your information and necessary action please.

**Yours faithfully,  
Sd/-  
Special Secretary (Hort.) to the  
Government of Himachal Pradesh**

## **EVOLUTION OF POWERS TO PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (Action Taken Report)**

### **Horticulture Department**

1. The Notification regarding the devolution of Powers to Panchayati Raj Institutions was issued vide Notification No. PCH-HA(1)12/87-10206-406 dated 31-7-1996 from the Financial Commissioner-Cum-Secretary (Panchayati Raj), Government of Himachal Pradesh Shimla 171 002. This notification also identified the functions and responsibilities of different departments, which were proposed to be implemented through the PRI's. (Copy of the Notification alongwith the functions relating to Horticulture Department are enclosed as Annexure-1)
2. The detailed activity chart relating to the functions of the Department of Horticulture to be implemented through the PRIs. from Panchayat to Zila Parishad level were formulated and submitted to the Government for approval. The State Government approval for the same was accorded vide letter No. HTC-A(2)1/99 dated 22-06-2000 from the Financial Commissioner-cum-Secretary (Hort.), Government of Himachal Pradesh, Shimla (Copy enclosed as Annexure-II)
3. The approved functions relating to the Horticulture Department were got printed in the form of a booklet(copy at Annexure-III) and circulated to all the field functionaries of the Department of Horticulture, HP up to village level vide letter No. 3/9/2000 (Inf) dated 29/09/2000. Copies of the publication were also sent to all the District Panchayat and Development Officers in HP for further circulation to the members of the Zila Parishad/Panchayat Samities and Village Development and Panchayat Officers for information and further necessary action.
4. Instructions have also been issued to all the field officers of the department of horticulture, HP for attending the meetings of the PRIs. at various levels and disseminate the information regarding the departmental schemes and the activities that are to be implemented through the PRIs.

## उद्यान विभाग

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1. पंचायत समितियों को सौंपे गये औद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा/अनुश्रवण व देख-रेख।	1. ग्राम पंचायतों को सौंपे गये औद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा/अनुश्रवण व देख-रेख।	1. लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उद्यान विभाग की विभिन्न उपदान स्कीमों के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन एवं पहचान करना।
2. उद्यान विभाग के साथ औद्योगिकी विकास के सभी कार्यक्रमों के लिए समन्वय/सम्पर्क बनाए रखना।	2. औद्योगिकी इन्पुट (कीटनाशक फफूंदी नाशकों को छोड़कर) की वितरण प्रणाली को नियोजित करना।	2. किसान सभाओं व औद्योगिकी उत्पादक सहकारी सभाओं के गठन को बढ़ावा देना।
3. अभियानों, मेलों, भेटों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियां आदि का आयोजन।	3. बागवान प्रशिक्षण शिविरों, अध्ययन भ्रमणों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना।	3. फलों के लिए मण्डी मध्यस्थ योजना/समर्थन मूल्य स्कीम के अन्तर्गत प्रापण केन्द्रों की देख-रेख करना।
4. औद्योगिकी उत्पादन के लिए प्रीटिंग सामग्रियों के प्रापण तथा वितरण में समन्वय व अनुश्रवण।	4. औद्योगिकीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रजातियों/तकनिकों पैकेज/पैकेजिज आदि पर प्रदर्शनों का आयोजन करना।	
5. मण्डी मध्यस्थ योजना/समर्थन मूल्य के अन्तर्गत फलों के प्रापण में समन्वय तथा अनुश्रवण।	5. ग्राम वार उद्यान गणना का संचालन।	
	6. प्रत्येक जलागम के लिए कार्ययोजना तैयार करना।	
	7. औद्योगिकी उत्पादों की पैकिंग सामग्रियों का प्रबन्ध, प्रापण व वितरण करना।	



**No. 5-8(2)/99\_Udyan-IV**  
**Directorate of Horticulture,**  
**Himachal Pradesh.**

**From**

**Director of Horticulture**  
**Himachal Pradesh Shimla-2**

**To**

**The F.C.-Cum-Secretary (Hort.) to the**  
**Government of Himachal Pradesh, Shimla-2**

**Dated**                      **Shimla-171002**                      **the**                      **8.2.2001**

**Subject:-**                      **Devolution of powers to the Panchayati Raj Institutions.**

**Sir,**

Kindly refer to your letter No.HTC-13(2)1/99 dated 1-2-2001 on the subject cited above. Point-wise comments of the department of Horticulture are as under:-

**(i) TO EXPLORE THE POSSIBILITY OF HANDING OVER SOME PCDOs TO PRIs:-**

In order to explore the possibility of the management of department PCDOs. through PRIs, 15 Progeny-cum-Demonstration orchards of the department of Horticulture have been identified which could be handed over to the Panchayati Raj Institutions, these PCDOs could be transferred to the specific Panchayats in which these PCDOs are located. A proposal in this regard shall be submitted to the Government separately. However, the concerned PRIs shall have to ensure that the objectives for which the PCDOs were established, are continued to be achieved.

**(ii) TO GIVE SUPERVISORY POWERS OF THE FIELD FUNCTIONARIES:-**

The main field functionary of the department i.e HD.Os are posted at Block level. To assist H.D.Os in the implementation of different programmes/schemes of the department of Horticulture, H.E.Os are posted at HD.Os circle level. No functionary of the department is presently available at Panchayat level. All the programmes of the department are carried out by these field functionaries. These field functionaries are already accountable to Panchayat Samiti who can any time check their working and give necessary directions for horticulture development work. The Horticulture Development Officers at the block level are already expected to attend the meeting of the Block Development Committees.

**(iii) REGARDING ORGANISATION OF FAIRS AND TRAINING CAMPS BY PRIS.**

The training camps are organized by the Department of Horticulture for transfer of technology on specified aspects of Horticulture in which technical officers of the deptt. of Horticulture and experts from the University of Horticulture & Forestry Solan jointly participate. It will not be feasible for PRIs to arrange such camps in collaboration institutions from University and other scientific institutions. However the PRIs can associate in the organization of such training programmes.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Director of Horticulture,  
Himachal Pradesh, Shimla-2**

Endst.No.5-8(2) /99-Udyan-IV Dated Shimla-2, the 8.2.2001

Copy to the Commissioner-cum-Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of H.P., Shimla-2 for favour of information please.

**Sd/-**

**Director of Horticulture,  
Himachal Pradesh, Shimla-2**

**Govt. of Himachal Pradesh**  
**Deptt. of Horticulture**

**No. HTC(6)1/2000**

**Dated Shimla-2, 27-5-2002**

**NOTIFICATION**

The Governor, Himachal Pradesh, in super-session of this department notification of even number dated 7-3-2002, is pleased to order that the Horticulture Development Officers alongwith other extension staff of the Horticulture department posted in the development blocks , shall co-ordinate all the developmental programmes of the Horticulture department in their areas in the Panchayat Samiti with its staff by ensuring the following:-

1. They must attend the meetings convened by the Chairman, Panchayat Samiti;
2. They must inform well in advance to the Chairman, Panchayat Samiti about their tour programmes;
3. Copy of leave applications be also endorsed to the Chairman, Panchayat Samiti;
4. Every Monday & Tuesday, they must stay at respective Block Head-quarters; and
5. The A.C. Rs. of the Block level functionaries would now be initiated by the

Chairman,

Panchayat Samiti.

The above instructions may be noted by all concerned for strict compliance.

**By Order,**  
**S.S. Parmar**  
**Principal Secretary (Hort.) to the**  
**Government of HP**

Endst.No. As above. Dated, Shimla-2, 27th May, 2002

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Private Secretary to the Chief Secretary to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Secretary (RDD) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Director of Horticulture, Himachal Pradesh, Shimla-2
4. The Addl. Director of Horticulture , Dharamsala , Kangra (HP)
5. All the Deputy Directors/Sr. SMS (Hort.) in HP.
6. All the District Horticulture Officers/SMS (Hort.) in HP.
7. All the Chairman, Panchayat Samitis in HP.
8. All the Block Development Officers in HP.
9. All the Horticulture Development Officers in HP.
10. Guard file.

**Under Secretary (Hort.) to the  
Government of Himachal Pradesh**

## हिमाचल प्रदेश सरकार

### उद्योग विभाग

संख्या:उद्योग-बी(एफ) 10-4/94-11-लूज(1)

तारीख शिमला-2, 25.6.2003.

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1957 का 67) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज (कन्सैशन) रिवाइज्ड रूल्ज, 1971, जिन्हें इस विभाग की अधिसूचना संख्या 13-3/70-एस.आई.तारीख 13 अप्रैल, 1971 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 5 मई, 1971 में प्रकाशित किया गया था, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

- |                  |    |     |  |
|------------------|----|-----|--|
| संक्षिप्त नाम    | 1. | (1) | इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज (कन्सैशन) रिवाइज्ड (अमैंडमेन्ट) रूल्ज, 2003 है।  |
|                  |    | (2) | ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।   |
| नियम 2 का संशोधन | 2. |     | दी हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज (कन्सैशन) रिवाइज्ड रूल्ज, 1971, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 2 में,-  |
|                  |    | (क) | खण्ड (e) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-<br>“(ee) “Gram Sabha”, means the Gram Sabha established under section 4 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;” |
|                  |    | (ख) | खण्ड (g) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-  |

“(gg) “Panchayat” means the Panchayat as defined in clause (26) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.”

(ग) खण्ड (p) के अंतः में चिन्ह “.” ए के स्थान पर “; and” चिन्ह तथा शब्द रखा जाएगा और तदुपरि निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

“(q) “Scheduled Areas” means the Scheduled Areas as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution of India.

नियम 5 का संशोधन

3. उक्त नियमों के नियम 5 में उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थातः

“(4) No mining lease shall be granted to a person in a scheduled area without the prior recommendation of the Gram Sabha or Panchayat concerned.”

नियम 24 का संशोधन

4. उक्त नियमों के नियम 24 में उप-नियम (1) के परन्तुक में चिन्ह “.” के स्थान पर “; ” चिन्ह रखा जाएगा और तदुपरि द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा; और

“Provided further that the Director or any other officer authorized by him in this behalf shall grant short term permit to any person in the Scheduled Areas of the State only after receiving due recommendations of the Gram Sabha or Panchayat concerned.”

नियम 28 का संशोधन

5. उक्त नियमों के नियम 28 के उप-नियम (3) में चिन्ह “.”, के स्थान पर “:” चिन्ह रखा जाएगा और तदुपरि निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

“Provided that no tender or auction or contract, as the case may be, regarding exploitation of minor minerals in scheduled areas of the State shall be considered by the Government for acceptance unless recommended by the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be.”

आदेश द्वारा  
(अरबिंद कौल)

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव(उद्योग)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या उद्योग-बी(एफ) 10-4/94-11-लूज(1) तारीख शिमला-2, 25.6.2003.  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1.
3. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त खनिज अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश।
7. ए0एल0आर0 एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
8. नियन्त्रक लेखन एवं सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 उनसे अनुरोध है कि इसे राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने की कृपा करें।
9. गार्ड नस्ति।

हस्ता/  
अवर सचिव (उद्योग)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।





- “(q)“Scheduled Areas” means the Scheduled Areas as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution of India.
- Amendment of rule 5. 3. In Rule 5 of the said rules after sub-rule(3) , the following sub-rule shall be added, namely:-  
“(4) No mining lease shall be granted to a person in a scheduled area without the prior recommendation of the Gram Sabha or Panchayat concerned.”
- Amendment of rule 24. 4. In rule 24 of the said rules, in the proviso to sub-rule (1) for the sign “.”, the sign “;” shall be substituted and thereafter the following second proviso shall be added, namely:-  
“Provided further that the Director or any other officer authorized by him in this behalf shall grant short term permit to any person in the Scheduled Areas of the State only after receiving due recommendations of the Gram Sabha or Panchayat concerned.”
- Amendment of rule 28 5. In rule 28 of the said rules, in sub-rule (3), for the sign “.”, the sign “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-  
“Provided that no tender or auction or contract, as the case may be, regarding exploitation of minor minerals in scheduled areas of the State shall be considered by the Government for acceptance unless recommended by the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be.”

**By order**

**(Arvind Kaul)**

**ACS-cum-Secretary(Industries) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

Endst. NO. Ind. B(f) 10-4/94-II-loose(1) dated Shimla-2, the 25.6.2003.

Copy for information and further necessary action is forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. The Director of Industries, HP.
3. All the Deputy Commissioners in HP.
4. All the General Managers, District Industries Centers in HP.

5. All the Mining Officers in HP.
6. The State Geologist, HP.
7. The ALR-cum-Secretary(Law) to the Govt. of HP.
8. The Controller, Printing and Stationery HP for publication in Rajptra(Extra ordinary).
9. Guard file.

**Sd/-**  
**Under Secy. (Industries) to the**  
**Government of H.P.**

**No. Udyog-II(Kha(11-2/95-III  
Government of Himachal Pradesh  
Department of Industries**

**From:**

**The Principal Secretary(Industries) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

**The Director,  
Department of Industries,  
Himachal Pradesh.**

**Dated:**

**Shimla-2 the**

**3<sup>rd</sup> May, 2006.**

**Subject:-**

**Mechanism for the collection/distribution of taxes on minor  
minerals to the Gram Panchayats.**

**Sir,**

I am directed to refer to your letter No. 17-15/96-Ind(Estt.)Budget Assu-II-1920 dated 31.5.2005 on the subject cited above and to convey approval of the Government to collect/distribute the tax already provided under Section 100(I) (d) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 on minor minerals to the Gram Panchayats on the following rates:-

- (i) On extraction and export of sand, stone, bajri to be Rs.10/- per truck and Rs. 5/- per trolley.
- (ii) On slates to be Rs. 50/- per truck.

The tax shall be collected/distributed by the Department of Industries and paid to the Panchayat as per the following mechanism:

1. The District Mining Officer/Mining Inspector/Assistant Mining Inspector/  
Extension Officer, Industry or any other authorized officer/officials shall collect

the above tax from the lease holder/contractor short term permit holder at the same time while realizing royalty on the minor minerals or while issuing “M” forms to the mineral concession holders whichever is earlier. The amount of tax shall be on the rates specified and calculated/derived on the basis of material load carried by per trolley/truck.

2. The tax so realized on minor minerals shall be deposited in the following receipt head of Panchayati Raj Department. Receipt Head-0515-other Rural Development Programmes 101-Receipts under the Panchayati Raj Act. 04-Receipts of taxes from Minor Minerals in the Panchayat areas.
3. The District Mining Officer/Mining Inspector/Assistant Mining Inspector/ Extension Officer Industries or as the case may be shall ensure that the above tax is collected/realized at the same time while collecting/realizing royalty on minor mineral/issuance of “M” forms whichever is earlier and is deposited in Govt. Treasury at the same time.
4. The District Mining Officer will sent a Panchayat-wise quarterly consolidated statement of the tax collection duly verified from the Challans deposited by different mining lessees/contractors/ short term permit holders and send the same to the District Panchayat Office for every quarter. In case of mineral concession extending to more than one Panchayat the assignment of tax collection will be calculated in proportion to the area of the lease/contract/short term permit falling in each Panchayat and shall be reflected in the consolidated quarterly statement.
5. The District Panchayat Officer on receipt of quarterly statement from District Mining Officer will submit a detailed statement mentioning Panchayat- wise amount of tax deposited by the Mining Lessees/contractors/short term permit holders in the concerned Treasury to the Director(Panchayati Raj) before beginning of the next quarter.
6. The Director(Panchayati Raj) will consolidate the proposals received from all the 12 districts and obtain the sanction of the Government for drawal of amount

deposited by the Mining Lessees/Contractors/Short Term Permit Holders in the State. The sanction will be conveyed by the Director(Panchayati Raj) to the District Panchayat Officers.

7. The District Panchayat Officers on receipt of the sanction from the Government will draw the funds as per sanction and send the amount directly to the Gram Panchayat concerned.
8. The funds received by each Gram Panchayat shall form part of the Gram Sabha fund and shall be utilized as provided under section 99 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

You are, therefore, requested to kindly take further necessary action in the matter accordingly, under intimation to this Department at the earliest.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Under Secy. (Industries) to the  
Government of H.P.**

**Endst. No. As above.**

**Dated 3<sup>rd</sup> May, 2006.**

**Copy forwarded for information and necessary action to:-**

1. The Under Secretary(GAD) to the Govt. of HP.
2. The Director(Panchayati Raj) w.r.t. his D.O. letter No. PCH-HC(1)12/2000 dated 31.5.2005.

**Sd/-**

**Under Secy. (Industries) to the  
Government of H.P.**

**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Irrigation & Public Health**

**NO. PBW(PH) A(3)-9/96-I**

**Dated Shimla-171002 6.1.2001.**

**Notification**

Subject:- Devolution of powers to the Panchayati Raj Institutions.

In pursuance of the decision taken by the State Cabinet on 27.10.1999 with respect to further devolution of powers to the Panchayati Raj Institutions, the following has been decided:-

1. The Gram Panchayat shall have powers to report on physical attendance of grass root level functionaries of I & PH Department. Such as Pump Operators, Helpers, Fitters, Linemen, Water Distributors, Kohlies and Beldars. It will also report whether the staff posted are staying at their places of postings.
2. The Gram Panchayat shall have powers to inspect the functioning of the Handpumps under their jurisdiction.
3. If the Panchayat has a complaint in this regard, it should convey the same through a resolution to the Assistant Engineer concerned. The Assistant Engineer shall be bound to act on the same immediately and take remedial action wherever required under intimation to the concerned Panchayat. The Assistant Engineer shall also

inform

the Executive Engineer about the action taken, if any. Action is required to be taken at higher level, the Executive Engineer shall take necessary action and report the matter to the concerned authority under intimation to the Panchayat.

By order

**F.C.-cum-Secretary(IPH) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Endst. No. As above. Shimla, Dated 6.1.2001.**

**Copy for information and necessary action is forwarded to:-**

1. The Commissioner-cum-Secretary(PR/RD) to the Govt. of HP.
2. The Additional Secretary-cum-Director(Panchayati Raj) Shimla-9.
3. The Engineer-in-Chief(IPH) HP, US Club, Shimla-1.

4. Chief Engineer (North) I & PH Dharamshala.
5. The Chief Engineer(G/Z) IPH Department Mandi.
6. The Chief Engineer(S/Z)) I PH Department Shimla-9.
7. All the Superintending Engineers(IPH) Circles in Himachal Pradesh.
8. The Controller, Printing & Stationery, HP Govt. Press for publication of this notification in the Rajpatra, HP (Extra Ordinary) A copy of Gazette containing said notification may kindly be supplied to this Department for official record.
9. Guard file.

**Sd/-**

**Joint Secretary (IPH) to the  
Government of Himachal Pradesh**

**Government of Himachal Pradesh**  
**Revenue Department**

**No. Reve. D(F)4-3/94**

**Dated: 6.5.2000.**

**Notification**

Whereas the Government has decided to equip local self Government, Gram Panchayat with financial resources as a result thereof in the beginning the proceeds of Land Revenue collected from Landowners/right holders may be transferred to Panchayats.

And, therefore, The Governor Himachal Pradesh is pleased to order that now the proceeds of land revenue shall be assigned to Gram Panchayat concerned.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to provide following procedure for the implementation of aforementioned decision:

The Lambardars will show the receipt issued by the concerned Gram Panchayat to the Wasil Baqui Navis (Tehsil Revenue Accountant) who will effect the entries in the register of land revenue incorporating therein the receipt number and date of issue.

Whenever the land revenue is remitted or suspended, the land revenue from the land owners shall not be collected in case of remission and if the land revenue is suspended, it will be collected by the Lambardar whenever ordered to do so, and accordingly be deposited with the Panchayats.

Where for whatsoever reason there is no Lambardar, the responsibility of collecting land revenue shall be of the concerned Panchayat who may collect the same through any functionary of the Gram Panchayat or any other educated unemployed youth of Gram Panchayat whosoever is entrusted for doing so by Gram Panchayat concerned shall also be entitled to the share of land revenue as payable to Lambardars till such time as Lambardar is appointed.

The Patwari will bifurcate the details of land revenue Gram Panchayat-wise so that there is no confusion whatsoever.



The details of land revenue so received by Gram Panchayats shall be furnished to Panchayat Inspector who will report it to District Panchayat Officer who will further convey it to Commissioner(Revenue) and Director Panchayati Raj. The decision as to use of land revenue collected by Gram Panchayats shall be taken by Panchayat Department.

**By order**  
**(Arvind Kaul)**  
**F.C.cum-Secretary (Rev.) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**

Endst. No. As above. Dated 6.5.2000

Copy forwarded for necessary action and information to:-

1. All Administrative Secretaries in Himachal Pradesh.
2. All Heads of Department in HP.
3. Revenue Commissioner HP.
4. Controller Printing and Stationery Himachal Pradesh.
5. all Deputy Commissioners in HP.
6. Director Land Records, HP.
7. Director of Panchayati Raj, HP.
8. All District Panchayat Officers in HP.
9. All Tehsildars/Naib Tehsildars in HP.

**Under Secretary(Revenue) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**

**No. Rev.B.A.(4)2/95**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Revenue Department**

**From:**

**The F.C.-cum-Secretary(Revenue) to the  
Government of HP, Shimla-2.**

**To**

**All the Deputy Commissioners,  
in HP.**

**Dated Shimla-2 the 7<sup>th</sup> September, 2000.**

**Subject:- Attendance of Gram Sabha meetings by the Patwari.**

**Sir,**

I am directed to say that in a meeting of the Administrative Secretaries held under the Chairmanship of Chief Secretary, HP. Government on 25.7.2000 regarding devolution of powers to the Panchayati Raj Institutions, it has been decided that grass root functionaries of Revenue Department namely, Patwaris, will attend the Gram Sabha meetings, as and when held.

You are, therefore, requested to issue necessary instructions and ensure compliance under intimation to this Department.

The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Under Secretary(Revenue) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

Endst. No. As above Dated Shimla-2 7<sup>th</sup> November, 2000

Copy for information and necessary action forwarded to:

1. The Commr-cum-Secy. (Panchayati Raj) to the Govt. of HP, Shimla-2.
2. The Commissioner (Revenue) HP, Shimla-2.
3. The Settlement Officer, Shimla/Kangra at Dharamshala, HP.
4. The Director-cum-Special Secretary(Panchayati Raj) to the Govt. of H.P. with reference to his letter No. PCH-HA(3)2/96 dated 29<sup>th</sup> August, 2000.

**Sd/-**

**Under Secretary(Revenue) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Government of Himachal Pradesh**

**Revenue Department**

**No. Reve. B.A(4)1/2001**

**Dated: Shimla-2. the 30<sup>th</sup> January, 2001.**

**Notification**

The Governor, Himachal Pradesh , is pleased to order the devolution of powers and responsibilities to the Panchayati Raj Institutions in Himachal Pradesh in respect of Revenue Department as per Annexure “A” with immediate effect.

**By order**

**(S.S.Negi)**

**F.C.cum-Secretary(Rev.) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

Endst. No. Rev. BN.A.(4)1/2001 Dated: Shimla-171002 the 30<sup>th</sup> January, 2001.

Copy forwarded for necessary action and information to:-

1. The Commissioner-cum-Secretary(Panchayati Raj) Govt. of HP Shimla-2 with reference to his letter No. PCH-HA(3)2/96-1733 dated 22<sup>nd</sup> January, 2001.
2. The Commissioner (Revenue) H.P.
3. All the Deputy Commissioners, HP.
4. The Settlement Officer Shimla/Kangra Division in HP.
5. The Director, Panchayati Raj Department, HP.
6. the Additional Commissioner(Appeals)-cum-Director of Consolidation of Holdings, HP.
7. All the SDOs (Civil/Tehsildars./Naib Tehsildars in Himachal Pradesh.
8. All the District Panchayat Officers/Block Development Officers in HP.

**Sd/-**

**Under Secretary(Revenue) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

## Powers and Resonsibilities devolved on the Panchayati Raj Institution in Himachal Pradesh.

Zila Pariashad	Panchayaqt Samiti	Gram Panchayat
i) To spervise the duties and functions at Block level regarding revenue matter	i) To supervise the work entrusted in revnue matter to Panchayts and formulate/duties at bocok level for removal of encroachments on Governmnt land Block level.	i) The Village common land has been vesgted in the Government under the Himachal Pradesh village common land (vesting and utilization) Act, 1974. Hence if has to be manged as per the provisons of the said Act. However, Gram Panchayat should be entrusted with the function of making sure t hat the 50% area which is kept for community purpose is not encroached by any one so that nee3d of land for community purpose if sully met. Panchayat will remove all such encroachmentns and if there are some difficultueis/legal problems they will recommend removal of such encroachments to the concerned revenue authority.
ii) To assist the revnue officials inidentification of landless/ houseless persons and formulation of policies for utilization of Government land and giving no objection certificate for giving such land on lease at District level.	ii) To assist the revenue officials in identifications of landless/houseless persons and formulation of policies for utilization of Governmentland and giving no objection certificate for giving such land on lease at block level.	(ii) The boundaries of revenue estate are not co-terminus with the Panchayat with the result that a revenue estate may have more that one revenue estate. The Patwari has to perform multifaries functions and duties and therefore his presence within the limits of his jurisdiction cannot be supervised by the Panchayats. However, the Patwari can be directed to paste his minthly programme on the notice board of the Panchayt and Panchayt may report to the revenue authority has departure from the said monthly programme for necessary action. (iii) The Panchayat will ensure that all eligible kissans are issued Kisan Books and they are updated. In case the Kissan Books are not issued or updated by the patwari concerned the Panchayat will send a repot to the concerned rev enue authroity who in turn will inform the Panchayat about the action taken against the defaulting Patwari within one month. (iv)In case any Kisan faces difficulty in getting a copy of any revnue recocd he can apply to the Panchayat who will direct the concerned Patwari to issue to requisite copy of the revenue record through Pancahayt within three days.  <b>MISCELLANEOUS:</b> Item 1 and 2-Agreed: Additional: 1. Gram Panchayat will maintain revenue boundary pillars and will take action

		<p>against any person who defects or destroys the boundary pillars.</p> <p>2. The Patwari Mohal shall place a copy of the record of rights like Jamabandi and wazib-ul-urg at the Panchayat Head Quarter for the perusal of the general public.</p>
--	--	---

पंचायती राज संस्थाओं को प्रस्तावित –राजस्व विभाग

जिला पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
<p>1. खण्ड स्तर पर राजस्व सम्बन्धी मामलों के कर्तव्यों और कार्यों का निरीक्षण करना।</p> <p>2. राजस्व कर्मचारियों को भूमिहीन तथा मकानहीन व्यक्तियों की पहचान में सहायता देना और सरकारी भूमि के प्रयोग के लिए नीति निर्धारण करना तथा जिला स्तर पर ऐसी भूमि के बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।</p>	<p>1. खण्ड स्तर पर सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा हटाने बारे नीति निर्धारण करना तथा पंचायत को सौंपे गये कार्य का निरीक्षण करना।</p> <p>2. राजस्व कर्मचारियों को भूमिहीन तथा मकानहीन व्यक्तियों की पहचान में सहायता देना और सरकारी भूमि के प्रयोग के लिए नीति निर्धारण करना तथा खण्ड स्तर पर ऐसी भूमि के बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।</p>	<p>1. विलेज कांमन लैंड पर नाजायज कब्जों को बचाना जिसका प्रबन्धन पंचायत को सौंपा गया है।</p> <p>2. पटवारी मासिक कार्य तालिक के पटवार खाने में नोटिस बोर्ड पर लगायेंगे जिसमें उसके पंचायत के क्षेत्र में जाने के दिन निश्चित होना इसमें यदि कोई फेर-बदल हो तो इस बारे में सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सूचना देना।</p> <p>3. यह सुनिश्चित करना कि किसान पास बुक सभी पात्र व्यक्तियों के लिए जारी की गई हो और उन्हें नियमित अद्योदन शुद्धि किया गया हो।</p> <p>4. यदि कोई किसान राजस्व सम्बन्ध अभिलेख प्राप्त करने में कठिनाई समझे तो यह पंचायत को प्रार्थना पत्र देगा जोकि इस सम्बन्ध में पटवारी को वांछित राजस्व सम्बन्धी अभिलेख पंचायत के माध्यम से सात दिन के भीतर देने का निर्देश देगी।</p> <p>5. मुहाल का पटवारी पंचायत मुख्यालय में भू-अभिलेख की प्रतियां</p>

		<p>जैसे जमाबन्दी और वाजिद-उल-अर्ज सामान्य जनता के अवलोकनार्थ रखेगा।</p> <p>6. प्रशासन को प्राकृतिक आपदाओं में राहत देने के लिए प्रशासन की मदद करना।</p> <p>7. जन-सम्पदा तथा भूमि पर से नाजायज कब्जा हटाना।</p>
<p>3. बैधिक रूप से संस्थापित प्रशासन जो सभी अवस्थाओं में सीधे रूप में तालि पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक सहायता देना जैसे भी स्थिति में हो।</p>	<p>3. बैधिक प्रशासन को वैधिक कार्यवाही में मदद करना (उदाहरणतया सूचनाओं के प्रकाशन सारे क्षेत्र में करना, ग्राम पंचायत क्षेत्र आदि में भूमि को चिन्हित करना)</p>	<p>8. पंचायत को सीमा स्तम्भ की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा उनके मिटाने व नष्ट करने पर दोषी व्यक्तियों को उचित सजा देने की शक्तियां देना।</p> <p>9. पंचायत के बारे आवश्यक संख्यायिकी का रख रखाव करना।</p> <p><b><u>भू-जोत सीमा सम्बन्धी मापदण्ड का कार्यन्वयन</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. फालतू भू-मालिक/उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाले पूरी भूमि की पहचान में मदद करना।</li> <li>2. बैधिक संस्थाओं को बैधिक कार्यवाही करने में सहायता देना।</li> <li>3. ऐसे पिरवारों/व्यक्तियों को जिन्हें भूमि आवंटन की आवश्यकता हो, की पहचान करने में सहायता</li> </ol>



<p>4. भू-जोत सीमा तथा भू-सुधारों के तत्वों को सुविधाजनक करने के लिए लोकमत तैयार करना।</p>	<p>4. ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल में सहायता करना।</p>	<p>करना।</p> <p>4. भू-विकास तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपाय व्यक्तिगत आवंटियों या उनके समूहों को संगठित करने में सहायता देना।</p> <p><b>मुजारियत सम्बन्धी उपायों का कार्यन्वयन-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुजारियत(हिस्सेदारी में मुजारियत) उनके अवस्था जो खुलेआम व गुप्त रूप में हो उनके पहचान करने में मदद करना।</li> <li>2. वैधिक संस्थाओं के कार्यों तथा मुजारियत हकों को नियमिति तथा प्राप्त करने में वैधिक संस्था को मदद करना तथा मलकियत हकूक देना जैसे भी स्थिति हो।</li> <li>3. दस्तावेजों तथा गैर-दस्तावेजों साक्षी का कमवद्ध करना विशेषतया कब्जे पर तथा भूमि के इस्तेमाल से सम्बन्धी लोकमत तैयार करना।</li> </ol>
<p>5. समय-समय पर सारे जिला परिषद् के क्षेत्रों में कार्य की समीक्षा करना तथा पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को कार्यन्वयन तथा समीक्षात्मक कार्य करने में सलाह</p>	<p>5. ग्राम पंचायतों के बारे में भू-सुधार सम्बन्धी उपायों के आंकड़ों का भू-संकलन करना तथा ऐसे उपायों की ग्राम पंचायत के क्षेत्र में प्रगति की पर्यवेक्षण करना।</p>	<p><b>भू-एकत्रीकरण:</b></p> <p>विधि द्वारा स्थापित उदाहरणतया प्रस्तावित योजना को अनुमोदन करना, स्थानीय लोगों का विभिन्न स्तर पर विधि द्वारा स्थापित कार्यों में लोगों को</p>

<p>देना तथा हिदायत देना।</p>	<p>जिला क्षेत्र में जिला परिषद् की मूल्यांकन करने में मदद करना।</p>	<p>सम्मिलित प्राप्त करना।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैधिक संस्था, गैर दस्तावेजी आंकड़ों का सहायता करना जैसेकि कब्जा प्रयोग तथा भूमि का उपयोग, भू-सम्बन्धी कार्यों का वर्गीकरण करना, शामलात भूमि तथा जन सम्पदा की अवस्था के आंकड़ों को मदद करना आदि।</li> <li>2. भू-एकत्रीकरण के बाद उनके दिए गए घाटों का कब्जा जोकि कार्यान्वित समझौते के वास्तविक भूमि के अनुसार हो। बैधिक संस्था की सहायता सुनिश्चित करना।</li> </ol> <p><b><u>भू-अभिलेख का रख-रखा तथा नवीनीकरण करने में भागीदारी:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित संस्था जहां कि वह अलग तौर से स्थापित की गई है का मौसमवार कृषि भूमि के सम्बन्धी आंकड़ों का अद्योतन की लगातार मदद करना।</li> <li>2. समय-2 पर विलेज कांमन लैण्ड की वास्तविक स्थिति जैसेकि चारागाह, बंजर भूमि, पानी के जलाशय, पानी के रास्ते या बांध आदि के कार्यों की अद्योतन करने में समय-समय पर मदद करना।</li> </ol>
------------------------------	---	--

		<p>3. वैधिक संस्थाओं को भू-सम्बन्धी रिकार्ड (हकूक सम्बन्धी अभिलेख और इन्तकाल की कार्यवाही को अद्योतन करने में सहायता करना।</p>
		<p><b><u>विलेज कामंन लैण्ड आदि का रख-रखाव व सुरक्षा:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सारी सांझी स्थानीय सम्पत्ति को ठीक हालत में रखने का मुख्य जिम्मेवारी निर्धारित करना। ऐसी सम्पत्ति पर देखभाल करना ताकि उन पर नाजायज कब्जा न हो या ऐसे इस्तेमाल के लिए भूमि का प्रयोग बदल दिए गए हो जो स्थानीय लोगों के प्रयोग में न हो।</li> <li>2. ऐसी जगहों को चिन्हित करना जिन्हें बैधानिक तरीके से बदल दिया गया हो या गलत इस्तेमाल किया गया हो या उचित अधिकारियों को उसके संचित कार्यवाही के लिए सूचना देना।</li> <li>3. ऐसी अधिकारियों की कार्यवाही करने के लिए साक्षी एकत्रित करने का प्रावधान करने में सहायता देना।</li> <li>4. भूमि के इस्तेमाल के पक्ष में सम्पत्ति और उसके पलन आदि के समय भूमि के प्रयोग के लिए जनमत तैयार करना।</li> </ol>

संख्या:7-51/98-ईएक्सएन  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-171009

19 मार्च, 1999.

प्रेषक:

आबकारी तथा कराधान आयुक्त,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

प्रेषित:

1. वित्तायुक्त एवं सचिव(शहरी विकास),  
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-9.
2. आयुक्त एवं सचिव(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)  
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

विषय:- शराब की बिक्री पर 1/-रुपया प्रति बोतल सैस का एकत्रीकरण एवं  
उपयोग।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा के समक्ष वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुये घोषित किया गया है कि पंचायतों द्वारा शराब की बिक्री पर एक रुपया प्रति बोतल सैस का एकत्रिकरण व उपयोग किया जाएगा। मंत्री परिषद की 16.3.1999 की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि निकाय भी अपने क्षेत्र में शराब की बिक्री पर एक रुपया प्रति बोतल सैस एकत्रित करेगी। अब तक इस प्रकार की उगाही आबकारी विभाग द्वारा की जाती थी परन्तु उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत 1.4.1999 के बाद आबकारी विभाग पूर्णतया स्थानीय निकायों के लिए इस प्रकार की उगाही बन्द कर देगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की प्रक्रिया अमल में लाये। यदि आबकारी विभाग से किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो कृपया आबकारी व कराधान आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क करें।

भवदीय,  
हस्ता/-

आबकारी एवं कराधान आयुक्त,  
हिमाचल प्रदेश।

## पंचायती राज विभाग

संख्या:पीसीएच-एचए(2)4 / 96

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषक:

निदेशक एवं विशेष सचिव,  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

प्रेषित:-

1. समस्त उपायुक्त,  
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009

दिनांक 22 अप्रैल, 1997.

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही रजिस्टर के संधारण हेतु निर्देश।

महोदय,

प्रायः यह ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा सामान्य एवं विशेष बैठकों की कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा कार्यवाही पुस्तिका के हाशिया में कोरम की दृष्टि से लिये जाते हैं और कार्यवाही समाप्त होने पर उनके हस्ताक्षर नहीं लिए जाते हैं। कुछ पंचायतों द्वारा अपनाई जा रही यह पद्धति सर्वथा अनुचित है तथा सामान्य आलोचना का विषय रही है। इसलिए इस विषय में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में कार्यवाही रजिस्टर का विधि पूर्वक संधारण करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही पर सदस्यों की उपस्थिति के हस्ताक्षर लेने के अतिरिक्त बैठक की कार्यवाही की समाप्ति पर कार्यवाही तुरन्त लिखी जाये और कार्यवाही के अन्त में सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर मौके पर ही प्राप्त किये जायें। इस प्रकार यह आरोप नहीं लग सकता है कि सदस्यों की जानकारी के बिना ही प्रधान व सचिव ने अन्त में कोई प्रस्ताव डाल लिया है। यदि कोई

सदस्य किसी प्रस्ताव से सहमत न हो तो वह अपनी विपरीत टिप्पणी कार्यवाही पुस्तिका पर दर्ज करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर करेगा। यदि कोई सदस्य बैठक के बीच में उठकर चला जाता है, तो उसके बाहर के समय विचाराधीन प्रस्ताव में उसके बाहर जाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि पंचायतें अपनी प्रत्येक मासिक बैठक में ग्राम सभा क्षेत्र में चल रहे सभी विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति का विशेष रूप में पुनः निरीक्षण नियमित रूप से करें। भविष्य में ग्राम पंचायत के सभी कार्यों की प्रगति का विवरण तथा कार्यों पर व्यय की गई राशि का वर्णन प्रत्येक ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यसूची का आवश्यक मद होगा। बैठक में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज आंकड़े पंचायतों के लेखों से मेल खाते हों और भागीदारी समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक आवश्यक रिकार्ड व वौउचर उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त कार्यवाही रजिस्टर में, सभी स्त्रोंतो से प्राप्त राशि का वर्णन भी नियमित रूप से लेखबद्ध किया जाए तथा इन राशियों की पंचायत लेखों में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। यह भी देखना आवश्यक होगा कि खर्चा भौतिक प्रगति के अनुरूप हो। कार्यसूची के इस आवश्यक मद के लिए अनुलग्नक-क में दिखाये गये प्रपत्र 34 का प्रयोग होगा। खर्च का विवरण सुनकर/पढ़कर विभिन्न विकास कार्यों पर हुए खर्च की पुष्टि के समर्थन में इस प्रपत्र पर सभी उपस्थित सदस्य खर्च के विवरण पर हस्ताक्षर करेंगे। यह हस्ताक्षरित प्रपत्र पंचायत के रिकार्ड में रखा जाएगा तथा इसका सारांश कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जायेगा।

यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पंचायत समिति/जिला परिषद् सीधे अपनी देख-रेख में कोई कार्य (जैसे जिला परिषद्/पंचायत समिति कार्यालय के लिए भवन आदि) करवा रही हो, तो यह प्रपत्र वहां भी प्रयोग में लाया जाएगा। बैठक की कार्यवाही के अन्त में हस्ताक्षर करवाने की शर्त जिला परिषद्/पंचायत समिति के लिए भी लागू होगी।

आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्रतिलिपि सभी प्रधानों तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवाई जाए ताकि सरकार के निर्णय का अक्षरशः पालन हो सके।

**भवदीय,**  
**हस्ता/—**  
**निदेशक एवं विशेष सचिव,**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हि0प्र0**

संख्या:पीसीएच-एचए(2)4/96 शिमला-9 दिनांक 6.6.1997.

- 1.समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त अध्यक्ष, पंचायत समिति हिमाचल प्रदेश।

हस्ता / -  
निदेशक एवं विशेष सचिव

नियम 18(3), 27(3), 95(5) और 105(5) देखें

1. पंचायत बैठक की तिथि
2. कार्य का नाम
3. योजना का नाम
4. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि
5. कार्य की वर्तमान स्थिति:
6. स्वीकृत राशि:
7. कुल व्यय

सामग्री:

क्र० सं०	दिनांक	समग्री का विवरण	क़य का स्रोत	प्राप्त की गई सामग्री			कार्य पर वास्तविक रूप में प्रयुक्त सामग्री (मात्रा)	सामग्री पर व्यय राशि
				मात्रा	दर	राशि		

- 1.
- 2.

मजदूरी:

क्र० सं०	मस्टर रोल	मास	अप्रशिक्षित मजदूर के कार्य दिवस	प्रशिक्षित मजदूर के कार्य दिवस	अप्रशिक्षित मजदूर को अदा की गई राशि	प्रशिक्षित मजदूर को अदा की गई राशि	कुल व्यय राशि
----------	-----------	-----	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------

- 1.
- 2.
- 3.

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी/सचिव पंचायत समिति/सचिव जिला परिषद उपरोक्त व्यय का विवरण पंचायत की बैठक में पढ़कर सुनाया गया तथा हमें मान्य है।

1. प्रधान/अध्यक्ष पंचायत समिति/जिला परिषद्
2. उप-प्रधा/उपाध्यक्ष/पंचायत समिति/जिला परिषद
3. सदस्य



**Rajwant Sandhu, IAS**

**Commissioner-cum-Secretary(Panchayati Raj)**

**D.O. No. PCH-HA(Symposium)1998-**

**Shimla-9, dated 9<sup>th</sup> July, 1998.**

The Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Govt. of India had organized a Symposium on 23<sup>rd</sup> May, 1998 at Bachat Bhawan, Shimla, wherein Gram Panchayat Pradhans, Panchayat Samiti Chairman and Member of Zila Parishad from three Districts namely Shimla, Solan & Sirmour had taken part. In this symposium, the representatives of PRIs have referred to their experiences with Government Department and have also made some suggestions about how involvement of PRI functionaries with development programmes can be made more effective. The suggestions made by the elected representatives have been examined in detail at the Government level and follow up action required to be taken by the DCs level and follow up action required to be taken by the DCs and other offices in the field to ensure transparency and accountability in administration is as follows:-

1. Copies of sanction letters of all the development works may be sent to the Gram Panchayat concerned. This matter may also be reviewed in the monthly meetings to ensure that the Departmental officers are actually complying with this requirement.
2. Training camps/programmes for the Panchayat Samiti members may be organized at the block level, using the resources of the District Training Centers.
3. It may be ensured that the provisions of rules 97(6) and 105(6) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General ) Rules, 1997 are complied with under this provision, on requisition of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad , as the case may be, the officers of the Government serving at the block or district level will have to attend the meeting of these institutions.

4. The BDOs may be advised to keep Chairman, Panchayat Samiti posted with all the development works being initiated in the block.
5. Prioritization of the shelf of schemes submitted by the Gram Panchayat , as a matter of rule, may be honoured by the District Administration.
6. Gram Panchayat pass resolutions about the development problems being faced by them. These resolutions are not responded to by the Govt. Departments. A review of this matter may also be taken up in the monthly meetings of DCs.

**With regard,**

**Yours sincerely,**

**Sd/-**

**(Rajwant Sandhu)**

**All Deputy Commissioners in HP.**

**Rajwant Sandhu, IAS**  
**Commissioner-cum-Secretary(Panchayati Raj)**

**D.O. No. PCH-HA(Symposium)1998.**  
**Shimla-9, dated 22.12. 1998.**

**Subject:- Supply of information to Zila Parishad, reply to all the development schemes sanctioned to PRIs.**

It has been brought to the notice of the department by the elected representatives of Zila Parishad that they are not being informed regarding the developmental schemes sanctioned to the PRIs and fund allocated therefor. Similar issue was also raised at the symposium regarding transparent and accountable administration held on 23.5.1998 and according vide D.O. letter of even number dated 9<sup>th</sup> July, 1998, it was requested that the copies of the sanction letters of all the developmental works may be sent to the Gram Panchayat concerned and the Block Development Officers may also be advised to keep Chairpersons of Panchayat Samitis posted with all the developmental works being executed in the Block.

Now, I am to request you that the Zila Parishads may be provided information on monthly basis regarding development schemes sanctioned, funds allocated for each scheme, executing agency etc.

**With regard,**

**Yours sincerely,**

**Sd/-**  
**(Rajwant Sandhu)**

**All Deputy Commissioners in HP.**

**Rajwant Sandhu, IAS**

**Commissioner-cum-Secretary(Panchayati Raj)**

**D.O. No. PCH-HA(3)2/96-  
Shimla-9, dated 5<sup>th</sup> November, 1999.**

**Subject:- Devolution of powers to the Panchayati Raj Institutions.**

The Cabinet in its meeting held on 27<sup>th</sup> October, 1999 has considered the issue of strengthening the role of the Panchayati Raj Institutions vis a vis the 15 Departments which have already devolved powers and responsibilities to the PRIs vide this Department notification No. PCH-HA(1)12/87 dated 31.7.1996. Following specific decisions have been taken in this regards:-

- i) Gram Panchayats shall prepare micro-plans proposing development interventions that reflect the felt needs in their area by way of improving rural connectivity, schooling, health and veterinary care facilities, drinking water, sanitation etc. indicating the order of priority of the same. The micro-plan will be approved by the Gram Sabha. Thereafter at-least 75% of the funds available under EAS(Employment Assurance Scheme), LDP (Local District Planning), decentralized Planning, relief fund and small savings prize money shall be earmarked by the Deputy Commissioner for funding the micro-plans in the order of priority indicated by the Gram Panchayat;
- ii) The following procedure shall be adopted by all the Departments of the State Government of Himachal Pradesh regarding addition to the available facilities for schooling, veterinary and health care etc:-
  - a) The Departments shall make the distribution in terms of numbers for each district(for rural areas only) to the Zila Parishads;
  - b) Then Zila Parishad shall decide upon the Development Blocks(Panchayat Samitis) to which these institutions are to be assigned and convey this to the Panchayat Samitis;
  - c) The Panchayat Samitis shall decide the allocation to various Gram Panchayats within the development block and convey this to the concerned Gram Panchayats;
  - d) The Gram Panchayat shall then decide about the location of the institution within the Gram Panchayat area;

- e) For institutions serving more than one Gram Panchayat area the locational decision shall be taken by the Panchayat Samiti concerned;
- f) For institutions serving more than one Panchayat Samiti area the location may be decided by the Zila Parishad.

The Institutions/facilities which are to be allocated by the above method are (i) schools (ii) Anganwaris (iii) Health Institutions (Allopathic and Ayurvedic) (iv) Veterinary Institutions (v) Fair price shops (vi) Hand pumps (vii) Public water taps.

Various Department may add other institutions/ facilities to the list given above as this list is not exhaustive.

(iii) The Gram Panchayat shall have powers to report on physical attendance in their assigned areas of work with regard to grass root level functionaries such as Patwaris,

Forest Guards, School Teachers, Male/Female Health Workers and village level workers of Ayurveda, Animal Husbandry, IPH, Social & Women Welfare Departments. If the Panchayat has a complaint in this regard it should convey the same through a resolution to the head of the office of the concerned Department at the district level who will be bound to act on the same and further respond in a time bound manner to the Panchayat regarding action taken.

(iv) The Gram Panchayat shall be the appointing authority in respect of grass root level staff whose services are utilized on part time basis such as Anganwari Workers, voluntary Teachers, Tailoring Teacher, Water Carries, Water Guard etc., for which the Department would constitute selection committee headed by the SDM/BDO at the Block level as deemed fit for selection of the appointees. The appointment letters would however be issued by the Panchayats and these categories of staff would be part time employees of the Panchayats. Grant in aid assistance shall be released to the Gram Panchayat for this purpose by the concerned Departments.

(v) It has been seen that various departments for the purpose of performing supervisory functions concerning their departments, have been constituting village level committees. These committees may among other members also have the elected representatives of PRIs. However, as a result of constitution of such village/ Panchayat level committees by various departments, there is a multiplicity of

committees coming up at the village level. This is creating confusion amongst local people and there is also little co-ordination between the various committees and PRIs. The HP Panchayati Raj Act has provision under section 23, 84 and 95 (copy of the abstract of section 23,84,95 are enclosed) for Standing Committees at the level of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad for performing functions relating to different areas such as agricultural production, poverty alleviation, education and health etc. The constitution of the Standing Committees is specified under the Act. There is also a provision for co-option of additional members.

It is, therefore, decided that different departments instead of forming separate committees for implementing and overseeing their departmental programmes should integrate their committees with the Standing Committees under the PRIs set up.

- (vi) With a view to implement the devolution of power and responsibilities enshrined in this Departments notification of 21<sup>st</sup> July, 1996, it has been decided that the concerned 15 Departments shall prepare information booklets as to how devolution is to be effected in actual practice, addressed to their field staff as well as Chairpersons of Zila Parishads, Panchayat Samitis and Pradhans of Gram Panchayats. It is also been decided that this task should be completed by the various 15 departments within a month.

I am therefore to request you to please frame detailed guidelines, rules & procedure in order to implement the above decisions of the Government and send copies to this Department alongwith point-wise implementation report so that a consolidated compliance report is placed before the Council of Ministers by December end.

**With regard,**

**Yours sincerely,**

**Sd/-**

**(Rajwant Sandhu)**

**Secretaries of the concerned 15 Departments.**

**No.PCH-HA(2)**  
**Government of Himachal Pradesh,**  
**Department of Panchayati Raj.**

...

**From:**

**Director-cum-Special Secretary (PR) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

- 1. All the Deputy Commissioners,  
Himachal Pradesh.**
- 2. All the District Panchayat Officers,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171 009,                      dated the 14<sup>th</sup> February, 2000**

**Subject:-        Transparency in Panchayat functions.**

**Sir,**

A large number of works are being executed through Panchayat and these works are to be executed with full public participation and knowledge. It has generally been seen that public is not fully aware of works being executed in their areas and the amount of money which is sanctioned for these works. Several time it has been noticed that the Panchayat works become sole responsibility of the Panchayat Pradhan only. In order to ensure that the public is aware and gets involved in Panchayat works following action be taken:-

- (i) There should be a notice board outside every Panchayat Ghar on which works completed in the last two years alongwith amount spent and works under execution alongwith amount sanctioned should be clearly indicated. These notice boards can either be of big size on which this information is painted or there can be a board on which this information is written on chart paper or large sheet of paper with sketch pen and pinned up. All Field Officers must check these boards whenever they visit a Panchayat and GPVA/Panchayat Sahayak should be held responsible in case the information is not displayed on these boards or up-dated.

- (ii) Whenever a new work is started in any area of a Panchayat, the Panchayat must ensure that a meeting is held by calling all the residents of village/group of villages who are to be benefitted by the execution of that particular work. During this meeting a committee of local residents should be constituted which can oversee these works and ensure quality execution. The Panchayat can also assign the work to such a committee for execution.

The Deputy Commissioner may discuss this matter in monthly meetings with the BDOs and evolve a mechanism for their district on the basis of the above instructions in order to ensure full transparency in Panchayat work.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Director & Special Secy.(PR) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Endst. No. Aa above**

**Copy forwarded to all Block Development Officers in Himachal Pradesh for  
information and necessary action.**

**Sd/-**

**Director & Special Secy.(PR) to the  
Government of Himachal Pradesh.**



**No. PCH-HA(2)2/99-17026-17114**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Panchayati Raj**

**From:**

**Director & Special Secretary(Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

- 1. All the District Panchayat Officers,  
Himachal Pradesh.**
- 2. All the Block Development Officers,  
Himachal Pradesh.  
Shimla-171009, dated the 15<sup>th</sup> May, 2001.**

**Subject:- Assignment of land revenue to the Local Self Govt./ Gram  
Panchayats in the state of HP.-reg.**

**Sir/Madam,**

The Government of Himachal Pradesh vide Revenue Department's notification No. Rev.D(F)4-3/94 dated 6.5.2000 has decided that the proceeds of land revenue collected from land owners/right holders shall be assigned to the concerned Gram Panchayats. The Revenue Department vide letter No. Rev.D(F)4-3/94 Lamberdars, dated 8.3.2001 has further informed that Lamberdars, in some Panchayat are not ready to go to the Panchayats to deposit the collected land revenue. If the Lamberdars are not ready to go to the Panchayats, in that event they can directly deposit the collected revenue in the Bank account of concerned Panchayat.

You are, therefore, requested to instruct/direct all the Gram Panchayat of your District/Block to inform all the Lamberdars about the Bank account number of the concerned Panchayats so that all the Lamberdars can deposit the proceeds of the land revenue collected by them directly in the bank account of the Gram Panchayat concerned.

**Yours faithfully,**  
**Sd/-**  
**Additional Director,**  
**Panchayati Raj Department.**

संख्या:पीसीएच-एचए(2)4 / 96

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:-

1. समस्त प्रधान,  
ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009 दिनांक 5 नवम्बर, 2003.

विषय:- ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले विकास कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया को प्रभावी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं सामान्य लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान से जुड़ी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण से सम्बन्धित विकास कार्यों का निष्पादन करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है परन्तु कुछ मामलों में यह पाया गया है कि विकास कार्यों हेतु तैयार किए गए शैल्फ को ग्राम सभा से अनुमोदिन नहीं करवाया जाता है परिणामस्वरूप मामलों में ग्राम सभा सदस्यों को यह जानकारी ही नहीं होती कि उनके क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कौन-कौन से विकास कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं और इस हेतु कितनी राशि के व्यय का प्रावधान है। अतः विकास कार्यों के निष्पादन में जनसहयोग व पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों हेतु तैयार किए गए शैल्फ को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाए, जिस हेतु ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यसूचि में यह मद आवश्यक रूप में रखा जाए।

2. ग्राम पंचायतों को स्वीकृत समस्त विकास कार्यों का विवरण, जिसमें विकास कार्यों का नाम, स्वीकृत राशि, स्वीकृति प्राधिकारी, विकास कार्य की प्रगति इत्यादि की सूचना सम्मिलित होगी, ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी सुनिश्चित की जाए और हर तिमाही में स्वीकृत विकास कार्य और पूर्व में चल रहे विकास कार्यों के लेखें जोखे की सूचना ग्राम सभा में भी लोगों की जानकारी और इसके अनुमोदन हेतु पढ़कर सुनाई जाए। अतः ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने के लिए उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

हस्ता/—

निदेशक एवं विशेष सचिव

पंचायती राज विभाग,

हिमाचल प्रदेश

संख्या:पीसीएच—एचए(2)4 / 96

शिमला—9 दिनांक 6.6.1997.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
4. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ/मशोबरा।

हस्ता/—

निदेशक एवं विशेष सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज,  
हिमाचल प्रदेश

**No.PCH-HA(2)4/1996-**  
**Government of Himachal Pradesh,**  
**Department of Panchayati Raj.**

...

**From:**

**The Secretary (PR) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

- 1. All the Deputy Commissioners,  
Himachal Pradesh.**
- 2. All the District Panchayat Officers,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171 009,            dated the            December, 2004.**

**Subject:-    Transparency in Panchayat functions.**

**Sir,**

In continuation to this department letter number PCH-HA(2)18298-3086-3186, dated 14<sup>th</sup> February, 2000 on the subject cited above and to inform you that a large number of works are being executed through Panchayat and these works are to be executed with full public participation and knowledge. It has generally been seen that public is not fully aware of works being executed in their areas and the amount of money which is sanctioned for these works. Several time it has been noticed that the Panchayat works become sole responsibility of the Panchayat Pradhan only. In order to ensure that the public is aware and gets involved in Panchayat works following action be taken:-

- i) There should be a notice board out side every Panchayat Ghar on which works completed in the last two years alongwith amount spent and works under execution alongwith amount sanctioned should be clearly indicated. These notice boards can either be of big size on which this information is painted or there can be a board on which this information is written on chart paper or large sheet of paper with sketch pen and pinned up. All Field Officers must check these boards whenever they visit a Panchayat and GPVA/Panchayat Sahayak should be held responsible in case the information is not displayed on these boards or up-dated.

- ii) Whenever a new work is started in any area of a Panchayat, the Panchayat must ensure that a meeting is held by calling all the residents of village/group of villages who are to be benefitted by the execution of that particular work. During this meeting a committee of local residents should be constituted which can oversee these works and ensure quality execution. The Panchayat can also assign the work to such a committee for execution.

The Deputy Commissioner may discuss this matter in monthly meetings with the BDOs and evolve a mechanism for their district on the basis of the above instructions in order to ensure full transparency in Panchayat work.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Director & Special Secy. (PR) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**No.PCH-HA(3)3/2000-  
Government of Himachal Pradesh,  
Department of Panchayati Raj.**

...

**From:**

**The Secretary (PR) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

**All the Deputy Commissioners,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171 009, dated the                      December, 2004.**

**Subject:- Gram Sabha meetings.**

**Sir,**

As you are aware, the Gram Sabha is the most important level of Panchayati Raj and all efforts are required to be made for the conduct of successful meetings so that they come up as important institutions for propagating/monitoring schemes of various departments of the Government and also obtaining feed back from the public. Gram Sabhas have also to emerge as the planning and decision making bodies at the grass root level for the local self Government to come up in a real sense. Section 5 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 provides that every Gram Sabha shall hold four general meetings in each year and every meeting shall be held on first Sunday of January, April, July and October. With a view to make the Gram Sabha meetings successful and meaningful it has already been requested several times that all field level officers, specially village level functionaries of various departments, be directed to attend the Gram Sabha meetings. These officials/functionaries should also be asked to briefly explain the programmes of their department and obtain feed back from the public. Where the operational area of such functionaries like Patwaris or guards covers more than one Gram Panchayat, appropriate rotation may be established and announced in advance. Gram Sabhas would become more meaningful if they have certain fixed agenda for each meeting and any special items are considered additional to this specific focus. Thus for example, the January Gram Sabha should be hold to pass the coming financial years budget, the April Gram Sabha for presentation and review of the Audit Report, the July Gram Sabha for selection of beneficiaries under different programmes and the October Gram Sabha for a mid year review of the Budget.

You are, therefore, once again requested to ensure wide publicity for Gram Sabha meetings issue guidelines on fixing an agenda and also ensure that the village level functionaries attend the meetings of the Gram Sabha.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Director & Special Secy.(PR) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(15)-7/98-  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

निदेशक पंचायती राज,  
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171 009, दिनांक , 04.05.2006.

विषय:- पंचायत के कार्यों में, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति व अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को रोकने बारे।

महोदय,

विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि पुरुष मानसिकता के चलते पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के मामलों में उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार पंचायत के कार्यों के संचालन में हस्तक्षेप करते हैं और पंचायत कार्यालय व विकास खण्ड कार्यालयों में भी महिला पंचायत प्रतिनिधि के साथ उपस्थित होते हैं। फलस्वरूप पंचायतों के कार्यकलाप में महिला प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती हैं और महिलाओं के मामले में पुरुषों के हस्तक्षेप से इनके सशक्तकरण के संवैधानिक प्रावधान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उनमें आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती।

अतः आप से निवेदन है कि ग्राम पंचायतों और खण्ड विकास अधिकारियों को यह निर्देश दें कि इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने बारे कड़े पग उठाए जाएं और महिला पंचायत पदाधिकारियों के पति और पुरुष रिश्तेदारों को न तो पंचायतों की बैठक में हस्तक्षेप करने दें और न ही विकास खण्ड कार्यालय में बैठक इत्यादि के दौरान उन्हें सम्मिलित किया जाए।

भवदीय,  
हस्ता/-  
निदेशक पंचायती राज  
हिमाचल प्रदेश।



संख्या पी.सी.एच.—एच.ए.(15)—7/98—  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

निदेशक पंचायती राज,  
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:

समस्त जिला पंचायत अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।  
शिमला—171 009, दिनांक , 2006.

विषय:— बाल विवाह की प्रथा को हतोस्ताहित करने बारे।  
महोदय,

विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि प्रदेश में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम लागू होने के बावजूद अभी भी गांवों में बाल विवाह किए जा रहे हैं जिनकी रोकथाम हेतु प्रभावी पग उठाए जाने की आवश्यकता है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतें अहम भूमिका निभा सकती हैं।

अतः आप से निवेदन है कि आप अपने जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को यह निर्देश दें कि वे अपने क्षेत्राधिकार में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के बारे आम जनता को जागरूक करें और साथ ही यदि उनके ध्यान में यह आता है कि पंचायत क्षेत्र में बाल विवाह आयोजित किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) को सूचित करें ताकि दोषी के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके।

भवदीय,

हस्ता/—

निदेशक पंचायती राज  
हिमाचल प्रदेश।



मंत्री,  
हिमाचल प्रदेश  
शिमला-171 002

सत महाजन  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

अर्धशासकीय पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(3)/2006-VI  
शिमला-171 002 दिनांक, 5.5. 2006.

**विषय:- पंचायतों के कार्यालय भवनों पर भारतीय झण्डा फहराने बारे।**

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को अपने कार्यालय भवनों पर प्रतिदिन भारतीय झण्डा फहराने की स्वीकृति प्रदान की है जोकि बड़े गौरव की बात है।

कार्यालय भवनों पर झण्डा फहराने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय झण्डा संहिता, 2002 जारी की है, जिसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। इस संहिता में भारतीय झण्डे के आकार और इसे फहराने, प्रदर्शित/प्रयोग करने बारे दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिनका कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हो भारतीय राष्ट्रीय झण्डे के किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, कुचलता है या अन्यथा (मौखिक या लिखित शब्दों में अथवा कृत्यों द्वारा) अपमान करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां झण्डे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है, वहां मौसम को ध्यान में रखे बिना उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए।

अतः आप से निवेदन है कि आप पंचायत कार्यालय भवन पर प्रतिदिन, भारतीय झण्डा संहिता, 2002 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, राष्ट्रीय झण्डे को फहराने की उचित व्यवस्था करें। इस बारे में यह सुझाव दिया जाता है कि जिला परिषद भवन पर झण्डा फहराने का कार्य

जिलाधीश जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत किसी कर्मचारी और पंचायत समिति भवन पर झण्डा फहराने व उतारने का कार्य खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत किसी कर्मचारी से लिया जाए। ग्राम पंचायत कार्यालय भवन पर इस कार्य को ग्राम पंचायत सचिव या पंचायत सहायक करेंगे और दोनों कर्मचारियों की अनुपस्थिति में यह कार्य पंचायत चौकीदार द्वारा किया जाएगा।

धन्यवाद सहित।

आपका सद्भावी  
हस्ता/—

(सत महाजन)

समस्त अध्यक्ष जिला परिषद/पंचायत समिति,  
हिमाचल प्रदेश।  
समस्त ग्राम पंचायत प्रधान,  
हिमाचल प्रदेश।

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(विविध)-2 / 2001-

हिमाचल प्रदेश सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

निदेशक पंचायती राज,  
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171 009, दिनांक 29.06.2006.

विषय:- पंचायतों के कार्यालय भवनों पर भारतीय झण्डा फहराने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को अपने कार्यालय भवनों पर प्रतिदिन भारतीय झण्डा फहराने की स्वीकृति प्रदान की है। भवनों पर झण्डा सम्मानजनक तरीके से फहराने के लिए इस विभाग द्वारा जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से समस्त पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय झण्डा संहिता, 2002 पुस्तिका (जिसमें झण्डा फहराने बारे दिशा-निर्देश दिए गए हैं) प्रदान की गई हैं।

इस विभाग के ध्यान में समाचार पत्रों तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से ध्यान में लाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय में झण्डा गलत तरीके से फहराया जा रहा है।

अतः आप से निवेदन है कि आप उन समस्त कर्मचारियों को जिन्हें झण्डा फहराने का कार्य सौंपा गया है, को यह निर्देश दें कि राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय झण्डा संहिता, 2002 में वर्णित दिशा-निर्देशानुसार, समयानुसार तथा पूरे सम्मान सहित फहराया तथा उतारा जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

निदेशक पंचायती राज,  
हिमाचल प्रदेश।



मंत्री,  
हिमाचल प्रदेश  
शिमला-171 002

सत महाजन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

अर्धशासकीय पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(3)3/2006-

शिमला-171 002 दिनांक 12-7-2006.

मुझे आपको यह सूचित करना है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 23 में वर्ष, 2005 में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा दो स्थाई समितियों को गठन करेगी जिनमें से एक कार्य समिति और दूसरी बजट समिति होगी। इन दो समितियों में से एक समिति की अध्यक्षता प्रधान द्वारा और दूसरी समिति की अध्यक्षता आप द्वारा की जाएगी। ग्राम पंचायत की दो स्थाई समितियों में से एक स्थाई समिति की अध्यक्षता का दायित्व आपको सौंपने का अधिनियम में प्रावधान करके सरकार ने पहली बार आपको सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो पंचायती राज प्रणाली के सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगा।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 136(2) में यह प्रावधान है कि प्रधान के पद में अविश्वास प्रस्ताव, मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से रिक्ति होने की दशा में प्रधान के समस्त कार्य और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग, रिक्ति के दौरान उप-प्रधान के द्वारा किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप पंचायत रिकार्ड के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी तथा सत्यापित करने की भी शक्तियां आपमें निहित होंगी। प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने तथा अन्य पत्राचार हेतु सरकार द्वारा आपको अलग से मोहर प्रदान की गई है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि पंचायत पदाधिकारी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को बखूबी तथा ईमानदारी से निभाएं और ग्रामीण जनता के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु अपनी अहम भूमिका अदा करें जिसके लिए स्थानीय जनता ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है।

धन्यवाद सहित।

आपका सदभावी

हस्ता/-

(सत महाजन)

समस्त ग्राम पंचायत उप-प्रधान,  
हिमाचल प्रदेश।



मंत्री,  
हिमाचल प्रदेश  
शिमला-171 002

सत महाजन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

अर्धशासकीय पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(3)/2006-  
शिमला-171 002 दिनांक 12 जुलाई, 2006.

**विषय:-** ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, प्रभावी तथा उत्तरदायी बनाना-  
पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण सूचनाओं को पंचायत के सूचना पट्ट पर  
प्रदर्शित करना।

आपके ध्यान में लाया जाता है कि सामान्य जनता को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देने तथा विस्तृत प्रचार करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक पंचायत कार्यालय में नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे। यह नोटिस बोर्ड दो प्रकार के होंगे। पहला नोटिस बोर्ड साधारण ब्लैक बोर्ड की तरह का होगा और इस पर रोजमर्रा की सूचनाएं जैसे कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी की उपस्थिति की तिथियां, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की बैठकों की तिथियां, विभिन्न कैम्पों के आयोजन की सूचना, प्रसार अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी या अन्य अधिकारियों के भ्रमण के विषय में सूचना तथा अन्य आवश्यक सूचना इत्यादि अंकित की जाएगी। दूसरा नोटिस बोर्ड इस प्रकार का होगा जिसको ताले से बंद किया जा सके। इस बोर्ड में स्थाई सूचना जैसे कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चयनित परिवारों/लाभार्थियों की सूचियां, पंचायतों को स्वीकृत कार्यो तथा इनके लिए उपलब्ध धनराशि के सम्बन्ध में सूचना इत्यादि सामान्य जनता की जानकारी के लिए प्रदर्शित की जाएगी। इन बोर्डों के बनाने के लिए पंचायतें अपनी निधि से व्यय करेगी। अतः मेरा आप से अनुरोध है कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव/पंचायत सहायक से यह सुनिश्चित करवाएं कि स्थानीय जनता की जानकारी हेतु नोटिस बोर्ड पंचायत कार्यालय में लगाया जाए तथा सूचनाओं का समय-2 पर नवीनीकरण किया जाए।

**धन्यवाद सहित।**

आपका सदभावी  
हस्ता/-  
(सत महाजन)

समस्त ग्राम पंचायत प्रधान,  
हिमाचल प्रदेश।

Government of Himachal Pradesh,  
Department of Panchayati Raj.

**NO.PCH-HA(3)20/95- Shimla-171 009, dated the 15<sup>th</sup> July, 2006.**

**NOTIFICATION**

The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that elected representatives of the Panchayati Raj Institutions in Himachal Pradesh shall be paid honorarium with effect from 1<sup>st</sup> April, 2006 as per details given below:-

<b>Sl. No.</b>	<b>Category</b>	<b>Honorarium per month</b>
1.	Chairpersons, Zila Parishad	Rs.3000/-
2.	Vice-Chairpersons, Zila Parishad	Rs.2000/-
3.	Chairperson, Panchayat Samiti	Rs.1500/-
4.	Vice-Chairperson, Panchayat Samiti	Rs.1200/-
5.	Pradhan, Gram Panchayat	Rs.1000/-
6.	Up-Pradhan, Gram Panchayat	Rs.750/-
7.	Member, Zila Parishad	Rs.1350/-
8.	Member, Panchayat Samiti	Rs.1000/-
9.	Member, Gram Panchayat	Rs.125/-as sitting fee subject to the maximum for two sittings in a month.

**By order**

**Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Endst. No.PCH-HA(3)20/95- Shimla-171 009, dated the July, 2006.**

**Copy forwarded to:-**

1. Secretary to His Excellency the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. Private Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
3. Private Secretaries to all the Ministers in Himachal Pradesh.
4. All Chairpersons and Vice Chairpersons of Zila Parishads/Panchayat Samitis in HP.
5. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.

6. All the Chief Executive Officers of Zila Parishads in Himachal Pradesh.
7. All the District Panchayat Offices-cum-Secretary, Zila Parishads, Himachal Pradesh.
8. All the Block Development Officers-cum-Executive Officers of Panchayat Samitis in Himachal Pradesh. They are requested to supply the copy of above notification to all the Gram Panchayats in Himachal Pradesh.
9. Controller, HP Printing Press, Shimla-171005, for publication in Rajpatra (Extraordinary).
- 10.

Special Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.



**(Authoritative English text of this Department notification No.PCH-HA(3)20/95, dated 21<sup>st</sup> August, 2006 as required under clause 348(3) of the Constitution of India)**

Government of Himachal Pradesh,  
Department of Panchayati Raj.

...

No.PCH-HA(3)20/95. Shimla-171 009, dated the 21<sup>st</sup> August, 2006.

Notification

In exercise of the powers conferred by rule 63 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, works, Taxation and Allowances) Rules 2002, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to allow the payment of travelling and daily allowances to the office bearers of Panchayat at the following rates and terms and conditions for performing journeys in connection with the affairs of the Panchayat with the approval of the Panchayat with immediate effect :-

- (i) There shall be paid to the office bearer of the Panchayat actual fare and daily allowance for journeys performed by him for any official work within or outside territorial jurisdiction of the concerned Panchayat and such journeys shall not be undertaken unless authorised by a resolution passed to this effect by the Panchayat to which he has been elected:  
Provided that he shall not undertake journey outside the State without prior permission of the Director of Panchayati Raj.
- (ii) The actual fare and daily allowance shall be paid only if the journey is performed by him outside a radius of 8 Kilometers from his usual place of residence.
- (iii) The office bearer of Panchayat if using means of conveyance at the expense of the Government or Panchayats or any other authority, as the case may be, shall not be entitled to any travelling allowance.
- (iv) If journey is partly performed by rail and partly by bus, he shall be paid actual railway and bus fare restricted to the class of accommodation to which he is entitled.
- (v) An office bearer of Panchayat shall be entitled to draw single seat fare of class of accommodation to which he is entitled, and if the journey is performed in the lower class then he shall be entitled to the fare actually paid by him.

- (vi) The following shall be the entitlements of travel by public transport and by railway in case of the office bearers of the Panchayats:-

Category of the office bearers of Panchayats	Public transport entitlement	Railway entitlement
1. Chairpersons and Vice-Chairpersons of Zila Parishads	AC Bus	Shatabdi AC Chair Car/AC Two Tier Sleeper/1 <sup>st</sup> Class
2. Members of Zila Parishads and Chairpersons and Vice- Chairpersons of Panchayat Samitis	Deluxe Bus	1 <sup>st</sup> Class/AC Chair Car/AC Three Tier
3. Members of Panchayat Samitis, Pradhans and Up-Pradhans of Gram Panchayats	Deluxe Bus	1 <sup>st</sup> Class (non AC)/ Three Tier
4. Members of Gram Panchayats	Ordinary Bus	2 <sup>nd</sup> Class Sleeper:

Provided that the Railway entitlement shall be admissible only for journeys performed outside the State of Himachal Pradesh.

- (vii) The daily allowance to the office bearers of Panchayats shall be admissible at the following rates:-

Category of the office bearers of Panchayats	Rates of daily allowance
1. Chairman and Vice-Chairman of Zila Parishads	Rs.80/-
2. Members of Zila Parishads and Chairman and Vice-Chairman of Panchayat Samitis	Rs.60/-
3. Members of Panchayat Samitis, Pradhans and Up-Pradhans of Gram Panchayats	Rs.50/-
4. Members of Gram Panchayats	Rs.30/-

- (viii) Subject to the condition specified at Sl.No. (ii), an office bearer of the Panchayat shall be entitled to daily allowance for actual night halt on tour in connection with the affairs of the Panchayat concerned.

- (ix) If an office bearer of a Panchayat, while on tour, is treated as a State Guest, he shall not be entitled to TA and DA.
- (x) No travelling allowance shall be admissible to any office bearer of a Panchayat if the travel expenses are borne by the State Government or other Organizations.
- (xi) No daily allowance shall be admissible to any office bearer of a Panchayat if he is being provided free boarding and lodging facility by the Government or other Organizations.
- (xii) An office bearer of the Panchayat shall also be entitled to local transportation allowance for journeys outside the State @Rs.100/- per day subject to the condition that the reimbursement shall be made after a certificate of actual utilization is given by him.
- (xiii) An office bearer of the Panchayat while travelling by own or hired vehicle shall be entitled for reimbursement of actual railway/bus fare of the class to which he is entitled.
- (xiv) The expenditure on travelling and daily allowances shall be borne by the concerned Panchayat out of its Panchayat fund.

**By order**

**Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Endst. No.PCH-HA(3)20/95- Shimla-171 009, dated the 21<sup>st</sup> August, 2006.**

**Copy for information and necessary action is forwarded to:-**

1. **Secretary to the Governor of Himachal Pradesh, Shimla-171002.**
2. **Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla-171004.**
3. **Private Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.**
4. **Private Secretaries to Speaker Vidhan Sabha/Cabinet Ministers/Deputy speaker Vidhan Sabha, Himachal Pradesh.**
5. **All Administrative Secretaries in Himachal Pradesh.**
6. **All Heads of Department in Himachal Pradesh.**
7. **All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.**
8. **DLR-cum-Deputy Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.**
9. **All District Panchayat Officers in Himachal Pradesh.**
10. **Principal, Panchayati Raj Training Institute, Baijnath & Mashobra.**

11. **All Block Development Officer in Himachal Pradesh.**
12. **Controller Printing and Stationary Department, H.P. Shimla-171005 with the request that the above notification may kindly be published in Rajpatra (extra-ordinary) and to provide 5,000 copies of the same to this Department.**

**Spl. Secretary(Panchayati Raj)to the  
Government of Himachal Pradesh.**

हिमाचल प्रदेश सरकार,  
पंचायती राज विभाग।

...

संख्या-पी.सी.एच.-एच.ए.(3)20/95 शिमला-171 009, दिनांक 21 अगस्त, 2006

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंचायत के पदाधिकारियों को, पंचायत के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यात्रा करने के लिए, पंचायत के अनुमोदन से, निम्नलिखित दूरों तथा निबन्धनों और शर्तों पर, तुरन्त प्रभाव से यात्रा और दैनिक भत्ते का संदाय अनुज्ञात करते हैं:-

(i)	पंचायत के पदाधिकारी को, सम्बन्धित पंचायत की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर या बाहर, किसी भी पदीय कार्य को करने हेतु, उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए वास्तविक यात्री किराया और दैनिक भत्ता संदत किया जाएगा और ऐसी यात्राएं, तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि पंचायत, जिसके लिए उसे निर्वाचित किया गया है, के द्वारा इस प्रभाव का पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत नहीं कर दी जाती :  परन्तु वह निदेशक पंचायती राज की पूर्व अनुज्ञा के बिना, राज्य से बाहर यात्रा नहीं करेगा।
(ii)	वास्तविक यात्री किराया और दैनिक भत्ता केवल तभी संदत किया जाएगा यदि, उसके द्वारा यात्रा, उसके सामान्य निवास स्थान से 8 किलो मीटर के अर्धव्यास से बाहर की गई हो।
(iii)	पंचायत का पदाधिकारी, यदि, यथास्थिति, सरकार या पंचायत या अन्य किसी प्राधिकारी के व्यय पर प्रवहण साधनों का उपयोग कर रहा है, तो वह किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता के लिए हकदार नहीं होगा।
(iv)	यदि यात्रा भागतः रेलगाड़ी द्वारा और भागतः बस द्वारा की जाती है, तो उसे वास्तविक रेल और बस यात्री किराया, उस आवासन श्रेणी, जिस का वह हकदार है, तक निर्बंधित करते हुए, संदत किया जाएगा।

(v)	पंचायत का कोई पदाधिकारी, उस आवासन श्रेणी, जिस का वह हकदार है, का एकल (सिंगल सीट) यात्री किराया लेने का हकदार होगा और यदि यात्रा निम्न श्रेणी में की जाती है तो वह, उसके द्वारा वस्तुतः संदत यात्री किराया के लिए हकदार होगा।
(vi)	पंचायतों के पदाधिकारियों के मामले में, सार्वजनिक परिवहन और रेल द्वारा यात्रा के लिए निम्नलिखित हकदारियां होंगी:-

पंचायतों के पदाधिकारियों का प्रवर्ग	सार्वजनिक परिवहन हकदारी	रेल हकदारी
1. जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	वातानुकूलित बस	शताब्दी वातानुकूलित चेयर कार / (ए0सी0) वातानुकूलित टू टियर स्लीपर / प्रथम श्रेणी
2. जिला परिषदों के सदस्य और पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	डिलक्स बस	प्रथम श्रेणी / वातानुकूलित चेयर कार / वातानुकूलित थ्री टियर
3. पंचायत समितियों के सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और उप-प्रधान	डिलक्स बस	प्रथम श्रेणी (गैर-वातानुकूलित) थ्री टियर
4. ग्राम पंचायतों के सदस्य	साधारण बस	द्वितीय श्रेणी स्लीपर :

परन्तु यह कि रेल की हकदारी केवल हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर यात्रा करने के लिए ही अनुज्ञेय होगी।

(vii)	पंचायतों के पदाधिकारियों को दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय होगा:-
-------	--

पंचायतों के पदाधिकारियों का प्रवर्ग	दैनिक भत्ते की दरें
1. जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	80 / - रुपये
2. जिला परिषदों के सदस्य और पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	60 / - रुपये

3. पंचायत समितियों के सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और उप-प्रधान	50/- रुपये
4. ग्राम पंचायतों के सदस्य	30/- रुपये

(viii)	क्रम संख्या (ii) में विनिर्दिष्ट शर्त के अध्यक्ष, सम्बन्धित पंचायत के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में प्रवास पर (दौरे पर) पंचायत का पदाधिकारी, वास्तविक रात्रि विराम के लिए दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
(ix)	यदि पंचायत के किसी पदाधिकारी को, जब वह प्रवास (दौरे) पर हो, यदि राजकीय अतिथि माना जाता है, तो वह यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।
(x)	पंचायत के किसी भी पदाधिकारी को कोई यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि यात्रा व्यय राज्य सरकार या अन्य संगठनों द्वारा वहन किया जाता है।
(xi)	पंचायत के किसी भी पदाधिकारी को कोई भी दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि राज्य सरकार या अन्य संगठनों द्वारा उसे, निःशुल्क बोर्डिंग और ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।
(xii)	पंचायत का कोई पदाधिकारी, राज्य से बाहर यात्रा के लिए एक सौ रुपये प्रति दिन की दर से स्थानीय परिवहन भत्ते के लिए भी इस शर्त के अध्यक्ष हकदार होगा कि उसे उसके द्वारा वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र देने के पश्चात् ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।
(xiii)	पंचायत का कोई पदाधिकारी जब अपने या किराये पर लिए गए वाहन द्वारा यात्रा कर रहा हो तो वह उस श्रेणी जिस का वह हकदार है के वास्तविक रेल/बस के किराये की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।
(xiv)	यात्रा और दैनिक भत्ते पर व्यय सम्बन्धित पंचायत द्वारा उसकी अपनी पंचायत निधि से वहन किया जाएगा।

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(3)20/95- तारीख, शिमला-171009, 21 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 002.
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171 004.
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 002.

4. निजी सचिव, अध्यक्ष हि0 प्र0 विधान सभा/समस्त मन्त्रीगण हिमाचल प्रदेश/उपाध्यक्ष विधान सभा, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) (राजभाषा खण्ड) विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
9. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
10. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा और बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
12. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह उक्त अधिसूचना को राजपत्र ;असाधारणद्ध में प्रकाशित कर इस विभाग को अधिसूचना की 5000 प्रतियां उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

विशेष सचिव (पंचायती राज)

हिमाचल प्रदेश सरकार।



**No. PCH-HA(1)-2/98-**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Panchayati Raj**

...

**From**

**The Special Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

**All the Block Development Officers-cum-  
Executive Officers of Panchayat Samitis,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171 002, dated the November, 2006.**

**Subject:- Regarding operation of Panchayat Samiti Fund.**

**Sir/Madam,**

The issue, regarding non furnishing of the information regarding withdrawal of money from the Panchayat Samiti Fund to the office bearers of the Panchayat Samiti, came up for discussion during the course of training to the members of the Panchayat Samitis.

In this regard your attention is invited towards section 99(5) of the HP Panchayati Raj Act, 1994 and rule 14 (2) of the HP PR (Fin. Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002. Under these provisions, the amount from the Panchayat Samiti Fund is required to be withdrawn only under the joint signatures of Executive Officer, by whatever name called, the Panchayat Samiti and Chairman or any other member of the Panchayat Samiti authorized by the Panchayat Samiti. The Secretary of Panchayat Samiti is also required to render to the Panchayat Samiti and also to the State Government, accurately & promptly such accounts and returns exhibiting the position of those transactions as may be required of him from time to time. You are, therefore, requested to ensure the strict compliance of the above provisions. In case the funds are withdrawn in contravention of the above provisions it will be deemed as embezzlement of Samiti Fund.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Special Secretary(Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**No. PCH-HA(1)-2/98-**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Panchayati Raj**

...

**From**

**The Special Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

**All the Block Development Officers-cum-  
Executive Officers of Panchayat Samitis,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171 002, dated the            November, 2006.**

**Subject:-    Regarding circulation of the proceedings of the meetings of Panchayat  
Samiti.**

**Sir/Madam,**

The issue, regarding non circulation of the proceedings of the meetings of the Panchayat Samiti to the concerned departments as well as to the members of the Panchayat Samiti, came up for discussion during the course of training to the members of the Panchayat Samitis.

In this regard your attention is invited towards rule 97(4) of the HP PR (General) Rules, 1997, which provides that a copy of the proceedings of every meeting, duly attested by the Secretary, Panchayat Samiti, shall be sent to the concerned Chairman of ZP and other officers of the concerned Departments within seven days from the date of meeting held. You are, therefore, requested to ensure that the copy of the proceedings of the meeting of the Panchayat Samiti is sent to the Chairperson of Zila Parishad, Block level heads of the offices of the concerned departments and also to the members of the Panchayat Samiti.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Special Secretary(Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**No. PCH-HA(1)-2/98-**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Panchayati Raj**

...

**From**        **The Special Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**  
  
**All the Block Development Officers-cum-  
Executive Officers of Panchayat Samitis,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171 002,    dated the                    November, 2006.**

**Subject:-    Regarding giving due regard to the members of Panchayat Samitis.**

**Sir/Madam,**

The issue, regarding not giving due regard to the member(s) of the Panchayat Samiti in the meetings of the Gram Panchayat and Gram Sabha, came up for discussion during the course of training to the members of the Panchayat Samitis.

In this regard your attention is invited towards section 8(1) of the HP PR Act, 1994, the member of the Panchayat Samiti, representing a part or whole of the Gram Sabha area shall also be the member of the concerned Gram Panchayat(s) and shall have right to vote. Therefore, the member of the Panchayat Samiti, who is as good as other members of the Gram Panchayat, should be given same status as is given to other directly elected members of the Gram Panchayat.

You are, therefore requested to advise the Pradhans and Secretaries of the Gram Panchayats under your jurisdiction to ensure that the members of the Panchayat Samiti are given due regard in the meetings of the Gram Sabha and Gram Panchayat and a Chairman be earmarked for him in the above meetings.

**Yours faithfully,**  
**Special Secretary(Panchayati Raj) to the**  
**Government of Himachal Pradesh.**

**No. PCH-HA(1)-2/98-**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Panchayati Raj**

...

**From**

**The Director Panchayati Raj,  
Himachal Pradesh.**

**To**

- 1. All the Chairman, Panchayat Samitis  
Himachal Pradesh.**
- 2. All the Executive Officers, Panchayat Samitis,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171 002, dated the November, 2006.**

**Subject:- Execution of works by members of Panchayat Samiti.**

**Sir,**

The issue, regarding non execution of such works by the Gram Panchayats, which have been sanctioned by the Panchayat Samitis to them, came up for discussion during the course of training to the members of the Panchayat Samitis. Therefore, the members of Panchayat Samitis desired that the Panchayat Samitis may be authorised to get the works executed at their own level.

In this regard it is informed that under the provision of rule 93 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Allowances) Rules, 2002, there already exists provision under which Panchayat Samiti can execute works at their own level through a participatory committee constituted for the execution of works under the technical guidance/assistance of the Junior Engineer of concerned Development Block appointed by the Rural Development and Panchayati Raj Department. You are requested to bring the said provision to the notice of all the elected members of the Panchayat Samitis.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Special Secy. (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**No. PCH-HA(Misc.)-II-2000-**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Panchayati Raj**

...

**From**

**Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

- 1. All the Chairpersons of Zila Parishads/Panchayat Samitis,  
Himachal Pradesh.**
- 2. All the District Panchayat Officers,  
Himachal Pradesh.**
- 3. All the Block Development Officers,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171 002, dated the September, 2006.**

**Subject:- Regarding hoisting of National Flag on the office buildings of Panchayati Raj Institutions.**

**Sir/Madam,**

I am directed to inform that keeping in view difficulties being faced by the Panchayats in hoisting the National Flag daily on the offices of the Panchayati Raj Institutions, the State Government has now decided that, the National Flag will be hoisted on the building of PRIs on the following days of National importance:-

- (i) 25<sup>th</sup> January : Statehood Day.
- (ii) 26<sup>th</sup> January : Republic Day.
- (iii) 15<sup>th</sup> April : Himachal Day.
- (iv) 15<sup>th</sup> August : Independence Day.
- (v) 2<sup>nd</sup> October : Mahatma Gandhi Jayanti.

In addition to above the National Flag will also be hoisted on the day of meetings of Zila Parishads, Panchayat Samitis, Gram Panchayats and Gram Sabha.

You are, therefore, requested to bring it to the notice of all the Gram Panchayats falling within the jurisdiction of your District.

**Yours faithfully,**  
**Sd/-**  
**Special Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**No. PCH-HA(3)2/07-Instructions-  
Government of Himachal Pradesh  
Department of Panchayati Raj**

**From:**

**The Secretary(Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**To**

**All the Deputy Commissioners,  
Himachal Pradesh.**

**Shimla-171009      Dated the 15<sup>th</sup> January, 2007.**

**Subject:-      Regarding transfer of land in the name of Gram Panchayat.**

**Sir/Madam,**

It has come to the notice of the Department that there are instances where Gram Sabha member agrees/proposes to gift land belonging to him to the Gram Panchayat concerned for the purpose of construction of Panchayat Ghar, Community center or for any other purpose and the concerned Revenue authorities do not transfer the said land in the name of the Gram Panchayat without the prior permission of the department .

In this behalf it is informed the under section 119 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1994 every Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad shall be a body corporate by the name specified, therefore in the notification under section 3 or section 77 or section 88, as the case may be, having perpetual succession and a common seal and shall by the said name, sue and be sued and shall subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, have power to acquire, hold or transfer property movable or immovable, to enter into contracts and to do all other things necessary for the purposes of this Act. As such Gram Panchayats can acquire immovable property especially when any Sabha member is willing to gift a piece of land to the Gram Panchayat concerned and as such no permission in such cases should be required.

You are, therefore, requested to kindly instruct the concerned Revenue authorities under your jurisdiction to initiate proceedings for transfer of land in the name of Gram Panchayat

where any Gram Sabha member proposes to gift said land to the Gram Panchayat without any permission from this Department.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Director of Panchayati Raj,**

**Himachal Pradesh.**

Ends. No. As above.

Copy to:-

All the District Panchayat Officers for information and necessary action.

**Sd/-**

**Director of Panchayati Raj,**

**Himachal Pradesh.**

**No. PCH-HA(3)37/96-II-6816**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Panchayati Raj**

**From:**

**The Director of Panchayati Raj,  
Himachal Pradesh.**

**To**

**The Block Development Officer,  
Development Block Gohar,  
District Mandi, HP.**

**Shimla-171009, Dated 30<sup>th</sup> May, 2007.**

**Subject:- Regarding entry of status of family in Pariwar register.**

**Sir,**

I am directed to refer to your letter No. 5890 and to clarify that sub-rule 2 of rule 21 of the HP Panchayati Raj (General) Rule, 1997 provides that at the close of each calendar year the entries in the Pariwar register, required to be prepared and revised in terms of all entries pertaining to births, deaths and marriages which has taken place during the preceding year i.e. up the 31<sup>st</sup> day of December. No other addition or alteration may be made without any authenticated evidence or certificate of the member of concerned constituency of the Gram Panchayat. In the event of division of the family, separation of family shall only be entered in the Pariwar Register maintained by the Gram Panchayat on the decision of the Gram Sabha by passing a resolution by majority in its general or special meeting on an application made by the head of family concerned. However, the Gram Sabha shall taken into consideration the definition of the family as defined under clause (1-A) of section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 while deciding the matter regarding division of family.



In view of the above the application/request of Shri Chet Ram is to be decided by the Gram Sabha concerned.

**Yours faithfully,**

**Sd/-**

**Deputy Director(Panchayati Raj)**

**Himachal Pradesh.**

**Endst. No. PCH-HA(3)37/96-II 6819-92 Shimla-9 Dated the 30<sup>th</sup> May, 2007.**

**Copy to:**

**All the Block Development Officers in Himachal Pradesh for information.**

**Sd/-**

**Deputy Director(Panchayati Raj)**

**Himachal Pradesh.**